खण्ड-369, अंक-4
मंगलवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1906
(19 मार्च, 1985 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 369 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	3–7
बांसी, जिला बस्ती में नलकूपों के खराब होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	8
गोरखपुर मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित खाण्डसारी यूनिट द्वारा कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	8–9
उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर घाघरा नदी पर प्रस्तावित जयप्रभा सेतु के शीघ्र निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	8–9
ग्राम पहाड़पुर एवं पपसरो (मुरादाबाद) के बीच बहने वाले नाले पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	9
ग्राम कोड़रा, बलिया में हुए अग्निकाण्ड से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	9–10
पटेल स्मारक इन्टर कालेज, पटेलनगर, गोरखपुर के कर्मचारी श्री राम करन के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	10
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बस्ती के इन्जीनियरों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	11
ग्राम रातो, लखनऊ में अग्निकाण्ड से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	11
रामपुर में मच्छरों का प्रकोप एवं बीमारी फैलने के सम्बन्ध में श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा नियम 301 में सूचना दिये जाने का प्रयास	11–12
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	12–13
गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक लेखा–जोखा विलम्ब से सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	13–14
गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक लेखा–जोखा 1979–80––(सदन के पटल पर रखा गया) ..	14–15
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल को सुविधाएं) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1984––(सदन के पटल पर रखी गयी)	15

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का अष्टम् प्रतिवेदन--(सदन के पटल पर रक्खा गया) ..	15
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985--(पुरःस्थापित किया गया) ..	15-18
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985--(पुरः स्थापित किया गया)	18
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985--(पुरः स्थापित किया गया)	18-19
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1985--(पुरः स्थापित किया गया)	19
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985--(पुरः स्थापित किया गया)	19-20
श्री शतरुद्र प्रकाश द्वारा दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी की मांग ..	20-21
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं--(जारी)	21-28
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव--(जारी) ..	28
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	28-29
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव--(जारी) ..	29-38
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक, श्री लाल प्रताप सिंह के अधिष्ठाता पद पर आसीन होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	39
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव--(जारी)..	39-78
विधान सभा की समितियों तथा मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव--(स्वीकृत) ..	78-79
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	89
नत्थियां	81-101

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 1985 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अमर नाथ सिंह, श्री (फतेहपुर)
अमिताभ लवानिया, श्री (आगरा)
अलमेलु अम्माल, कुमारी, (बस्ती)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
कोकब हमीद, श्री (मेरठ)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
जगमोहन सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जफर अली नकवी, श्री (लखनऊ)
जयराम वर्मा, श्री (फैजाबाद)
डूंगर सिंह, श्री (हमीरपुर)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दुर्गा प्रसाद, श्री (आजमगढ़)
देव कुमार यादव, श्री (बांदा)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर (सहारनपुर)
नरेन्द्र सिंह, चौधरी (कानपुर)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
मुस्तमन्द अली खां (मथुरा)
मोहम्मद अकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां) (मुरादाबाद)
राकेशधर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राम नरेश यादव, श्री (मैनपुरी)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
लोकेन्द्र दत्त, श्री (टेहरी-गढ़वाल)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
विजय सिंह राणा, श्री (आगरा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शारदानन्द अंचल, श्री (बलिया)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
सुखपाल पांडेय, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र नाथ, श्री (बाराबंकी)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)
हरि शंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

नोट--निम्नलिखित मंत्री के अतिरिक्त सभी मंत्री सदन में उपस्थित थे--

1--श्री सिब्ते रजी, शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

भू0 पू0 खाद्य आयुक्त तथा सचिव श्री मनोहर सुब्रामन्यम के विरुद्ध धान घोटाला काण्ड के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट

**1—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 सरकार के भू0 पू0 खाद्य आयुक्त तथा सचिव (श्री मनोहर सुब्रामन्यम) के विरुद्ध धान घोटाला काण्ड के सम्बन्ध में की गई उच्च-स्तरीय समिति की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो समिति की मुख्य फाइंडिंग्स क्या हैं तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

जी हां ।

उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट पर राज्य शासन द्वारा विस्तार से विचार करने के उपरान्त तत्कालीन खाद्य आयुक्त तथा सचिव की कोई कदाशयता नहीं पाई गई केवल कार्यान्वयन की कतिपय त्रुटियां पायी गयीं । जिसके लिए उन्हें ऐसे मामलों में भविष्य में सावधानी बरतने का परामर्श दे दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, इसी सदन में मैं और मेरे साथी कई माननीय सदस्यों ने संदर्भित अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये थे जिसमें करोड़ों रुपये के गबन का मामला था जिसमें उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनायी जायेगी, यह सदन में आश्वासन दिया गया था । तो मैं जानना चाहता हूं कि उच्चस्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट जो शासन को मिली है उसका सारांश क्या है ? यानी इस कमेटी ने श्री मनोहर सुब्रामन्यम के खिलाफ क्या-क्या अनियमितताएं पायीं और मंत्रिमंडल की समिति ने क्या कतिपय त्रुटियां पायीं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उच्चस्तरीय समिति ने क्या-क्या आरोप सही पाये और इन्होंने कौन-कौन त्रुटियां पायीं ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने संदर्भित किया है इसमें मुख्य सचिव, खाद्य सचिव, सतर्कता सचिव और वित्त सचिव की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन हुआ था, उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव ने किया था, बाद में उसमें न्याय सचिव को भी सम्मिलित किया गया था । उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दिया उस पर खाद्य मंत्री, वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री की एक मंत्रि-परिषद् की उप समिति का गठन हुआ और उस उपसमिति ने जो निर्णय लिया उसमें समिति का मत था कि 1980-81 में धान की खरीद योजना में शासन को लगभग 6.67 करोड़ रु0 हानि हुई जिसमें 5.2 करोड़ रु0 की धनराशि ब्याज की आती है । इसमें समिति का मत था कि वर्ष 1980-81 की धान खरीद योजना में विभाग द्वारा जो निर्णय लिया गया उसमें किसी प्रकार मैलाफाइड परिलक्षित नहीं होता । इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वार जो निर्णय लिए गये थे, वे योजना के त्वरित गति से कार्यान्वयन के लिए थे और उसमें किसी प्रकार की कोई कदाशयता नहीं थी । जिस प्रकार से उक्त योजना चलायी गयी वह अच्छे उद्देश्य से थी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैंने सवाल दो हिस्सों में पूछा था । मंत्री जी ने बड़ी कुशलता के साथ आधे का उत्तर दिया । मैं जानना चाहता हूं कि अधिकारियों की कमेटी बनी थी उसमें उनके खिलाफ क्या-क्या आरोप पाये गये, उसकी रिपोर्ट क्या है ? मंत्रि परिषद् की उप समिति ने लीपा-पोती करके उनको बचा लिया । जहां

तक मेरी जानकारी है हाई पावर कमेटी ने मंत्रि परिषद् के लोगों को इंवाल्व किया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट क्या थी ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मंत्रि-परिषद् का संदर्भ दिया और दूसरे अधिकारियों की कमेटी थी तो उसने क्या रिपोर्ट दिया। मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मंत्रि-परिषद् की उक्त उप समिति ने वर्ष 1980-81 में धान खरीद कार्यक्रम में हुई हानि सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की अन्तिम रिपोर्ट पर जिसमें सारांश में मत व्यक्त किया। उसमें उच्चस्तरीय समिति के अनुसार 1980-81 में धान खरीद योजना में शासन को लगभग 6.67 करोड़ रु0 हानि हुई जिसमें 5.2 करोड़ रुपये की धनराशि ब्याज की आती है। समिति के सदस्यों का मत था कि मूल्य समर्थन नीति के अन्तर्गत धान की शासन द्वारा किसानों से सीधी खरीद के कारण उस पर काफी धनराशि व्यय हुई। यह धान काफी समय तक भंडारण करने के बाद ही चावल में परिवर्तित किया गया। इस कारण उक्त धनराशि पर ब्याज का लगना अन्तर्निहित था तथा जिस प्रकार से यह योजना चलायी गयी उसमें इस प्रकार की हानि अपेक्षित थी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

हाई पावर कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, उसने यह पाया कि करीब 6 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, तो फिर उसके बाद मंत्रिपरिषदीय कमेटी की क्या आवश्यकता पड़ गयी ? होना तो यह चाहिय था कि उसी रिपोर्ट पर संदर्भित लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही होती वह चाहे मंत्री होते या अधिकारी या और कोई होते। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके बाद मंत्रिपरिषदीय कमेटी या समिति की क्या आवश्यकता पड़ गयी, जो उसकी बैठक हुई और जिसने हाई पावर कमेटी की संस्तुतियों को नकार दिया ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी यह बतायें कि उस कमेटी की क्या आवश्यकता पड़ गयी ?

श्री गौरी शंकर--

चूंकि जिस योजना में यह धान खरीदा गया था वह अदृष्टान्त थी। इतनी बड़ी मात्रा में इसके पूर्व कभी धान नहीं खरीदा गया था--दो लाख टन करीब धान खरीदा गया था और उसमें भी किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए यह किया गया था। जब यह प्रश्न आया तो मंत्रिपरिषद् की एक समिति बनी, उसके सामने यह मामला संदर्भित हुआ, इसलिए मंत्रि-परिषद् की कमेटी के गठन में यह मामला लिया गया।

श्री राम आसरे (हरदोई)--

मान्यवर, मंत्री जी ने खुद इसे माना है कि 6 करोड़ रुपये की हानि हुई है, तो वह किस तरह से हुई और किस तरह से नहीं हुई, इसको लीपापोती तो उसके स्तर के अधिकारियों द्वारा करना स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि इस सदन की एक सर्वदलीय समिति बनाकर इस सम्पूर्ण घोटाले की जांच कराई जाय ?

श्री गौरी शंकर--

जनप्रतिनिधियों के बीच से ही आये मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों से इस कमेटी का गठन हुआ था और उसमें तीन मंत्री थे, अतः अब उसके बाद, इस उच्च निर्णय के बाद किसी अन्य समिति का गठन करना कदापि उचित नहीं होगा।

मुख्यमंत्री (श्री नारायन दत्त)--

मैं सम्मानित सदस्यों और विरोधी दल के सदस्यों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि उस समय की पृष्ठभूमि में

इस सारे प्रश्न को आप देखें--जब धान का अपेक्षित मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा था और यह मांग हो रही थी कि किसानों का धान सरकार की तरफ से खरीदा जाये तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य उस समय धान की खरीदारी था...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके आप देखें नेता सदन खड़े हुए हैं, आप बैठ जायं ।

श्री नारायन दत्त--

जो धान अलग-अलग जिलों में खरीदा गया , खरीदने में ज्यादा धान था, स्कीम के बारे में कस्टम-मेलिंग होनी थी, फिर भारतीय खाद्य निगम को वह चावल देना था । जब वह ले लिया तो भारतीय खाद्य निगम ने कीमत वहां पर फिर दिया विभाग को । इस बीच में जो रुपया था, जो कर्ज लिया गया था, उस पर ब्याज चढ़ गया । तो अभी जो यह हमारे सुयोग्य साथी ने कहा था, इसमें 5 करोड़ 2 लाख की धनराशि ब्याज की आती है । ब्याज इसलिए हो गया, जो इन्होंने धान खरीदने में रुपया उधार लिया । जब तक भारतीय खाद्य निगम से धनराशि मिलती, उस पीरियड का ब्याज चढ़ गया। जैसे आज आलू की खरीद का सवाल है जो उसका दाम बाजार में है और जितने का खरीदेंगे, उसके अन्तर के बारे में कहेंगे कि इतने की हानि हो गयी । तो एकाउंन्टिंग के हिसाब से यह हुआ है, 3 साल बाद यह हानि मानी जायेगी । तो इस स्कीम में किसानों की सहायता के लिए जो कदम उठाये गये, उसमें कोई कदाशयता नहीं थी, एक निर्णय को लागू करने का काम किया गया और उसमें इस तरह से यह हानि हो गई ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

वैसे मुझे प्रश्न तो नहीं करना चाहिए, लेकिन नियमों से हटकर श्रीमन्, दो शब्द आपकी अनुमति से अवश्य कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री उस समय सदन में थे नहीं । यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला नजरन्दाज हो जायेगा, यदि वह इसका अध्ययन करके आते तो खुद उत्तर देते समय इसको आप रोकते और मंत्रि परिषदीय समिति के ऊपर विचार करके इनके साथ ही सम्बन्धित मंत्री के खिलाफ भी कार्यवाही करते ।

मान्यवर, किसानों के नाम पर यह बड़ी भारी लूट की गयी है । सवाल मेरा यह है, मेरी जानकारी को सही मानकर कि उस समय यह तय हुआ था कि काश्तकार को प्रोत्साहन मूल्य मिले । लेकिन सरकार खरीदारी करने में पूर्णतः असफल रही थी । श्री सुब्रामण्यम, तत्कालीन खाद्य सचिव ने मिलों के मालिकों को डायरेक्ट परचेज करने का अधिकार दे दिया । मिल मालिकों ने परचेज नहीं किया केवल खातों पर दर्ज किया कि परचेज हुआ है जिसमें करोड़ों रुपयों की हानि हुई । तो मेरी बात को सही मानकर क्या माननीय मुख्यमंत्री जी सम्पूर्ण मामले पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

चूंकि इसमें पूरा विचार किया जा चुका है, इसलिए इसमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

फर्रुखाबाद जिले में आलू खरीद की सरकारी घोषणा

**2--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री सरदार सिंह, श्री राजेन्द्र शर्मा, श्री मित्रसेन तथा श्री किरनपाल सिंह--

क्या कृषि मन्त्री को यह जानकारी है कि इस वर्ष आलू का मूल्य अत्यधिक गिर जाने के कारण फर्रुखाबाद के आलू उत्पादक किसानों को भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है और खुदायी का खर्च भी न मिलने के कारण खेतों में ही बिना खुदा आलू किसान छोड़ रहे

हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रुपया 50 प्रति कुंतल आलू खरीद की सरकारी घोषणा का क्या हुआ और इसके अन्तर्गत खरीदारी कब से प्रारम्भ होगी ?

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

जी हां, फर्रुखाबाद में आलू के गिरे हुए मूल्य से शासन अवगत है परन्तु यह गलत है कि खुदाई का खर्च भी न मिलने के कारण खेतों में बिना खुदा आलू किसान छोड़ रहे हैं। सरकार पूरी तरह चिन्तित है तथा किसानों को उचित मूल्य दिलाने हेतु कारगर कार्यवाही की जा रही है। पी० सी० एफ० को समर्थन मूल्य के अन्तर्गत आलू तेजी से क्रय करने हेतु आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं तथा क्रय हेतु आवश्यक धन उपलब्ध करा दिया गया है। शीतगृहों में किसानों का ही आलू रखा जाय, बिचौलियों का नहीं, को सुनिश्चित करने हेतु जिला अधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं।

समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत खरीदारी दिनांक 22-1-1985 से आरम्भ हो चुकी है। क्रय योजना में और अधिक तेजी लाने के लिए मन्त्रिमण्डल के गठन के तुरन्त बाद विचार किया गया। सरकार स्थिति में सुधार लाने के लिए सतत प्रयत्नशील है जिसके फलस्वरूप भावों में बढ़ोत्तरी होना आरम्भ हो गया।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

माननीय कृषि मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया वह अस्पष्ट है। मैं माननीय कृषि मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि फर्रुखाबाद जनपद में इस वर्ष कुल आलू का उत्पादन कितना हुआ ? पूरे जनपद के शीतगृहों की भंडारण क्षमता कितनी है ? अब तक कुल कितना आलू खरीदा गया और उसके लिए कितने क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह--

फर्रुखाबाद जनपद में आलू का अनुमानित उत्पादन लगभग 11 लाख टन है। कुल 9 क्रय केन्द्र खोले गये हैं अब तक जितना आलू जनपद में क्रय किया गया है वह 2,265 मी० टन है शीतगृहों की भंडारण क्षमता साढ़े 4 लाख टन है।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में अब तक शासन ने कितना आलू खरीदा है और क्या काश्तकार को उसका भुगतान नकद किया गया है या गन्ने की तरह उधार किया गया है ?

जनस्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

क्या आलू उधार बिकता है ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आपने पूरे प्रदेश के बारे में प्रश्न किया है। प्रदेश में जितना आलू क्रय किया जा सका है दोनों एजेंसियों से वह 9,376 मी० टन है। आलू की कीमत नकद दी जा रही है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, माननीय कृषि मन्त्री ने बताया कि पूरे जनपद में क्रय केन्द्र स्थापित किये गये, मैं समझता हूं कि बिचौलियों से किसानों के शोषण को रोकने के लिए सीधी खरीद हेतु और क्रय केन्द्र स्थापित करेंगे मान्यवर, जिले में केवल 9 क्रय केन्द्र स्थापित करने से किसानों को 50 किलो मीटर दूर तक जाना पड़ता है। क्या माननीय मन्त्री जी कृषकों को सुविधा के लिए 5 किलो मीटर या 10 किलो मीटर पर क्रय केन्द्र स्थापित करने की कृपा करेंगे और करेंगे तो कब तक ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जो चिन्ता माननीय सदस्य ने व्यक्त की है, वह चिन्ता स्वाभाविक

हैं । हमारा सबका प्रयास है कि आज के संकट के समय में जितनी सुविधा कृषकों को उपलब्ध करायी जा सके, वह करायें नेफेड और पी० सी० एफ० की हमारी दो एजेंसियां हैं । दोनों की अपनी-अपनी सीमायें हैं और अलग-अलग स्टाफ है । सरकार की अपनी सीमा है । उसकी सीमाओं को देखते हुए क्रय केन्द्र बढ़ाने पर विचार किया जायगा ।

श्री मित्रसेन--

माननीय, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक जो उन्होंने नेफेड और पी० सी० एफ० के समर्थन मूल्य की खरीदारी का हवाला दिया है उसके माध्यम से कितने क्रय केन्द्र खोले गये हैं ? यह सिर्फ फर्रुखाबाद में 9 क्रय केन्द्र खोले गये हैं । यह एक जिले की रिपोर्ट है । पूरे उत्तर प्रदेश के आलू खरीदने की इतनी धीमी गति का क्या कारण है ? इनके मंत्रि मण्डल के सतत प्रयत्नशीलता का परिणाम क्या है ? इनके मन्त्रि मण्डल ने इस पर क्या निर्णय लिया है ? पूरे मन्त्रि मण्डल की शिथिलता का क्या कारण है ?

(उत्तर नहीं आया)

श्री अध्यक्ष--

आपका सवाल बहुत लम्बा हो गया है ।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री किरनपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आलू का समर्थन मूल्य जब माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषित किया, सभी समझ रहे थ कि विधान सभा के चुनाव आने वाले हैं, पूरी तैयारी के हिसाब से 50 रु० प्रति कुंटल समर्थन मूल्य पर खरीदेगी और आज कृषि मन्त्री ने मासूमियत से बता दिया कि सरकार की सीमा है, तैयार नहीं है । तो माननीय, इनको इस्तीफा दे देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके आप सवाल करें ।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय, बुलन्दशहर के अन्दर आज तक एक भी क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है, जबकि वहां पर आलू अधिक पैदा होता है । आज अखबारों में छपा है कि केन्द्र सरकार ने कहा है कि जिन किसानों ने आलू अपना बेच दिया है, सस्ते रेट पर 15-20 रु० कुंटल के हिसाब से, क्या सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करायेगी ?

श्री हुकुम सिंह--

सरकार के लिये यह सम्भव हो ही नहीं सकता कि वह यह पता लगाये कि किसने 20 रु० के भाव से बेचा या किसने 40 रु० के भाव से बेचा । नेफेड का क्रय केन्द्र बुलन्दशहर में खुला हुआ है, 855 मीट्रिक टन आलू नेफेड द्वारा क्रय की जा चुकी है ।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुये उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में खासकर जौनपुर, बलिया में, बलिया ने दो-दो सहकारिता मन्त्री भी दे दिये गये थे और जौनपुर में भी एक मन्त्री दे दिया है, तो क्या बलिया और जौनपुर में आलू का क्रय केन्द्र खोलने की कृपा करेंगे ।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय, अभी कुल 17 जिले ऐसे हैं जिसमें 12 जिलों में पी० सी० एफ० और पांच जिलों में नेफेड कर रहे हैं । हमें अगर बलिया जिले के बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो संभवतः उस पर विचार किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न समाप्त हुए ।

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

बांसी जिला बस्ती में नलकूपों के खराब होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(11 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

आप सब कृपया बैठें। प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। नियम 301 में मेरे पास 21 सूचनायें आई हैं। पहले तो मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य इसका ध्यान रखें कि सदन का वक्त कम होता है। इतनी सूचनायें आयेंगी, तो कठिनाई आ जाती है हमारे लिए, कि किस सूचना को छोड़ा जाय किसको नहीं। मैंने आठ सूचनायें स्वीकार की हैं। यह सूचनायें माननीय शारदा प्रताप शुक्ल, माननीय हरिश्चन्द्र जी, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय, माननीय मैनेजर सिंह, माननीय कौशिक रमाशंकर, माननीय राम गोबिन्द चौधरी, माननीय काजी कलीमुर्रहमान, माननीय कमाल यूसुफ मलिक की हैं।

*श्री हरिश्चन्द्र--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आदरणीय सदन का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लोकमहत्व की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बस्ती जिले के बांसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो कर आया हूं। वहां की स्थिति यह है कि पानी के अभाव में गेहूं और अन्य जायद की फसलें सूखने की स्थिति में हैं। क्षेत्र के लगभग 60 प्रतिशत नलकूप विभिन्न खराबियों के कारण निष्क्रिय पड़े हैं। नालियां टूटी-फूटी हैं। पिछले दो तीन वर्षों से उनकी मरम्मत नहीं हुई है। जो नलकूप तथा जिनकी नालियां ठीक भी हैं वे बिजली की अत्यन्त अल्प और अनियमित आपूर्ति के कारण सिंचाई का कार्य पूरी क्षमता से नहीं कर पा रहे हैं। यदि एक सप्ताह तक इन फसलों को पानी नहीं मिला तो फसलें सूख जायेंगी। यही स्थिति गोरखपुर, फैजाबाद तथा वाराणसी जिलों की भी है।

अतः इस सदन के माध्यम से मैं इस समस्या के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपेक्षा करता हूं कि सरकार तत्काल आवश्यक कार्यवाही तथा सूखती हुई फसलों को बचाने की व्यवस्था करेगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोरखपुर मंडल विकास निगम द्वारा संचालित खांडसारी यूनिट द्वारा कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन व सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गोरखपुर मण्डल विकास निगम विगत कई वर्षों से घाटे पर चल रहा है अब तक उसका घाटा लगभग एक करोड़ रुपये का हो गया। इसी निगम द्वारा बस्ती जनपद के विकास खंड खोनियांव में रमवापुर कलो नामक स्थान पर एक खांडसारी यूनिट चलायी जा रही थी जिसने वहां के किसानों का गन्ना वर्ष 1981-82--83 में खरीदा था जिसमें अभी तक चार लाख रुपया किसानों का इस यूनिट पर देय है किसान निरन्तर मिल के गेट पर प्रदर्शन करते रहे परन्तु आज तक गन्ने का मूल्य नहीं मिला जब संचालक मंडल से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि बिना सरकार के सहायता के हम किसानों की धनराशि अदा नहीं कर सकते। उनकी यूनिट भी विगत दो वर्षों से बन्द है। किसानों की सरकारी देयों की वसूली सख्ती से की जा रही है किसान जेल भेजे जा रहे हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिर भी गन्ने का दाम अभी तक भुगतान नहीं हुआ ।

अतएव हमारी मांग है कि सरकार तत्काल मंडल विकास निगम को आर्थिक सहायता देकर गन्ना किसानों का भुगतान कराने का कष्ट करें ।

उत्तर प्रदेश, बिहार सीमा पर घाघरा नदी पर प्रस्तावित जय प्रभा सेतु के शीघ्र निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी की अज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । 1979 में जनता शासन के समय अन्त-प्रदेशीय एवं सामाजिक महत्व के मांझी-घाट जयप्रभा सेतु की स्वीकृति उत्तर प्रदेश एवं बिहार शासन के सम्मिलित अनुरोध पर केन्द्रीय शासन द्वारा प्राप्त हुई तत्कालीन केन्द्रीय जहाजरानी मंत्री, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण मंत्री एवं मुख्य अभियन्ता की उपस्थिति में उक्त सेतु का शिलान्यास विधिवत् श्री चन्द्रशेखर, अध्यक्ष जनता पार्टी के यशस्वी हाथों हुआ । तत्समय उक्त प्रस्तावित सेतु का निर्माण व्यय साढ़े चार करोड़ रुपया आंका गया था । जनता शासन के टूटने के बाद जानबूझ कर उक्त सेतु के निर्माण में अवरोध पैदा किया जाता रहा है और आज निर्माण व्यय लगभग सात करोड़ रुपया तक बढ़ा बताया जा रहा है । सेतु के समय से न बनने के कारण निर्माण व्यय बढ़ता जा रहा है और जनता सुविधा से वंचित होती जा रही है । उत्तर प्रदेश, बिहार की सीमा पर घाघरा नदी के ऊपर मांझी घाट पर प्रस्तावित जयप्रभा सेतु के बनने से विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र का आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा । इस क्षेत्र के आलू आसाम भेजने के लिए रेल की निर्भरता समाप्त होगी तथा आसाम से विभिन्न प्रकार के फल सुविधापूर्वक इन क्षेत्रों में आ सकेंगे । यातायात के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा ।

अतः माननीय अध्यक्ष जी की आज्ञा से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ताकि शासन सेतु निर्माण में शीघ्र कार्यवाही कर धन-जन की हानि को रोके ।

ग्राम पहाड़पुर एवं पपसरी (मुरादाबाद) के बीच बहने वाले नाले पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशिक रमाशंकर--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके तथा सदन के माध्यम से एक ऐसी समस्या की ओर इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके कारण अनेक गांवों के हजारों निवासियों की जिन्दगी दुःखभरी दास्तान बनकर रह गयी है । श्रीमन्, मुरादाबाद जनपद के धनौरा ब्लाक के अन्तर्गत आने वाले गांव पपसरी, मोहसनपुर, मुकारमपुर, रघुलपुर भांवर, आदि गांवों के निवासी तहसील हसनपुर ही नहीं वरन् जिला मुरादाबाद के प्रत्येक गांव और कस्बे से एक दम कटे हुए हैं । श्रीमन्, एक नाला है, जिसमें गंगा का पानी तथा कालागढ़ से लाये गये फीडर चैनल का पानी निरन्तर भरा रहता है । कोई मौसम हो-जाड़ा, गर्मी या बरसात नाले का पानी खत्म नहीं होता । इस नाले के कारण, श्रीमन्, उक्त गांवों के निवासी अपनी फसल बेचने, कहीं हाट बाजार करने, तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय या जिले के किसी भी गांव में, नाले के पानी में डूबते उतराते ही पहुंच पाते हैं । बच्चों को कहीं पढ़ाने के लिये तो क्या किसी बीमार को इलाज के लिये ले जाना भी दुष्कर होता है । अतः श्रीमन्, मैं इस

सरकार से आग्रह करता हूं कि इन हजारों लोगों की जिन्दगी को मानन.य बनाने के लिये पहाड़पुर गांव एवं पपसरी गांव के बीच बहते हुए नाले पर एक पुल का निर्माण अविलम्ब करायें ।

ग्राम कोड़रा बलिया में हुए अग्निकांड से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द चौधरी--

विगत दिनों जनपद बलिया के तहसील रसड़ा के ग्राम-कोड़रा में भीषण अग्निकांड हुआ। जिसमें सारा गांव जल-कर राख हो गया । इसमें लगभग 50 घर बिलकुल जलकर भस्म हो गये हैं तथा शेष दो घरों को भी काफी क्षति पहुंची है । इस तरह पूरा का पूरा गांव ही वीरान बना हुआ है । उक्त बस्ती में राजभर यादव तथा मल्लाहों के परिवार रहते हैं जो कि पिछड़े एवं गरीब हैं । पूरे बस्ती के लोग फसल काटने गये थे । इस बीच किन्हीं कारणों से गांव में आग लग गयी तथा सारी बस्ती जल कर राख हो गयी । आग की लपटें इतनी तेज थी कि गांव के सारे पेड़ पौधों के जलने के साथ ही कई मवेशी भी जलकर मर गए हैं तथा कुछ घायल अवस्था में हैं । इस पूरे अग्निकांड में लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है । इस गांव के लोगों के पास न खाने का अन्न, न पहनने को कपड़ा और न रहने को घर ही बचा है । अभी तक सरकार एवं जिला प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं दी गयी है । जिससे वहां की जनता में शासन के प्रति भय, आतंक एवं निराशा तथा क्षोभ की भावना उत्पन्न हो गयी है ।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

पटेल स्मारक इन्टर कालेज, पटेल नगर गोरखपुर के कर्मचारी श्री रामकरन के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री काजी कलीमुर्रहमान--

मान्यवर, पटेल स्मारक इण्टर कालेज, पटेल नगर भटहट के दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उत्पीड़न तथा विद्यालय में व्याप्त अनियमितता की जांच शासन द्वारा करायी गयी, जिसके आधार पर शिक्षा निदेशक द्वारा प्रबन्धतन्त्र को भंग करने, बकाया वेतन भुगतान करने तथा श्री रामकरन चपरासी को लिपिक पद पर पदोन्नति करने सम्बन्धी शिक्षा निदेशक द्वारा स्पष्ट आदेश दिनांक 19-1-84 व 20-6-84 के पत्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर तथा उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को दिया गया । शिक्षा निदेशक तथा शासन ने जांच में यह भी पाया कि श्री रामकरन निषाद (केवट) चपरासी द्वारा लिपिक पद पर पदोन्नति की मांग करने पर प्रधानाचार्य द्वारा उससे मूत्रालय व शौचालय आदि की सफाई का कार्य लिया जा रहा है । शासन तथा विभाग ने ऐसा कराये जाने का अनैतिक कार्य कहा है ।

स्पष्ट आदेश के बावजूद उप शिक्षा निदेशक गोरखपुर द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर की संस्तुति पर भी वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्ध तंत्र को भंग नहीं किया जा सका । जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर द्वारा भी इन आदेशों का परिपालन नहीं किया जा रहा है जिससे पूरे क्षेत्र में क्षोभ व आक्रोश व्याप्त हो गया है ।

अतः आपके माध्यम से इस लोक-महत्व के विषय सम्बन्धी आदेशों का तत्काल पालन कराने की मांग करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग बस्ती के इंजीनियरों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कमाल यूसुफ मलिक--

महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से शासन का ध्यान ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बस्ती में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार और अनियमिताओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । इन्चार्ज अधिशासी अभियन्ता श्री पी० सी० त्रियाक ने जब दह आर० एन० तिवारी के निलम्बन के बाद चार्ज संभाला है उनका कोई कन्ट्रोल वहां के अधिकारियों व कर्मचारियों पर नहीं है क्योंकि वे वहीं सहायक अभियन्ता थे जिसके कारण उनके आदेशों का पालन करने के लिए कोई तैयार नहीं है । मेरे क्षेत्र में लाखों रुपया का गोलमाल इनके जूनियर इंजीनियरों द्वारा किया गया है । 1983-84 में 289 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत संख्या 124 मनवापुर मरवठिया मार्ग पर एक पैसे का काम नहीं किया गया और हजारों रुपया बिल्कुल फर्जी निकाल लिया गया । इसी तरह रीवां, करौता मार्ग पर जूनियर इंजीनियर द्वारा सारा पैसा हड़प कर लिया गया । पहले से ही इस विभाग में अनियमितताओं, कार्य के प्रति उदासीनता के मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं । मैं मांग करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विभाग पर यदि तत्काल नियंत्रण न किया गया और किसी उच्च अधिकारी को भेजकर मेरे क्षेत्र का मामला नहीं दिखलाया गया तो किसी समय जनता और अधिकारियों के बीच अप्रिय घटना घटित हो सकती है क्योंकि गांव के लोगों में काफी असंतोष है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ग्राम राती तहसील मोहनलाल-गंज, लखनऊ में अग्निकांड से क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का एवं सम्मानित सदन का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । दिनांक 13-3-1985 को अपरान्ह 3 बजे ग्राम राती तहसील मोहन लाल गंज, लखनऊ में भीषण अग्निकांड में 70 मकान जल कर नष्ट हो गये तथा कई पशु मर गये हैं जिससे करीब 15 लाख रुपये की क्षति हुई तथा 295 प्रभावित हुए हैं । 3 दमकलों ने 36 घंटों में अथक संघर्ष कर आग पर काबू पा सके । जनता में त्राहि-त्राहि-मची है । पीड़ितों के रहने खाने पहनने आदि की कोई व्यवस्था नहीं है । तहसीलदार द्वारा 150 रु० अहेतुक, 200 रु० गृह अनुदान, 15 कम्बल तथा दो बोरी आटा पीड़ित परिवारों में बांटा गया है । यह सहायता लोगों को पुनर्वासित कराने में अपर्याप्त है ।

अतः आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि प्रति परिवार को कम से कम एक-एक हजार रुपया विवेकाधीन कोष से सहायता देने की मांग करता हूं ।

रामपुर में मच्छरों का प्रकोप एवं बीमारी फैलाने के संबंध में श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा नियम 301 में सूचना दिये जाने का प्रयास

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा सवाल यह है कि मैं जिस शहर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से आता हूं रामपुर से, वहां इस समय तकरीबन 5 सौ मरीज अस्पताल में बीमार पड़े हुए हैं। टेंट लगा दिये गये हैं।

(व्यवधान)

तो मान्यवर, वहां लोग काफी संख्या में मच्छरों के कारण बीमार पड़े हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने 301 में यह सूचना दी थी। मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर 301 में यह सूचना स्वीकार नहीं होती है तो इसे कैसे सदन में लाऊं। मान्यवर, आप इससे सरकार को अवगत करा दें। आदमी को तो यह मारते ही हैं, मच्छरों को मारें तो कम से कम वहां के लोग चैन की नींद सो सकें।

श्री अध्यक्ष--

सरकार ने आपकी बात सुन ली है।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत 3 प्रश्न मेरे पास आये हैं। उनमें से एक श्री शतरुद्र प्रकाश जी का है, इसमें मैंने वक्तव्य के लिए लिख दिया है। लिहाजा वो बातें उस वक्तव्य में आ जाएंगी, इसलिए मैंने इसको अस्वीकार किया है। दूसरा श्री राम आसरे वर्मा जी का है जो एन0 एस0 ए0 में हमारे माननीय सदस्य बन्द हैं, उनके बारे में है। इस पर चर्चा हो चुकी है लिहाजा हर बार इसको उठाना मुनासिब न होगा। तीसरा श्री जयदीप सिंह जी का है। उन्होंने नेता विरोधी दल के कुछ शब्दों के बारे में कहा है, मैं कार्यवाही देख लूंगा और जैसा मुनासिब होगा कर दिया जायगा। इसलिये इन तीनों प्रश्नों को मैंने अस्वीकार किया है।

*श्री राम आसरे (हरदोई)--

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न उस समय उठाया जाता है जब बात सदन की जानकारी में आ जाय। मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है कि नियम 301 के अन्तर्गत इस प्रकरण को यहां पर उठाया गया, इसी संदर्भ में मैं औचित्य के प्रश्न के रूप में इसको उठाना चाहता हूं। सदन की कार्यवाही चल रही है। सदन के तीन माननीय सदस्य जेलों में बन्द है। सिर्फ उन माननीय सदस्यों के अधिकारों का ही प्रश्न नहीं है, जिन क्षेत्रों को जनता ने उन्हें चुना है, उस जनता के अधिकारों का भी हनन हो रहा है। यह मसला 301 में उठाया जा चुका है। अब शासन को तत्परता से कार्यवाही करके सदन को अवगत कराना चाहिये कि उनको जेल से निकालने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

माननीय सदस्य ने कहा है उसे कार्यवाही से हटा दिया जाय।

श्री राम आसरे (हरदोई)--

मान्यवर, कार्यवाही से हटाने का तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री राम सरन--

मान्यवर, माननीन नेता विरोधी दल के बारे में ऐसी कौन सी आपत्तिजनक बात है, जो उन्होंने कही। उस समय यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी और अन्य मंत्रीगण मौजूद थे, उन्होंने उस समय बात क्यों नहीं उठाई?

श्री अध्यक्ष--

शब्द 'नौटंकी' के बारे में आया है, मैं इसे देख लूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री राम सरन—

मान्यवर, 'नौटंकी' शब्द तो संसदीय है ।

गढ़वाल मन्डल विकास निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक लेखा–जोखा विलम्ब से सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, यह जो मद संख्या 2 है, इस पर मान्यवर, मेरे एक व्यवस्था के प्रश्न को देखने की कृपा करें । इसमें शासन पक्ष की ओर से संसदीय परम्पराओं की अवहेलना की बात मैं रखना चाहता हूं और आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप हमें अपना संरक्षण प्रदान करें और संसदीय परम्पराओं की होती हुई अवहेलना के संबन्ध में शासन की प्रताड़ना करने की कृपा करें । मद संख्या–2 में कहा गया है कि मुख्य मंत्री जी गढ़वाल मन्डल विकास निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक लेखा–जोखा 1979–80 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखेंगे ।

अब कम्पनीज ऐक्ट जो है उसे आप देखन की कृपा करें जिसमें 619–ए की उपधारा (3) के बारे में दिया हुआ है । मेरे पास ए0 आई0 आर0 मैनुवल (सिविल और क्रिमिनल) है जिसके पृष्ठ 361 पर लिखा है, अंग्रेजी में है—

व्हेयर दि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इज ए मेम्बर आफ ए गवर्नमेन्ट कम्पनी एवरी स्टेट गवर्नमेन्ट ह्विच इज ए मेम्बर आफ दैट कम्पनी अर ह्वेदर ओनली वन स्टेट गवर्नमेन्ट इज ए मेम्बर आफ दि कम्पनी दैट स्टेट गवर्नमेन्ट शैल काज ऐन एनुअल रिपोर्ट आन दि वर्किंग एन्ड एफेयर्स आफ दि कम्पनी टू बी—

(ए) प्रोपेयर्ड विदिन दि टाइम स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन (1)

इसका तात्पर्य यह है कि जहां केन्द्रीय सरकार उस कम्पनी की सदस्य नहीं है, राज्य सरकार सदस्य है । एक या उससे अधिक राज्य सरकारें सदस्य हैं तो वह उसका वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करेंगी जो कि सब–सेक्शन (1) के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्दर तैयार किया जायेगा । इसमें लिखा है कि प्रिपेयर्ड विदिन थ्री मंथ्स आफ इट्स ऐनुवल जनरल मीटिंग । तीन महीने के अन्दर तैयार कर दिया जायेगा । वार्षिक बैठक के तीन महीने के अन्दर उसे तैयार होकर इस आदरणीय सदन के पटल पर रखा जायेगा । इसका तात्पर्य यह है कि उसकी एकाउन्टेबिलिटी हमारे प्रति हो और हम बहस कर सकें और स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें । हमारे नियमों में यह व्यवस्था है कि जो आटोनामस कारपोरेशन्स हैं उनके आंतरिक मामलों में हम बहस नहीं कर सकते हैं । हमारे बजट का पैसा उसमें लगा हुआ है । इसलिये उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है उसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिये ।

मान्यवर, यह 1979 की रिपोर्ट है और 1985 में प्रस्तुत की जा रही है जब कि कम्पनीज ऐक्ट की धारा 619–ए की उपधारा (3) के तहत 1980 में ही तीन महीने के अन्दर इसे यहां पर प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी । आज इसको पांच वर्ष का समय हो चुका है । पांच वर्ष के अन्तराल में काफी हालात बदल गये हैं। इसकी आडिट रिपोर्ट में घोर अनियमितायें हैं। उससे पहले की अनियमितताओं की पूर्ति भी नहीं की गयी है । इस तरह से हमें पांच वर्ष के बाद इस पर बहस करने का मौका मिलेगा और हम विचार करेंगे । इस तरह से विधान

मंडल को जो अधिकार दिए गये हैं, उनका हनन किया जा रहा है । आडिट रिपोर्ट 5 साल के बाद आ रही है । इसका मतलब यह हुआ कि इसका समय पर आडिट नहीं हुआ है । मैंने इसके एक-एक पन्ने को पढ़ा है । इसकी एनुवल जनरल मीटिंग भी नहीं हुई है। 4 अक्तूबर, 1983 की यह रिपोर्ट तैयार हुई है इसका मतलब यह हुआ कि यह रिपोर्ट 84 में पेश की गई होगी और अब 85 में इस पर बहस हो रही है । इस तरह से नियमों की खुली अवहेलना की जा रही है। अतः म आपके संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं कि आप प्रशासन की प्रताड़ना करें और इन्हें चेतावनी दें कि भविष्य में इस तरह की अनियमितताये नहीं होनी चाहिये । मान्यवर, पहले भी आपकी पीठ से शासन को चेतावनी दी जा चुकी है । इनकी भर्त्सना आप करें । भविष्य में इस तरह की रिपोर्ट सदन के पटल पर यथासमय प्रस्तुत की जाया करे । इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*मुख्य मंत्री(श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य ने जो बात कही है मैं उससे सारता सहमत हूं । जो हमारे इस तरह के सार्वजनिक निगम हैं या प्रतिष्ठान हैं या उनके कर्तव्य और दायित्व हैं वे अधिनियमों के अन्तर्गत ही चलकर कार्य करें और इसीलिए हमारा प्रयास रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं वे अधिक दक्षता से कार्य करें । माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वही नहीं बल्कि और भी जो कार्यक्रम हैं उनमें चुस्ती और तेजी तथा व्यापारिक नियमों को ध्यान में रखते हुये अपने-अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें। श्रीमन, एक इसमें कठिनाई रहती है प्रकाशन की । कभी-कभी गवर्नमेंट प्रेस में चूंकि कार्य बहुत रहता है तो जो पाण्डुलिपि टाइप होती है, उसमें मुद्रण और प्रकाशन में बहुत समय लगता है । जिससे गजट में भी देरी हो जाती है । मैं इस बात के निर्देश दूंगा कि अगर आवश्यकता पड़े तो प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेसों में वह इस प्रकार की रिपोर्ट छपा सकते हैं। मान्यवर, होता यह है कि कार्य की अधिकता की वजह से गवर्नमेंट प्रेस को जल्दी छापने में कठिनाई होती है, कभी बजट छप रहा है, तो ऐसी चीजों को प्राथमिकता भी देनी पड़ती है । इसलिए मैं इस बात के निर्देश दूंगा कि अगर गवर्नमेंट प्रेस में कार्य की अधिकता की वजह से देरी होती है, तो प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेसों में छपा सकते हैं । मान्यवर सन् 1983 में यह मीटिंग हुई, अवश्य ही इसमें देरी हुई । मैं इसके लिए भी निर्देश दूंगा कि हमारे जो निगम हैं, भविष्य में समय से अपनी वार्षिक सभायें करें ।

आज जो यह बात उठायी गयी, मान्यवर, इसके पहले भी शासन इस बात से अवगत है और इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी किये गये । लेकिन, सदन में दोहराना अपना कर्तव्य समझता हूं ।

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, मैं इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन एक बात कहने का मुझे मौका दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बरार जी आप कृपया बैठें ।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक लेखा-जोखा 1979-80†

राजस्व राज्य मंत्री(श्री गौरी शंकर)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक लेखा-जोखा 1979-80

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापा नहीं गया।

को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल की सुविधायें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1984†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2405 सं0/सत्रह-1-84-94-सं0 81, दिनांक 30 अगस्त, 1984 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल की सुविधाएं) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1984 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति का अष्टम प्रतिवेदन††

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति के अष्टम प्रतिवेदन को, जो पश्चिमी गंडक नहर परियोजना से सम्बन्धित प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के विषय में है, और जो प्रक्रिया सम्बन्धी करण संख्या 68 (1) के अन्तर्गत तत्कालीन माननीय अध्यक्ष को उस समय प्रस्तुत किया गया जब सदन का सत्र नहीं हो रहा था, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था)(संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैंने तद्विषयक लिखकर सूचना दी है, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, मैंने भी इस पर लिखित सूचना दी है, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था)(संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, नियम 123 (2) में यह अधिकार है कि अगर विधायिनी शक्ति में कोई आपत्ति हो, तो उस पर विचार हो सकता है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि गौरी शंकर भइया जी ने भी इस पर आपको सूचना दी है, आप उनको सुन लें।

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, कल माननीय गुप्त जी ने अध्यादेशों के प्रस्तुतिकरण के समय भी विरोध किया था और अपने विचार सदन में रखे थे।

---

†छापी नहीं गयी।

††छापा नहीं गया।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, जब आपने वोटिंग करा दी, तो फिर इस पर बहस कैसे हो रही है ?

श्री गौरी शंकर भइया--

वोटिंग कहां हुई। श्रीमन, इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के अखबार में आया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कहा था ... ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब इस पर वोटिंग हो चुकी है तो फिर बहस की क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष--

वोटिंग नहीं हुई है केवल प्रश्न रखा गया था। माननीय श्री गौरी शंकर जी को आप बोलने दें।

श्री गौरी शंकर भइया--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां बयान दिया कि हम जिला परिषदों व स्थानीय निकायों के चुनाव शीघ्र कराने जा रहे हैं। आज यह विधेयक आया है। पहले भी जब यह विधेयक लाया गया था तो उस समय कहा गया कि हम इसका समय एक साल बढ़ाने जा रहे हैं जब तक चुनाव नहीं हो जाते और इनका जो अधिकार है वह कलेक्टर में निहित कर दिया गया था। इसके बाद इस सदन में आश्वासन दिया गया कि हम इसे आखिरी बार बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज जब इसे पुनः लाया गया है तो इसमें कहा गया है कि "31 मार्च, 1985" की जगह "31 मार्च, 1986" रख दिया जाय। हम इसे मानने को बिलकुल भी तैयार नहीं हैं। इन्हें केवल 1 जून, 1985 तक का समय दिया जाय। इस बीच में ये चुनाव कर लें ताकि लोकतंत्र का मुखौटा लेकर जो ये बयान देते हैं, उसका पर्दाफाश हो। इस पर मैं आपत्ति करता हूं। जब तक इसे यह बदलते नहीं हैं इसे आप सदन के पटल पर न रखने दें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय श्री गौरी शंकर जी ने जो बात कही है, उसी के संदर्भ में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। इस सरकार के दो मुंह हैं। असेम्बली के अन्दर यह कुछ और बात कहती है और असेम्बली के बाहर कुछ और। आज ही अखबार में पढ़ा और रेडियो पर सुना कि सरकार स्थानीय निकायों और जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र कराने जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस बात का आश्वासन दिया कि हम निर्वाचन शीघ्र कराने जा रहे हैं। यह सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। आखिर इसकी कथनी और करनी में इतना अन्तर क्यों है? यह फर्क नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, मैं सरकार से इस बात को स्पष्ट जानना चाहता हूं कि सरकार जिला परिषदों और स्थानीय निकायों का चुनाव कराना चाहती है या नहीं। हम इन्हें एक साल का समय देने के लिए बिलकुल तैयार नहीं हैं। आज सरकार इस सदन के अन्दर यह स्पष्ट और तय कर लें कि हम इसका चुनाव 2 महीने या 3 महीने के अन्दर कर लेंगे।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैंने भी लिखित सूचना दी थी। अब यह एक सैद्धान्तिक विवाद खड़ा हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और इनकी पार्टी ने विधान सभा का चुनाव जब लड़ा था उस समय यह एलान किया था कि विधान सभा का चुनाव पूर्ण हो जाने के बाद हम जिला

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिषदों और स्थानीय निकायों का चुनाव शीघ्र करायेंगे। इस बात पर जनता ने इन्हें वोट दिये और यहां पर अपनी सरकार बनाली। आज जिस समय यह विधेयक यहां पर लाया गया है, उसमें कहा जा रहा है कि एक साल का समय और दिया जाय। 2–3 महीने का समय मांगते तो बात समझ में आती भी। एक साल तक समय बढ़ाने से इस बात का संदेह स्पष्ट होता जा रहा है कि सरकार अनिश्चितकाल तक जिला परिषदों व स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। जबकि जिला परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन हो चुका है, ब्लाक प्रमुखों का निर्वाचन हो चुका है। कुछ सदस्य बाकी रह गए हैं और जिला परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव ये करा सकते हैं। इसलिए मैं सरकार की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस लें और इसके संशोधित रूप को, जिसमें केवल 2–3 महीने का समय मांगा गया हो, सदन के पटल पर लायें, उस पर हमारी सहमति भी होगी। क्योंकि इनमें न तो कोई राजनैतिक मतभेद हैं और न ही संसदीय परम्पराओं का मतभेद है।

श्री अध्यक्ष—

इस सिलसिले में काफी बातें सुन लीं....

श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय, नेता सदन खड़े हो रहे हैं।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, जो यह विधेयक प्रस्तुत हो रहे हैं, ये अध्यादेशों की पृष्ठभूमि में उनके स्थान पर। इसका नाम ही अल्पकालिक व्यवस्था है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें 1986, एक अवधि का उल्लेख है तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि इसके पहले चुनाव नहीं हो सकते। यह सही है कि जिला परिषद् के चुनाव बहुत जल्द हो सकते हैं क्योंकि बाकी कार्यवाही....

(व्यवधान)

(श्री मुलायम सिंह यादव, कमाल यूसुफ मलिक आदि उठकर एक साथ बोलने लगे।

(श्री राजेन्द्र गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गए)।

श्री अध्यक्ष—

कल अभी आपको याद होगा मैंने सरकार से अनुरोध किया था और मैं समझता हूं कि उस अनुरोध को शासन ध्यान में रखेगा तथा जल्द से जल्द चुनाव कराये जायेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय, यह जो विधेयक प्रस्तावित है, एक लम्बी अवधि से चुनाव नहीं हो रहे हैं और जब हम लोग सवाल उठाते हैं, चाहे परिषद् में हो या विधान सभा में, जवाब यही आता है कि यथाशीघ्र करायेंगे। आज सवाल यथाशीघ्र का नहीं बल्कि समयबद्ध कार्यक्रम का है। दो, तीन, चार महीने की स्पष्ट घोषणा कर दी जाय। यह हमारी मांग है।

श्री नारायन दत्त—

यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यह शासन के दल के सदस्य और मंत्रि परिषद् के सदस्य भी रह चुके हैं। यथाशीघ्र का अर्थ भलीभांति जानते हैं। बिना मंत्रि परिषद् की सलाह के कोई तिथि नेता सदन या मुख्य मंत्री घोषित नहीं कर सकता और बिना मंत्रि परिषद की सलाह के कोई उत्तर देना उचित नहीं होगा। उसके लिए हमे बाध्य न करें। यथाशीघ्र ही चुनाव कराये जायेंगे।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मित्रसेन--

यह सरकार चुनाव कराने से कतरा रही है इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन से वाक-आउट करता हूं।

(श्री मित्रसेन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 79 पर)

(श्री अध्यक्ष द्वारा "मद संख्या-11" पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे (हरदोई)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री राम आसरे (हरदोई)--

मान्यवर, इसी सन्दर्भ में है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मन्त्रि-परिषद् की सलाह के बिना किसी तारीख को स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु निश्चित नहीं किया जा सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी बिना मंत्रि परिषद् के शपथ तो ले सकते हैं, लेकिन बिना मंत्रिपरिषद् के तारीख तय नहीं कर सकते?

श्री अध्यक्ष--

आप बार-बार एक ही बात को न दोहरायें, कृपया बैठें।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) बिधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन को अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 80 पर)

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 83पर)।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1985

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, आप की अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 84 पर)।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूं।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मान्यवर, इसमें मेरा निवेदन है कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में विद्युत् संकट इतना विकट है कि पूरा प्रदेश अन्धकार में डूबा हुआ है, बिजली की सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, बिजली देंगे नहीं, पैसा बढ़ा देंगे, ऐसे व्यापारी हैं ये ऐसा नहीं होता कि आप सौदा भी न दें और पैसा ले लें। पूरे प्रदेश में बिजली नहीं मिल रही है। शीतगृह के लिये बिजली नहीं है, सिंचाई के लिये बिजली के न होने से पानी नहीं मिल पा रहा है। अत्यन्त दुर्व्यवस्था है, किन्तु पैसा बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूं कि इस बिल को वापस ले लें और पहले पूरे प्रदेश के नागरिकों को विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करें, उसके बाद ही अधिकार हो सकता है रेट बढ़ाने का। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मद संख्या 17 को पुरःस्थापित करने की अनुमति न दी जाय और माननीय मन्त्री जी से कहा जाय कि इसे वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, जब बिल पेश होगा तो आपको मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

*श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985 यहां लाया गया है, यह 1953 में विधेयक लाकर और उसमें संशोधन प्रस्तुत करके लाया गया था। 1953 में सरकार ने जनता से वायदा किया था कि अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत रहेगी। भारत सरकार ने 1977-78 में विद्युत उत्पादन पर 6 पैसे प्रति यूनिट की दर निर्धारित की थी। भारत सरकार द्वारा यह छूट आम जनता को दी गयी थी जिसे ये बरदाश्त नहीं कर पाये इसलिये आज की तारीख में यह विधेयक ले आये हैं कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) का संशोधन करके, दिनांक 1 अक्टूबर, 1984 से, विद्युत शुल्क की अधिकतम सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत करना या 6 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ा कर 8 पैसे प्रति यूनिट करना आवश्यक समझा है। यह 1952 के भारत सरकार के फैसले के खिलाफ यह विधेयक लाना चाहते हैं तभी यह संशोधन ले कर आये हैं कि उपधारा (2) में—

(एक) शब्द "पचीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पैंतीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

(दो) शब्द "छः पैसे" के स्थान पर शब्द "आठ पैसे" रख दिये जायेंगे।

इस तरह से यह सरकार पैसे बढ़ा कर नागरिकों के साथ विश्वासघात करना चाहती है और करने जा रही है। यह जन विरोधी बिल है और धन विधेयक है। इस बारे में गवर्नमेन्ट से ज्ञापन भी नहीं लिया गया है जब कि यह 8 पैसे के स्थान पर 6 पैसे और 35 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत होना चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात को सरकार ने सुन लिया है, आप अब बैठें।

(श्री गौरी शंकर भइया के आसन ग्रहण करने के उपरान्त) प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करती हूं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 86पर)।

श्री शतरुद्र प्रकाश द्वारा दिये गये विशेषाधिकार को अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 63 के अन्तर्गत मैंने एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष—

जी हां, वह मुझे प्राप्त हुई है उसे मैं मुख्य मन्त्री जी को स्पष्टीकरण के लिये भेज रहा हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आप मुझे सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष—

परम्परा यह रही है कि जो आपने विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है तो उसे मुख्य मन्त्री जी के पास भेज दिया जाय, यही नियम है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरा कहना है कि बगैर नियमों के यह निलम्बित किया गया है। उसे कार्यसूची में मद संख्या 6 पर होना चाहिये था जिसे बाद में रख दिया गया है। मान्यवर, यह तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मन्त्री जी को जा रहा है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मुख्य मन्त्री जी तो बड़े आदमी हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप भी कोई कम नहीं हैं। अब आप बैठिये।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत मेरे पास आज 10 सूचनायें आई हैं। मैं माननीय सदस्यगणों से नम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है तो जो विषय आप कार्य-स्थगन के रूप में उठा रहे हैं उन्हें आप अपने भाषणों में कह सकते हैं और यह परम्परा रही है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के वक्त कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार न करे। इसलिए मुझे दुख के साथ इन सबको अस्वीकार करना पड़ रहा है।

श्री कमाल यूसुफ मलिक—

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है, श्री बच्चा पाठक जी के यहां से....

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें बहुत जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप अपने भाषण में सब कुछ कह सकते हैं जो परम्परा रही है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब आप बोलेंगे तो उस समय यह कह सकते हैं।

श्री राम आसरे (हरदोई)—

आपके दुख पर भी हमें दुख है।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, हरदोई में छात्रों पर गोलियां चलायी गयी हैं

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष—

आप जो ी कहना चाहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के वक्त कह सकते हैं

(व्यवधान)

मैंने अपना निर्णय दे दिया है और यही परम्परा यहां रही है।

श्री कमाल यूसुफ मलिक—

आज सारे प्रदेश में इस विषय पर चर्चा है।

श्री अध्यक्ष—

यह विषय आप अपने भाषण में उठायें।

(व्यवधान)

कृपा कर बैठ जायं मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब वह उत्तर दें आपकी बातों का जवाब दे दें

(व्यवधान)

कृपा करके आप बैठ जायं यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, जो सूचना हमने दी है वह बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष--

जो आपको कहना है । उसे जब आपको भाषण देने का मौका मिले उसमें कह लें कृपा करके आप बैठ जायं ।

श्री किरन पाल सिंह--

एक-एक मिनट आप सबको सुन लें ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, सुन लें मामला बहुत गम्भीर है । आप सुनने के बाद कंविन्स हो जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कौन सा मामला गम्भीर है 8-8 और 10-10 आदमी एक साथ बोल रहे हैं कौन सा मामला गम्भीर है ? एक आदमी कृपा करके खड़े हों । आप पहले आपस में तय कर लीजिये । आप सब खड़े होंगे तो मैं नहीं सुनने वाला हूं । कृपा करके बैठ जायं ।

*श्री गौरी शंकर भइया--

पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये । यह सदन की परम्परा रही है कि जब कोई अविलम्बनीय महत्व की सूचना कोई माननीय सदस्य देते हैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत

(व्यवधान)

तो उस विषय पर सुनने के बाद आप फैसला देते हैं । आज चार पांच दिनों से अखबारों में देख रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल के एक भूतपूर्व सदस्य के घर से 26 लाख रुपये बरामद होने की खबर रोज अखबारों में छप रही है । जो व्यक्ति इसमें पकड़ा गया है उसने बयान दिया है । स्टेनगन उसमें बरामद हुई है और भूतपूर्व माननीय सदस्य के खिलाफ इस तरह के गम्भीर आरोप जो हैं उनके सम्बन्ध में उनका कहना है कि मन्त्रिमन्डल के कुछ लोग इसलिए षड्यन्त्र कर रहे हैं कि वह विधान परिषद् में न आ सकें । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके लिए सदन की एक उच्चस्तरीय कमेटी बना दी जाय और आप उसके अध्यक्ष बन जायं जो इस मामले की पूरी जांच कर लें । क्योंकि 26 लाख रुपये चोरी का मामला है तथा स्टेनगन बरामद होने का मामला भी प्रकाश में आया है । इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि हमारे राज नेताओं को कैसा व्यवहार करना चाहिये । अगर आप इतने महत्व के सवाल पर नहीं सुनेंगे तो प्रदेश की जनता सारे तथ्यों से वंचित रह जायेगी । इसलिए सुनने के बाद अपना फैसला दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) ।

अगर आप सब एक साथ खड़े होंगे तो कैसे सुनूंगा ?

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आप पहले से बहुत पुराने सदस्य हैं और यहां के जाब्तों को जानते हैं । इसलिये जब भी इस तरह का कोई मामला यहां आया है तो उस पर बहस हुई है । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि इतने संगीन मामले पर आप चर्चा का समय नहीं दे रहे हैं । यह मामला 25 लाख रुपये का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं जो बच्चा पाठक के घर से चोरी से सम्बन्धित हैं। मान्यवर, आप इतना तो सुन लें कि यह घोटाला कहां से शुरू हुआ है जिसको सुनना नहीं चाहते हैं। मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं हो सकता है कि वह इस सिलसिले में कोई सफाई दे दें। मुझे फिर अफसोस है कि ऐसे गम्भीर मामले को आपने बाई-पास कर दिया। इस पर तो नियमों से चर्चा होनी चाहिए थी जो नहीं हो रही है। इसलिये बाई-पास करके आप एक बुरी परिपाटी डाल रहे हैं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि आपने एक निर्णय दिया मैं उसके सम्बन्ध में कुछ कहूं लेकिन कभी तो आप इतने उदार थे कि आपने एक नई परम्परा डाली और राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समय आपने काम रोको प्रस्ताव की अनुमति दे दी और एक नई परम्परा का जन्म दिया था किन्तु आज आप अनुदार हो गये और इतने महत्वपूर्ण मामले पर कामरोको प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, इसलिये यह बात कुछ जमती नहीं है। अतः जो निर्णय आपने दिया है उस पर पुनर्विचार करें चूंकि सत्र कम दिनों के लिये है और यहां प्रदेश में तरह-तरह की समस्यायें हैं जो कामरोको प्रस्ताव द्वारा कहने का एक यह फोरम है जहां उन समस्याओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं लेकिन आज नहीं तो कल यही प्रस्ताव आयेंगे, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

*श्री शत्रुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैंने भी इस सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है, जो भूतपूर्व राज्य मंत्री, श्री बच्चा पाठक, के सम्बन्ध में है, वह कांग्रेस के महामंत्री हैं, उनके कालीदास मार्ग पर स्थित मकान में 10 मार्च को चोरी जो हुई उसके सम्बन्ध में है, जिसको आपने अस्वीकार कर दिया है। हम लोग बहुत अनुशासित सदस्य हैं। लेकिन आपने फिर अनुमति दिया और बुलाया कि मैं कुछ भी बच्चा पाठक के सम्बन्ध में तथ्य रखूं।

मान्यवर, बच्चा पाठक जी के घर में चोरी हुई और 25-26 लाख रुपये घर में बरामद हुये। तो यह गम्भीर मामला है, इसमें सी0 आई0 डी0 को लाया गया है और जितने भी तस्कर, अनलाइसेन्स्ड हथियार रखे हैं वह पकड़े गये होंगे। तो इसमें उ0 प्र0 के डाइरेक्टर जनरल पुलिस भी सम्मिलित हो गये हैं। यह गम्भीर मामला है और यहां सदन में आ गया है, तो इस पर मुख्य मंत्री जो जो स्वच्छ और कुशल प्रशासन देने का वायदा करते हैं, उनको बताना चाहिए कि 26 लाख रुपया कहां से उनके घर बलिया में आया 10 लाख रुपये कांग्रेस के महामंत्री के पास रखा है, एकाउन्ट देने के लिये जो दो महीने पहले, चार महीने पहले का है। मान्यवर, साधारण व्यापारी के यहां छापा मारा जाता है और रुपया पाया जाता है तो उसको जेल भेज देते हैं लेकिन महामंत्री के पास लाखों रुपये घर में बरामद होता है तो उनको बचा लिया जाता है। इसलिये इससे शर्मनाक और निंदनीय बात क्या हो सकती है।

मैं तो चाहता हूं कि इस पर इस सदन की एक कमेटी बना दी जाये और जो पैसा बरामद हुआ है वह सरकार के पास जाना चाहिए, उसको जब्त करना चाहिए और कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये। इसलिये मान्यवर, इस पर आप बहस करायें जिससे सच्चाई सामने आ सके और प्रदेश की जनता सच्चाई को जान सके कि इतने लाख रुपये कहां से आये। दिसम्बर, में 200 करोड़ रुपये ले लिये और कहा कि चंदे के हैं, तो यह पैसा कहां से आया है। इस बात की भी

(12 बजकर 20 मिनट)

जांच होनी चाहिए कि यह 26 लाख रुपया उनके पास आया कहां से है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस समय नेता सदन और मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं--हंसराज तिवारी को पकड़ा गया जो कि वहीं उनके यहां रहता था, उसके नाम से मंत्री जी द्वारा बैंक में रुपया जमा कराया गया था। वह पूरे समय उनके घर पर रहता था। जब उसको पकड़ा गया तो एक अन्य आदमी जो खुद उनके घर पर रह रहा है, वह इस घटना के बारे में सारी सच्चाई कहना चाहता है--उसने कहा है कि मैं नेता विरोधी दल से मिलकर कई तथ्य उनके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन उनको इस बात का मौका नहीं दिया जा रहा है। यह बड़ी गम्भीर, देखने की बात है कि वह कौन से तथ्य हैं जिन्हें वह कहना चाहता है, इसके पीछे कौन-सी कहानी है, क्या रहस्य है।

मान्यवर, आप जनहित में, व्यक्तिगत हित में नहीं, आपकी तस्वीर दूसरी है, कार्यपालिका के दबाव में न आकर व्यवस्थापिका को उसका सर्वोच्च स्थान देते हुए सरकार को निर्देश दें कि वह तत्काल इसके बारे में सारे तथ्य एकत्र करके आज सायं तक इसके बारे में कोई बयान अवश्य दे दें।

(श्री राम सरन का नाम पुकारे जाने और उनके खड़े होने पर)

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि परम्परा यह रही है कि....

श्री कौशिक रमाशंकर--

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था पर व्यवस्था कैसे हो सकती है, आप बैठ जाएं, मैं आपको भी सुन लूंगा।

श्री कौशिक रमाशंकर--

आप कार्यसूची की मद संख्या 19 देखें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कौशिक जी, आप बैठ जायं।

श्री किरन पाल सिंह--

कार्यस्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष जी जब लेते हैं तो उसमें यह देख लिया जाता है कि किसने पीछे दिया है और किसने पहले दिया है, लेकिन यह आप नहीं देख रहे हैं। जिसका नाम आप भूल जाते हैं, जान नहीं पाते हैं, उसका नाम नहीं आ पाता है मैंने भी यह विषय कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में दिया था। माननीय सदस्यों में उसका एक रूप सामने रखा। एक ने कहा कि बच्चा पाठक को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ यह कहा गया कि उनके यहां तस्करी का सामान पाया गया। तो इसमें सरकार की तरफ से यह बात रखी जा सकती है कि समस्त प्रकरण के सम्बन्ध में जांच सी0 आई0 डी0 को सौंप दी गई है, लेकिन इसकी जांच होने के बाद यह मामला और उलझता नजर आ रहा है। सी0 आई0 डी0 की जांच प्रक्रिया से प्रदेश की जनता स्तब्ध है और उससे सी0 आई0 डी0 की छवि भी धूमिल हुई है और उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। हंसराज तिवारी....

(घोर व्यवधान)

श्री हरदेव--

आप समय का भी ध्यान रखिए, क्या इसी तरह से एक ही बात को हर एक की तरफ से बार-बार कहा जाता रहेगा ?

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह--

आप यह देखें कि आज हंसराज तिवारी किस चिन्ताजनक हालात से गुजर रहा है, उसके प्राणों का संकट है। यदि वह कार का दरवाजा तोड़कर न भागता तो उसे बच्चा पाठक और

उनके आदमी जरूर जान से मार डालते । यह सब लोग उसको कार पर बैठाकर मारने के इरादे से लिये जा रहे थे । यदि उसकी हत्या हो जाती तो यह मामला दब जाता । तब से आज तक सी0 आई0 डी0 की कार्यवाही एक पक्षीय चल रही है । सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए कि यह 26 लाख रुपया उनके पास किस खेती से, किस व्यापार से आया है । जैसा तिवारी जी ने बताया है तमाम स्मगलिंग का सामान उनके यहां से मिला है और उसके कथनानुसार बच्चा पाठक एक माफिया गिरोह के संचालक थे । उनके यहां तस्करी का सामान मिला है । यह भी आरोप लगाया गया है कि उसकी बहिन उनके घर पर आई तो उसके साथ जबरदस्ती और गलत व्यवहार किया गया था । अखबारों में यह भी निकला है कि तिवारी जी यदि जुबान खोलेंगे तो उनको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा । इस सबके बावजूद आज तक सारी एकतरफा कार्यवाही हो रही है । सरकार से यह पूछा जा सकता है कि बच्चा पाठक की अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है और हंसराज तिवारी जी सही बात कहना चाहते हैं, उसको अपनी बात कहने से हर तरह से क्यों वंचित किया जा रहा है । तो मेरा निवेदन है कि हंसराज तिवारी को अपना पक्ष रखने के लिये पूरा मौका दिया जाना चाहिये । यदि मौका नहीं दिया जाता है तो सरकार का और प्रधान मंत्री का यह नारा खोखला है कि हमारी स्वच्छ छवि है और हम स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं ।

अभी मुख्य मंत्री जी से बरेली में पूछा गया था कि आपने जो मंत्री रखे हैं क्या उनकी छवि उज्जवल है । तो उन्होंने कहा था कि जो जनता ने भेज दिया है वही हमने ले लिए हैं, उज्जवल छवि की कोई जिम्मेदारी नहीं है । तो यह मामला गम्भीर है वह आपकी सरकार में मंत्री रह चुके हैं । मंत्री पद का दुरुपयोग हुआ है । वह आपके संगठन के महासचिव हैं । मेरा निवेदन है कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री राम सरन--

माननीय, यह मामला बहुत गम्भीर है । मैं दो-तीन बातों को कहना चाहता हूं । पहली बात यह है कि इसमें ब्लैकमनी का मामला है, दूसरी बात यह है कि इसमें बलात्कार की बात है, तीसरी बात यह है कि इसमें स्मगलिंग की बात शामिल है । तो यह जितने कुकर्म हैं उसमें वह इन्वाल्व हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि श्री बच्चा पाठक को तुरन्त हिरासत में बन्द करिये । आप भले आदमियों को जेल में भेजते हैं तो ऐसे गन्दे आदमियों को क्यों नहीं भेजते जो आपकी सरकार की छवि, कांग्रेस (आई) की छवि को बिगाड़ रहे हैं । ऐसे लोग घूमते हैं और सरकारी बंगलों में रहते हैं । आपके लिए यह बड़ी शर्म की बात है, हमारा सर शर्म से झुक जाता है । हम पब्लिक में जा नहीं सकते । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको कल तक गिरफ्तार करा दीजिए और जो माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है, उसकी सफाई दीजिये ।

श्री हुकुम सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

माननीय, मैं बड़ी देर से खड़ा हो रहा हूं । मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, माननीय मंत्री जी को बोलने दें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । पहले मेरी बात सुन लीजिए । आपने मंत्री जी को आदेश दे दिया ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री हुकुम सिंह--

मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । मैं व्यवस्था के प्रश्न के बारे में बोल रहा हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मेरी बात पहले सुन लें । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आपको मौका मिलेगा । कृपया बैठ जायं ।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आज कार्य-स्थगन के बारे में जब यह मद संख्या आयी तो आपने इस विषय पर विचार करने के बाद अपना निर्णय दिया कि आज की विशेष परिस्थिति को देखते हुए, सदन की परम्परा को देखते हुए कार्य-स्थगन का विषय नहीं लिया जायगा क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान यह विषय उठाये जा सकते हैं । उसके बाद व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देकर सारी बातें जो कही गयी हैं वह नहीं कही जानी चाहिये थीं ।

(शोर)

माननीय बच्चा पाठक के एक मामले के सम्बन्ध में सी० आई० डी० की जांच चल रही है । जांच के दौरान इस तरह के अनर्गल आरोप लगाये जायं, बेईमान बताया जाय और उनको हासुका में बन्द करने की बात की गयी है तो क्या यह सारी बातें मान्यवर, कार्यवाही का हिस्सा बन सकती हैं ?

(शोर)

कल एक प्रश्न उठाया गया है कि जो व्यक्ति इस माननीय सदन के सदस्य नहीं हैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगाये जा सकते ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री राम गोविंद चौधरी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपसे पहले जो माननीय अध्यक्ष महोदय इस कुर्सी पर विराजमान रहे हैं कार्य-स्थगन के विषय में उन्होंने एक परम्परा डाली थी कि कार्य-स्थगन के जितने भी प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष को पेश किये जाते थे और जितने माननीय सदस्य प्रस्ताव दिये होते थे उन सब प्रस्तावों को वह पढ़कर सुनाते थे कि कौन से सदस्य ने किस गम्भीर समस्या पर प्रस्ताव दिया है । श्रीमन्, उसके बाद विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये अध्यक्ष महोदय बोलने की इजाजत देते थे और उस सम्बन्ध में माननीय मंत्रियों को निर्देश देते थे कि इसमें आप यह कार्यवाही करें । लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपने मामला उल्टा कर दिया । आपके सामने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिये जाते हैं, किस सदस्य ने दिया है और उसका विषय क्या है उसके बारे में कुछ बताते नहीं हैं । किसका विषय कितना गम्भीर है उसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं । केवल सुनने के लिए कह देते हैं ।

मान्यवर, यह जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । मैं बलिया जनपद से आता हूं । हमारे बलिया जनपद की छवि धूमिल करने का काम अखबार के लोग और शासन के लोग कर रहे हैं । एक निर्भीक, साहसी और ईमानदार मंत्री बच्चा पाठक जो भूतपूर्व मंत्रिमंडल के सदस्य थे उनके विषय में बहुत सी बातें अखबारों में प्रचारित की गयी हैं कि उनके घर से 26 लाख रुपया चोरी गया है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि एक ईमानदार, साहसी मंत्री जो जो

तिवारी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, ऐसे आदमी के प्रति लांछन लगाकर हमारे जिले की छवि धूमिल क्यों की गयी है ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी न्यायिक जांच द्वारा इस बात की जांच करायें कि ऐसी गलत खबरें अखबार में क्यों प्रचारित की गयीं । नहीं तो माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में आश्वासन दें कि अगर यह बात सही है तो यह 26 लाख रुपया कहां से आया और अगर आया या तो मुख्य मंत्री की सहमति से आया नहीं, अगर हां, तो पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार के शिकंजे में फंसा है । मैं मानता हूं कि वह बातें गलत हैं । लेकिन अगर जांच के दौरान वह बातें सही हों तो माननीय मुख्य मंत्री जी के मंत्रिमंडल के वह सदस्य थे । उनके घर में 26 लाख रुपया पाया गया है तो माननीय मुख्य मंत्री, नारायण दत्त तिवारी जी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह मुख्य मंत्री के पद से त्याग-पत्र दें और अपने मंत्रिमंडल को भंग कर दें तथा नया मंत्रिमंडल जो ईमानदार, स्वच्छ प्रशासन देने वाला हो, जनता के हित में कार्य करने वाला हो वह नया मंत्रि-मंडल बने अन्यथा बरचा पाठक पर जो आरोप लगाये गये हैं उनको गलत साबित करें ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मेरा निवेदन यह है...

एक सदस्य---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । कौशिक जी को बोलने दें।

श्री कौशिक, रमाशंकर--

मान्यवर, कार्य-सूची की मद संख्या 19 में कार्य-स्थगन प्रस्ताव आपने लिखवाया है । कार्य-स्थगन प्रस्ताव जब कार्य-सूची में आया है तो आपकी यह व्यवस्था कि अभिभाषण के मौके पर इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने का हक है, क्या मान्यवर, सही है ? दूसरी बात यह है कि आज इतने महत्वपूर्ण सवाल हैं, बरवा पाठक का सवाल है, हरदोई जिले में छात्रों पर गोली चली है । पूरे प्रदेश के छात्रों में आक्रोश है । कोई बड़ी घटना घट सकती है । परीक्षाओं का समय चल रहा है । हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट की परीक्षायें होने वाली हैं । यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । तो मेरा आपसे निवेदन है कि कार्य-सूची की मद संख्या 19 के अनुसार आप उन सभी बातों पर और ग्राह्यता पर विचार करने के लिए लोगों को अपनी बात कहने का मौका दें क्योंकि बच्चा पाठक ने सारे लोगों की छवि को, पूरी मिनिस्टरी की छवि को बिगाड़ा है । जब वह मिनिस्टर रहे, अगर उनको पैसा मिला, तो उसी जमाने में मिला होगा । उसमें इस मिनिस्ट्री के कई लोग शामिल थे । मेरा निवेदन है कि अपनी व्यवस्था को बदलने की कृपा करें और सभी विधायकों को आप सुन लें और जो भी ज्यादा मुनासिब हो उसको ले लें ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं अध्यक्ष पीठ से दिये गये पूर्व दृष्टांत का हवाला देना चाहता हुं, जिसने आप पर यह आरोप लगाया है कि कार्यवाही नियम विरुद्ध है यह गलत है, इस समय कार्य स्थगन प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष, खारिज करने के बाद, अस्वीकार करने के बाद उन सबको सुन सकते हैं और इस समय आप सही रूप में सुन रहे हैं । आप सुन सकते हैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समय कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है ऐसे पूर्व दृष्टांत हैं । श्री बच्चा पाठक के बारे में जो संदर्भित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यक्ति ने आरोप लगाया, उसने एक वाक्य और कह दिया, उसने कहा कि इसमें और भी मंत्रि मण्डल के सदस्यों का इन्वाल्वमेंट है, नाम नहीं लिया, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ ? इसका मतलब हुआ कि इस सदन में बैठे हुए सभी मान्यवर मंत्रिमन्डल के सदस्य और हम सब कलंकित हैं । इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि मंत्रि मन्डल के सदस्यों के बारे में जो बात है, माननीय मुख्य मंत्री जी इसका स्पस्टी-करण करें, जिससे शुद्ध बात सामने आ सके । यह बात सही है मान्यवर, कि बच्चा पाठक पर जो आरोप लगाये गये हैं, इससे गन्दे आरोप दूसरे नहीं हो सकते हैं इस पर चर्चा जरूर करा दें । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर कहें श्री बच्चा पाठक को भी अपना मत प्रस्तुत करने का मौका दिया जाय । इसलिए मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि इस पर चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष--

जो चर्चा आप चाहते थे, वह चर्चा से ज्यादा चर्चा हो गयी।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, अभी हमारा सवाल बाकी है ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपा करके बैठ जायं । गौरी शंकर भइया जी आपसे अनुरोध है, कृपा करके बैठ जायं। बर्क साहब आप बैठ जायं । आप सब लोग कृपा करके बैठ जायं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री नरेन्द्र देव--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस समय सदन के माननीय सदस्यों खासकर विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से हमारा आग्रह है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, इसलिये आप लोग मेरी बात को भी सुनें ।

(व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

(श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अध्यक्ष--

माननीय यदुनाथ सिंह, कृपा करके आप अपनी सीट पर वापस जायं ।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, हमें भी दो मिनट का मौका दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप अपनी जगह बैठ जायं । मैं आपको सुन लूंगा ।

(श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर से वापस अपनी जगह चले गये ।

(शोर)

श्री यदुनाथ सिंह---

मान्यवर, 26 लाख रुपये की जो वारदात हुई यह गलत है या सही है इसके बारे में मुख्य मंत्री जी बता दें।

(शोर)

सुदामा पाठक, बच्चा पाठक जी के सगे भाई हैं । यह ठेकेदार हैं । यह मंत्री जी के शय पर भ्रष्टाचार करते हैं। धांधलेबाजी करते हैं । मान्यवर, नेता

†दिनांक 18 मार्च, 1985 की कार्यवाही से ।

सदन के सामने गौरी भइया जी की बात आई, किरनपाल सिंह जी की बात आई। माननीय नेता सदन फिर भी उस पर दो शब्द नहीं बोले। इस तरह उनका न बोलना अव्यवस्था है। मान्यवर, कार्य-स्थगन में जो आप लेते हैं, उसमें कम से कम राज्यपाल के अभिभाषण की वजह से, समय न देना कोई औचित्य नहीं है इतने बड़े उत्तर प्रदेश में, इतनी बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में यदि ऐसी कोई वारदात होती है कोई घोटाला होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि राज्यपाल के अभिभाषण के समय, कार्य-स्थगन को न सुनें। मेरा सदन के फ्लोर पर जाने का यही मतलब था कि माननीय नेता सदन कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात सुन लेंगे। कृपा करके आप लोग बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप उनको बोलने क्यों नहीं देते ? आप सब बैठिए।

श्री नरेन्द्र देव--

मान्यवर, इस सदन में दो नजरिए के लोग हैं। दो पक्ष के लोग हैं।

(मुहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आजम साहब आप बैठ जायं

(व्यवधान)

आप सब बैठ जायं। चर्चा से ज्यादा चर्चा हो गई है। अब आप सब बैठ जायं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री नरेन्द्र देव--

माननीय अध्यक्षजी, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद देने और उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह बात कह रहा था कि पूरे सदन में दो नजरिए के लोग बैठे हैं। दो दृष्टि-कोण के लोग हैं जैसे एक गिलास आधा भरा हुआ है तो उसमें एक पक्ष के लोग एक नजरिए के लोग यह सोचते हैं कि यह गिलास जो आधा भरा हुआ है इसे पूरा कैसे भरा जाए। और दूसरे पक्ष के लोग उस गिलास को ही गालियां देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यह गिलास क्यों नहीं भरा है। इस गिलास को यह हमको दे दें। यह दो नजरियों के लोग होते हैं। एक नजरिया निश्चित ही रचनात्मक होता है और दूसरे नजरियों के लोग प्रदेश के निर्माण में रास्ता नहीं दे सकते हैं।

मान्यवर यहामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में खरीफ की जो चर्चा की है उसके लिये हमारे माननीय मुख्य मंत्री और उनके मंत्रिमन्डल के सहयोगी मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहिये और बधाई देना चाहिये। जो उन्होंने विषम परिस्थितियों में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया है। इस अभिभाषण में यह बात कही गई है कि इस बार सिंचाई में लघु सिंचाई की मद पर 60 प्रतिशत पैसा निश्चित किया गया है। यह प्रसंशनीय बात है। क्योंकि लघु सिंचाई से ही कृषि की छोटी-छोटी जोत का मालिक राहत महसूस कर सकेगा। मैं एक बात स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा कि जो योजनायें सरकार के माध्यम से इस सदन में रखी जा रही हैं, उस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों का उत्तरदायित्व हो जाता है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को उसकी पूरी जानकारी दें और उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित कराने में ताकत लगावें, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में ताकत लगायें। जो भी विकास

कार्यक्रम प्रदेश या देश में चल रहे हैं, वह प्रदेश और देश को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ एक पार्टी या किसी एक दल को नहीं।

मैं आपके माध्यम से विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि ठीक है नीति में वह हमसे मतभेद रखे, सदन में हमारे साथ विवाद करें। लेकिन 20 सूत्रीय कार्यक्रम में, विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री का साथ एक जुट होकर दें। सभी कार्यक्रमों को क्रियान्वित कराकर प्रदेश को आगे बढ़ायें। मान्यवर एक चीज की मैं चर्चा करना चाहूंगा पिछले सालों एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम चला आई0 आर0 डी0 इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में कुछ लोग अड़चन पैदा कर रहे हैं ऐसे लोग देश को बड़ा नहीं समझते बल्कि पैसे को बड़ा समझते हैं। ऐसे लोग आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में रुकावट डाल रहे हैं। आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये, जैसा पिछले आंकड़ों से स्पष्ट है लगभग 70 प्रतिशत पैसा जो खर्च किया जाता है वह वापस नहीं आता है। इस कारण यह होता है कि पूरा पैसा लाभार्थी तक पहुंच नहीं पाता है। वह कायदे से कम नहीं कर पाता है। मैं चाहूंगा इसमें बीच में एजेन्ट की नियुक्ति की जाय। आई0 आर0 डी0 से 10 प्रतिशत पैसा उन एजेन्टों पर खर्च किया जाय और एजेन्टों की जिम्मेदारी हो कि वह उद्योग स्थापित करायें तथा उस कर्ज का पूरा उपयोग करायें तथा उसको वापस करायें। इन एजेन्टों पर 10 प्रतिशत पैसा खर्च किया जाय। इससे बहुत से लोगों को रोजी मिलेगी और नौजवानों के सहयोग से आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम कायदे से चल पायेगा। आज प्रदेश में जो सड़कों का जाल बिछा है, नहरें बनी हुई हैं या स्कूल भवन बने हुए हैं यह सारा कुछ इसी 20 सूत्री कार्यक्रम की देन है।

मैं अन्त में अपने जनपद मिर्जापुर के बारे में एक दो बातें निवेदन के रूप में कहना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम की चर्चा है। मैं चाहूंगा कि मिर्जापुर जनपद को इसमें शामिल किया जाय क्योंकि हमारे यहां अभी तक पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के कार्यक्रम का उपयोग नहीं हो पाया। हमारा जनपद बहुत ही पिछड़ा जनपद है। दक्षिणांचल में बड़े-बड़े उद्योग हैं लेकिन मिर्जापुर शहर के आस-पास राजगढ़, चुनार और मछवा के इलाके बहुत पिछड़े हुए हैं। अन्त में मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए विदा लेता हूं।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उसमें निम्नलिखित जोड़ दिया जाय कि खेद है कि मान्यवर एजेंडे में लिखा है चाहे इस पक्ष के लोग हों चाहे उस पक्ष के लोग हों महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर केवल एक पक्ष की बात कहकर और उसमें अन्त में सभी सदस्य कहते हैं कि यह काम हो जहां गड़बड़ियां हो रही हैं उनको दूर किया जाय और हमारे क्षेत्र में यह पिछड़ापन है, हमारे क्षेत्र में यह काम होना चाहिये, नहरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है कहते सभी सदस्य हैं। मान्यवर, कोई एक पक्ष की बात महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहने की बात नहीं है। हमें देखना है कि पिछले 37-38 सालों से एक पार्टी की 33-34 साल से हुकूमत है। इस हुकूमत में इन लोगों ने इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश में क्या किया है? हमारे क्या आंकड़े हैं, हमारी स्थिति क्या है? क्या हम तरक्की के रास्ते पर जा रहे हैं या हम प्रदेश को पीछे ले जा रहे हैं, जो आंकड़े हैं वह मान्यवर, हमारे नहीं हैं वह आंकड़े सरकारी हैं। इन

आंकड़ों को अगर देखा जाय तो उससे विदित होगा कि यह प्रदेश आज 15वें नम्बर पर है । आज बिहार को छोड़कर प्रति व्यक्ति औसत आय में हमारा प्रदेश 15वें नम्बर पर आता है और कहा जाता है कि हम तरक्की कर रहे हैं ।

मान्यवर, इस सरकार को जनता ने चेतावनी देकर भेजा है लेकिन मुझे दुख है मान्यवर, जहां पिछले विधान सभा में इनकी संख्या 306 थी आज 267 रह गयी लेकिन उन्होंने इसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया । जो मसौदे उन्होंने पेश किये हैं वह निहायत निराशा-वादी हैं और उससे पता चलता है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़ने वाला नहीं है । मान्यवर उन्होंने उनकी सरकार ने मूल रूप में इस चुनाव में बड़े पैमाने पर बूथ कैपचरिंग, गुंडई, धांधली किया है और उसी के जरिये से चुनकर आये हैं । मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं मान्यवर, हमारे अंत्र में करछना में एक भूतपूर्व मन्त्री लड़ रहे थे । 40 लख रुपया खर्च किया इसमें 400 कारबाइन बंदूक, राइफलें थीं । मान्यवर, ऐसी गुंडई न तो पहले कभी हुई है और शायद न कभी होगी । यही नहीं मान्यवर आपके चेयरमैन भी कनवेसिंग करने गये थे । मान्यवर, अगर हम सरकारी तंत्र को, प्रशासन को अपना कार्यकर्ता मानकर कार्य करेंगे तो यह शासन और प्रशासन चलने वाला नहीं है ।

मान्यवर, यह सत्ता पक्ष के लोग अधिकारियों को अपना कार्यकर्त्ता मानकर काम कर रहे हैं इसी वजह से आज शासन में गिरावट है, आज शासन का भय नाम को कोई चीज नहीं रह गयी है और खुले आम असामाजिक तत्व शासन को चुनौती दे रहे हैं । मान्यवर, मेरे चुनाव क्षेत्र के बगल में हंडिया में श्री राकेश दत्त त्रिपाठी चुनाव जीत कर आए हैं, उनके ऊपर गोली चलाई गयी । वे मरते-मरते बचे । उनके शैंडो को गोली लगी । मारा उनको गया, शैंडो उनका घायल हुआ लेकिन उन्हीं पर 302 लगाकर मुजरिम बनाया गया है । इस तरह की हरकतें आज से नहीं पहले से यह सरकार करती आ रही है । कोई मामला होता है तो सी० आई० डी० की इन्क्वायरी करा देते हैं । जो कत्ल करे, जरायम करे, सजा उसको देने के बजाय उसके ऊपर सी० आई० डी० इन्क्वायरी करा देते हैं ताकि मामला दबा रहे और रफा-दफा कर दिया जाय ।

मान्यवर, इसके बाद कुछ और क्षेत्रों का जिक्र करना चाहूंगा । एक श्री किशन सिंह तोमर हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, मोदीनगर से । चुनाव के बाद पुलिस ने उन पर हमला किया, उनके दो भाइयों को पकड़कर बन्द किया, प्रताड़ित किया, उनके सात कार्यकर्ताओं को तमाम दफाओं में बन्द कर दिया और पुलिस ने ऐसी घेराबन्दी कर दी है वे अपने घर नहीं जा सकते हैं । मान्यवर, हमारे पास कुछ फोटो हैं जो मैं आपके पास भेजना चाहूंगा । उनके 4-5 साल के छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा और उसको लाठियों से पीटा और घायल कर दिया । फोटोग्राफ इस भाषण के बाद मैं आपके पास भेजूंगा । मेरा साफ आरोप है कि पुलिस इनके कब्जे में नहीं है । पुलिस बर्बरतापूर्ण कार्य पूरे प्रदेश में कर रही है । मान्यवर इसी तरह से मुजफ्फरनगर में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो वहां से जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें और उनके 9 साथियों को इनकी पार्टी के, सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर, जिन लोगों ने इशारा किया है उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और उनके साथ के 9 कार्यकर्ताओं को भी जेल भेज दिया गया । उनका कसूर यह था कि वे चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार थे । मान्यवर, इस तरह की घटनाएं होंगी तो प्रजातंत्र जनतंत्र चलेगा नहीं । मान्यवर, आप स्वयं देख रहे हैं कि प्रजातंत्र पर तमाम असामाजिक तत्व और धनलोभी हावी होते जा रहे हैं । मुख्य मन्त्री जो इस समय नहीं हैं संसदीय कार्य मंत्री

जी बैठे हैं मैं चाहूंगा कि वे इन बातों को सुन लें । ज्यादातर मंत्रिमंडल इस समय सदन में नहीं है उनको यहां की बातों से कोई मतलब नहीं है कि सदन में क्या हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी, मुनासिब यह होगा कि आपके मंत्रिमंडल के लोग यहां मौजूद रहा करें ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)--

मान्यवर, यहां पर मंत्रि-मण्डल के सदस्य बैठे हैं और रेवती रमण सिंह जी ने जो बातें कहीं हैं मैं उनको नोट कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मन्त्रियों के यहां पर रहने से सदन की भी शोभा बढ़ेगी ।

श्री रेवती रमण सिंह--

माननीय गृह मन्त्री भी नहीं हैं, जिनसे सम्बन्धित मामला है । मान्यवर, जिस तरह से यह सरकार काले धन से और असमाजिक तत्वों की सांठगांठ से बनी है, ऐसा कभी देखने में नहीं आया । अभी मैंने देखा कि राज्यपाल के अभिभाषण में इन्होंने बड़ा ढिंढोरा पीटा है कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में पूर्णरूपेण तो नहीं, लेकिन लगभग आत्मनिर्भर हो गया है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के रकबे को आप देखें । उत्तर प्रदेश का रकबा है 2,98,413 वर्ग किलोमीटर । पंजाब और हरियाणा को लीजिये । पंजाब का है 50,362 वर्ग किलोमीटर और हरियाणा का है 44 222 वर्ग किलोमीटर । उत्तर प्रदेश से ये दोनों प्रदेश दुगुने और तिगुने छोटे प्रदेश हैं । लेकिन पंजाब भारतवर्ष का 40 प्रतिशत अनाज अकेले पैदा करता है और उत्तर प्रदेश अभी केवल आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर है । अगर उत्तर प्रदेश में किसानों को सभी समुचित सुविधायें उपलब्ध करा दी जायं तो मेरा दावा है कि उत्तर प्रदेश न केवल भारत को बल्कि विदेशों को भेजने के लिये अनाज पैदा कर सकता है । बड़े दुख की बात है कि आज न तो किसानों को सस्ती बिजली समय से मिल पाती है और न सिंचाई के लिये पानी मिल पाता है । आज उनके खेत और खलिहान सूख रहे हैं । खाद महंगी हो रही है, उसमें मिलावट हो रही है । यह सरकार किसानों को वह सुविधायें भी उपलब्ध नहीं करा पाती है जो उसके लिये आवश्यक है । इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं । बड़े-बड़े आंकड़े यह सरकार देती है । जब हम पंजाब और हरयाणा जैसे छोटे प्रदेशों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो फिर किससे मुकाबला करेंगे ? मैं चाहूंगा कि सरकार किसानों को इस मामले में वरीयता दे ।

प्रदेश के लगभग 80 फीसदी ट्यूबवेल खराब हैं और यही हालत नलकूपों की है । इस सरकार के मन्त्री लोग बेचारे दिल्ली में व्यस्त रहते हैं, जिलों में जाकर नहीं देखते हैं कि नलकूपों की क्या हालत है ? नलियां ध्वस्त हैं, मोटर जले हुये हैं, बिजली नहीं आ रही है । लेकिन किसी को फुरसत नहीं है । मिनी सचिवालय और इस सचिवालय में बैठकर फाइलों में दस्तखत होते हैं और चमचों से वार्तालाप होता है । प्रदेश की जनता के बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं है ।

यह भी सरकार ने ढिंढोरा पीटा कि चीनी गन्ना किसानों को उचित मूल्य पर दिलायेगी । 22 रुपये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 21 रुपया पूर्वी उत्तर प्रदेश में देगी । चीनी आज क्या भाव बिक रही है । कन्ट्रोल में 4 रुपया किलो और बाजार में पांच सवा पांच रुपये । मैं चाहूंगा कि पुराना एक सिद्धान्त माना गया था कि जितने रुपये मन गन्ना हो उतने आना किलो चीनी होनी चाहिये । उस हिसाब से 30 रुपये क्विंटल आज बैठता है । किसानों का कितना पैसा बकाया है ? उनको बकाया नहीं मिल रहा है । वे

परची लिये हुये घूमते रहते हैं और सरकार उनको जेल में भी भेज देती है और कहती है कि उनके ऊपर सिचाई और मालगुजारी का बकाया है। जो पैसा उनका बाकी है, उनके देनदार भी आप हैं। वह जेल जायेगा, दर-दर की रोटी खायेगा, उसका पैसा नहीं मिलता है तो वह कहां से पैसा देगा।

इन्होंने कहा कि सिचाई की सिचन क्षमता भी बढ़ रही है। आज 37 साल को आजादी के बाद भी 60/70 फीसदी जमीन असिंचित है। आज किसान भगवान के ऊपर निर्भर है कि पानी बरस गय तो वह अन्न पैदा कर पायेगा वरना उस जमीन में कुछ भी पैदा नहीं होता है। उसमें जो बिसार है, दीज लगता है, वह भी नहीं निकल पाता है।

मान्यवर, जो इनके आंकड़े हैं, उसके अनुसार एक ट्यूबवेल ढाई सौ एकड़ सिचन करता है, लेकिन जो मेरी जानकारी है, उसके अनुसार एक ट्यूबवेल से सौ एकड़ से भी कम सिचन होता है मान्यवर, जब इनके 80 फीसदी ट्यूबवेल खराब पड़े हैं तो कहां से सिचाई होगी। आज गेहूं का उत्पादन प्रदेश में चार गुना बढ़ जाय, अगर पूरी तरह से सिचाई सुविधा उपलब्ध हो जाय। गेहूं तैयार है, लेकिन नहर में पानी नहीं है। हमारे सिचाई मन्त्री जी, बिजली मन्त्री जी को फुर्सत नहीं है कि इस बात का फैसला कर लें कि 25 दिन तक लगातार किसान को अविरल गति से बिजली दी जाय। बहुत व्यस्त लोग हैं, उनके पास किसानों के लिये कहां वक्त है, वोट के समय ही किसान याद आता है। वोट लेने के बाद इस सरकार को किसान कभी याद नहीं आता है। इसी प्रकार मान्यवर औद्योगिक क्षेत्र की बात है। बहुत बातें इस सम्बन्ध में कही गयीं लेकिन, आज औद्योगिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश-महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात इन सब प्रदेशों की तुलना में पीछे ही जा रहा है, कहीं आगे नहीं जा रहा है। और अगर यही गति रही तो बिहार से जो हम ऊपर हैं, उस बिहार से भी पीछे हम आने वाले हैं, अगर इस सरकार की यही गति रही।

इसके अतिरिक्त, मान्यवर, पब्लिक सेक्टर में जो भी इंडस्ट्री लगायी गयी हैं, वह सीमित हैं। उसकी सीमा काशीपुर माननीय मुख्य मन्त्री जी का क्षेत्र और या इससे हटकर नैनीताल और इसी के अगल-बगल के क्षेत्रों में ही हैं और इधर अमेठी और रायबरेली में। इसके अलावा मान्यवर, सार्वजनिक उपक्रम इस प्रदेश के कहीं पिछड़े जिले में भी लग रहे हैं। और तमाम 56 जिलों को तो सार्वजनिक उपक्रम नसीब नहीं हो होते हैं। मान्यवर, इस तरह से जितनी प्रगति है, वह इन तीनों जिलों में ही सीमित होकर रह जायेगी और इसी से प्रदेश की पूरी प्रगति का का पैमाना बना दिया जायेगा।

औद्योगिक शान्ति के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही हैं। औद्योगिक शान्ति के नाम पर मान्यवर, इनकी सरकार केवल पूंजीपतियों और मिल मालिकों से ही मिलकर इन मजबूर, अनपढ़ मजदूरों का गला काट रही है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा पिछली विधान सभा में तत्कालीन श्रम मन्त्री जी ने एक आश्वासन दिया था। सुरेन्द्र मोहन जी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वह भूख हड़ताल पर बैठे, मोदीनगर के खिलाफ। उसकी बाबत श्रम मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि जो मजदूर इसमें काम कर रहे थे, उनको उसमें जरूर रखा जायेगा, उनको उससे निकाला नहीं जायेगा। माननीय मन्त्री जी ने आदेश भी दिये, डिप्टी लेबर कमिश्नर ने भी आदेश दिये, लेकिन मिल मालिकों ने उससे इंकार कर दिया। 1984 से अब 1985 आ गया, 10 हजार मजदूर सड़क पर झोला लेकर घूम रहे हैं, उनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। लेकिन सरकार को अपने आश्वासन

का कोई ख्याल नहीं है । आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, इस सरकार को कि कम से कम इतनी तो शर्म करें, जो उन्होंने बातें कहीं थीं, वह पूरी नहीं हुई हैं । मान्यवर, चाहे मोदी हो, टाटा हो या बिड़ला हो, सरकार से बड़ा कोई नहीं है । कम से कम अपने आश्वासन को पूरा करने की चेष्टा करें । एक निश्चित समय में एक निश्चित अवधि में अपने आश्वासन को पूरा कर इस सदन में घोषणा कर कि जो बात कही थी, हमने उसको पूरा कर दिखाया है ।

आज 20 सूत्री कार्यक्रम की बड़ी बातें सुनने में आती हैं । मान्यवर, हमें 20 सूत्र तो नहीं मालूम लेकिन, एक ही सूत्र दिखाई पड़ता है और यह है भ्रष्टाचार । जितने गरीब आदमियों को विकास खंडों के द्वारा ऋण का वितरण होता है, मान्यवर, आप देख लें उस बेचारे को आगे बढ़ाने के बजाय और गरीब कर दिया जाता है । उसको जो भैंस उपलब्ध करायी जाती है, वह ऐसी होती है जो 3–4 लीटर से ज्यादा दूध न दे सके । 5 हजार रुपये की जगह 3 हजार रु0 दिया जायेगा । आधा तो अनुदान मिलता है । कुछ तो विकास खंड अधिकारी खा जाता है । इसके बावजूद, ऐसा सामान उसे मुहैया करवाते हैं, जो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है । सामान खरीदने के लिये दुकानों को भी निश्चित किया गया है कि इसी दुकान से वह सामान खरीदे । गरीबों को लाउडस्पीकर दिये जा रहे हैं। वे लाउडस्पीकर ऐसे हैं, जिनसे आवाज ही नहीं निकलती है । जैसे इस सरकार की आवाज नहीं निकलती है । मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में, चाहे इस दल के लोग हों और चाहे उस दल के लोग हों, उनका भी सक्रिय सहयोग लिया जाय और उनसे प्रमाण–पत्र लिया जाय कि सामान उसे सही मिला है कि नहीं। इसे करने में सरकार को क्या कठिनाई है, मेरी समझ में यह नहीं आता।

मान्यवर, इस सरकार ने एक व्यवस्था और की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बल्ब लगाने की । यह एक अच्छी बात है । इस पर 2 करोड़ 9 लाख रुपए का खर्चा हुआ । अगर जब ये बल्ब फ्यूज हो जायेंगे तो इसकी क्या व्यवस्था होगी । इसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है । हरिजन बस्तियों में इन्होंने जीरो वाट के बल्ब या 25 वाट् के बल्ब लगा रखे हैं, जिनसे प्रकाश बहुत कम होता है । मेरा सरकार से कहना है कि यदि आपको विद्युतीकरण ही करना है तो आप इन बल्बों की जगह पर ट्यूबलाइट लगवा दें और उन्हें किसी कवर से ढक दें ताकि वे जल्दी फ्यूज न हो पायें और लम्बे समय तक चल सकें ।

अब विद्युत् की बात आती है । आपने भी इस पर निर्देश दिया है कि 21 तारीख को इस पर सरकार का वक्तव्य आयेगा । अब आप विद्युत् के मामले में इस प्रदेश की स्थिति को देखें । आज पूरे प्रदेश में 65 मिलियन यूनिट विद्युत् की आवश्यकता है मगर आज तापीय व जल विद्युत् गृहों से जो बिजली पैदा हो रही है, वह केवल 32 मिलियन यूनिट है । अब आप बतायें कि 35 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति कहां से होगी ।

अन्य प्रदेशों से जो बिजली की आपूर्ति इस प्रदेश को हुई, इन 11 महीनों में, उस पर 170 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं । इतना रुपया खर्च करने के बाद भी इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यह आज भी अन्धकार में डूबा हुआ है । किसानों की फसल नष्ट हो रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनके बोर्डस के इम्तहान हो रहे हैं । कम से कम बच्चों को तो बिजली उपलब्ध करवा दीजिए ।

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली केवल 2–3 घन्टे दी जा रही है । आज इस प्रदेश का जो प्लान्ट लोड फैक्टर है वह केवल 31 प्रतिशत है जो भारत–वर्ष में सबसे कम है, अन्य प्रदेशों की तुलना में भी कम है। 3,700 मेगावाट बिजली के स्थान पर केवल 1,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा

रहा है यह इस सरकार की कार्यक्षमता का परिचायक है।

मान्यवर, महाराष्ट्र ने जिस चेयरमैन को अपने यहां से निकाल दिया था, उस चेयरमैन को हमारे प्रदेश ने अपने यहां रख लिया क्योंकि इनको कोई दूसरा आदमी इस प्रदेश में मिला ही नहीं। हमारी जो योजनायें चल रही हैं 2-3 सालों से, उन्हें 7 मंजिले भवन में बैठ कर देखा जा रहा है। यहीं से संचालन करते थे। कांग्रेस का भी बहुत प्रकार किया। मेरा आरोप है कि डेढ़ लाख का चन्दा कांग्रेस को दिया है। इसकी जांच करा ली जाय अगर सत्य हो तो जो भी कार्यवाही उचित हो की जाय। प्रदेश में लोहा, सीमेन्ट, कोयला, डीजल, मिट्टी के तेल के दाम निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। मिट्टी का देल मिल नहीं रहा है। सीमेन्ट 70 रुपये में, लोहा 600 रुपये कुंटल है। डीजल महंगा हो गया है और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है।

इस कांग्रेस की हुकमत में जितना नरसंहार और दंगे हुए उतना एक दशक में पहले कभी नहीं हुए। प्राइमरी स्कूलों की कमी है। भवन नहीं है, जो हैं वहां पढ़ने लायक नहीं है। दो-दो, तीन-तीन कि0 मी0 तक बच्चों को पैदल जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। इस लिए मैं चाहूंगा कि और स्कूल खोले जायें और जो हैं उनके भवन बनवायें जायें।

जनता शासन में कन्ट्रोल की दुकानों पर लाइन लगना बन्द हो गया था। चीनी, गेहूं, चावल या मिट्टी के तेल के लिए कोई लाइन नहीं लगती थी। दो रुपये कि0 चीनी थी, आज 4 रुपये है। यूरिया खाद 72 रु0 थी आज 112 रुपये हो गई। 1970-71 से 1982-83 में 11 वर्षों में केवल पौने तीन फीसदी की वृद्धि हुई है। इससे साबित होता है कि प्रदेश चल नहीं रहा है केवल रेंग रहा है। जनता शासन में खाद्यान्न में 7 से 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। आज आधी छटांक दाल एक आदमी के हिस्से में नहीं आती है। 1971 में 7 करोड़ व्यक्ति निरक्षर थे, 1981 में 8 करोड़ 5 लाख हो गये। ये आंकड़े हैं, मान्यवर।

मान्यवर, प्रदेश में बिजली की खपत को लें, 87 यूनिट मात्रा है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर 142 है। हमारे प्रदेश में विद्युतीकरण केवल 100 में से 47-48 ग्रामों में कर पाये हैं जबकि अन्य प्रदेशों जिनमें हरियाणा, केरल, पंजाब, तामिलनाडु में 85 प्रतिशत ग्रामों में हो चुका है। हमारे यहां प्रति व्यक्ति खर्च 528 रुपये आता है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर 699 इसी लिए हमारा प्रदेश 15वें स्थान पर आता है। इसी लिए मैं कहना चाहूंगा कि जनता ने जो जनादेश दिया है उसको मान कर काम करिये तो जनता फिर आपकी तरफ देखेगी वरना दोबारा उधर नहीं बैठेंगे। और जो हमारे राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है उसमें वह सब जोड़ दिया जाय। धन्यवाद।

श्री गंगा स्वरूप भटनागर--

आपने जो मुझे मौका दिया है मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का, उसके लिए मैं आभारी हूं। मैंने अभिभाषण पढ़ा और उससे विदित हुआ कि हर तरफ, कृषि में, बिजली में, जितने भी हैं, उनमें बढ़ोत्तरी, तरक्की हुई है और तरक्की होती जायगी। अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ जो दिक्कतें हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूं।

(1 बजकर 20 मिनट)

मैं अपने क्षेत्र की दिक्कतों के बारे में कह रहा था। मेरा गोजर का इलाका है बेहटा, जिला सीतापुर में। उसमें जो उधर नये थाने बने हैं वह इस तरीके से बने हैं कि एक थाने की हद के अन्दर दूसरे थाने के गांव हैं। मेरा निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाय जिससे कि इन्तजामी हालात हों और जनता को सुविधा मिल

सके । हमारे यहां फूस के मकान ज्यादा हैं जिसमें कि आग लग जाती है । अभी थाना गांव मौजे में आग लगी, 250 मकान जल गये । इसके अलावा दो तीन जगह और आग लगी है । इसमें 50 रु0 दिये जाते हैं सरकार की तरफ से मदद के तौर पर । मेरा सुझाव है कि इसको बढ़ा कर कम से कम 200 रु0 कर देना चाहिये, जिससे उनको कुछ दिनों के लिए तो राहत मिल सके। मेरे क्षेत्र की पैदावार गन्ना है, लेकिन इसका फायदा वहां के लोग नहीं उठा पाते हैं । मेरा सुझाव है कि वहां पर एक चीनी मिल लगाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए ।

(इस समय 1 बज कर 22 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लाल प्रताप सिंह, पीठासीन हुए ।)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शान्त रहें ।

श्री गंगा स्वरूप भटनागर--

मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है । वहां पर एक डिग्री कालेज का होना लाजिमी है । वहां पर इन्टर कालेज किसी तरह से दिया गया है, डिग्री कालेज वहां पर जल्द से जल्द करने की व्यवस्था की जाय ।

श्री बदन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसमें बहुत सी उन बातों की चर्चा नहीं की गयी जो मैंने इसके लिए संशोधन दिये गये हैं, वह इसमें जोड़ देना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता --

एक माननीय सदस्य पीछे सो रहे हैं, उनको जगा दिया जाय ।

श्री बदन सिंह--

माननीय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर...

श्री अधिष्ठाता--

एक माननीय सदस्य पीछे सो रहे हैं, जरा वे व्यवस्थित हो जायं ।

श्री बदन सिंह--

माननीय, इस अभिभाषण में खेती की तरक्की की बात की गयी है लेकिन मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि खेती में जो तरक्की दिखायी दे रही है इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है बल्कि यह किसानों के अपने प्रयासों से खेती में तरक्की दिखायी दे रही है । खेती को उठाने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है । किसान द्वारा प्रयास करके खेती में तरक्की की गयी है और उसी को लेकर ये यहां बढ़-चढ़ कर बातें कर रहे हैं ।

गेहूं की खेती में छोटे और मोटे किसानों ने स्वयं तरक्की की है लेकिन चना की खेती के लिए शासन की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया, चने की खेती को सरकार नष्ट होने से नहीं बचा सकी है । चना नष्ट हो रहा है और इसी के कारण से दलहन का अभाव प्रदेश में हो गया है । चने की खेती में उखटा नाम का रोग लगता है जिसके बचाव के लिये सरकार अभी तक कोई उपाय नहीं कर सकी है । मैं आप से अनुरोध करना चाहूंगा कि चने की खेती को बचाने के लिए शासन स्तर पर कोई उपचार किया जाना चाहिए ।

यहां सदन में खेती की बात तो बहुत की जाती है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने सिंचाई मन्त्री जी से बात की कि खेतों में फसल खड़ी हुई है, उसमें दाना पड़ने वाला है और खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं मिल रही है जिससे कि किसान परेशान है । तो सिंचाई मन्त्री

जी ने हंस कर कहा कि किसानों ने वोट देने में हमें भी बहुत तंग किया है इस लिए अब थोड़ा उनको भी तंग होने दो। मुझे दुख है कि जिस किसान के वोट से यह सरकार बनी है, उसी को तंग करने की बात यह सोचती है और उसे कोई सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। इस सदन में दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा यह बात यहां उठायी गयी है कि खेती को पानी नहीं मिल पा रहा है और इस कारण से किसान बेहद परेशान है किन्तु इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया कि वह किसानों को पानी उपलब्ध कराने के लिये, बिजली देने के लिये कोई व्यवस्था करने जा रही है।

जहां तक राजकीय नलकूपों का प्रश्न है वह 80 प्रतिशत बन्द पड़े हैं। इसी सदन में एक विधेयक पास हुआ था कि किसानों की खेती की जमीन को नष्ट होने से बचाने के लिये अन्डरग्राउन्ड नाली बनायी जायेगी जिससे कि किसान अपनी जमीन पर फसल की पैदावार कर सके। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में 90 प्रतिशत राजकीय नलकूप की नालियां अन्डरग्राउन्ड नहीं हैं। मुझे अपने यहां की जानकारी है कि सामेरा, उत्तू, घोरौली, जजोली, पाली, पतसाल तथा घिलोरा में जो नलकूप हैं उनकी अन्डरग्राउन्ड नालियां नहीं हैं बल्कि साधारण नालियां भी जमीन के ऊपर नहीं बनाई गयी हैं। मुझे खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि जनता पार्टी के शासनकाल में जो नलकूप लगाये गये हैं, वे आज भी बिना किसी इंजन के, बिना किसी यंत्र के पानी दे रहे हैं, अन्डर ग्राउन्ड नालियां तो बनी ही नहीं बल्कि उल्टे किसानों की जमीन को उन ट्यूबवेलों के पानी द्वारा नष्ट किया जा रहा है। किसान उस पानी का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है।

माननीय, यहां पर मैं एक और बात कहना आवश्यक समझता हूं कि जिस प्रकार से वन विभाग में बनैले पशुओं से वनों की रक्षा करने के नियम बने हुए हैं उसी प्रकार से खेती को पशुओं से बचाने के लिये भी नियम बनाये जाने चाहिये। क्योंकि सैकड़ों की संख्या में नील गाय और अन्य बनैले पशु झुंड के झुंड आकर खेतों को नष्ट कर जाते हैं लेकिन आज तक इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया और न इसके लिये कोई नियम ही बन सका है। इसलिये मैं कहता हूं कि खेती की सुरक्षा के लिये जो कि जंगली जानवरों के द्वारा नष्ट की जाती है, उसके बचाव के लिये इस विधान सभा में कोई न कोई नियम अवश्य बनाया जाना चाहिये। और उसके खेती का बचाव हो सके।

माननीय, इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रकृति से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए प्रदेश में कोई नियम नहीं बना है। नदियों का पानी जो बहता है उससे बाढ़ आ जाती है और हजारों हजार एकड़ जमीन तथा लाखों परिवार उससे नष्ट हो जाते हैं लेकिन उस पानी के सदुपयोग की कोई व्यवस्था यह सरकार नहीं कर पायी है आज नदियों से कटाव बढ़ता जा रहा है। हमारे यहां यमुना और गम्भीर नदियों से बहुत कटाव हुआ है और वह बराबर बढ़ता जा रहा है। उस कटाव को रोकने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है।

मेरे क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र राजस्थान का है। संसदीय कार्य मंत्री यहां पर बैठे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे मेरी बात को ध्यान से सुनें। राजस्थान का रेगिस्तान हमारे प्रदेश की सीमा की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और हमारा क्षेत्र उस रेगिस्तान से प्रभावित हो गया है लेकिन आज तक इस सरकार ने उसे रोकने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया है।

इस अभिभाषण के अन्दर गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने की बात कही गई है लेकिन यमुना नदी इस प्रदेश में मुख्य रूप से प्रदूषण फैला रही

है उसका जल अशुद्ध हो रहा है और वह शहरों को नष्ट कर रहा है । आगरा में उसके जल को प्रदूषित होने से नहीं रोका जा रहा है । वहां पर बहुत सारी टेनरीज हैं, जैसे वासन एण्ड कं0, ताज टेनरी, महाजन टेनरी, पार्क लेदर फैक्ट्री, आगरा टेनरी, दयालबाग टेनरी आदि जिनको प्रदूषण रोकने के लिए प्लांट लगाना चाहिये था लेकिन सरकार के उच्च अधिकारी और इन कंपनियों के मालिक जिनके हाथ में यह सरकार रहती है उन फैक्ट्री वालों से प्लांट नहीं लगा सकी, जिससे पानी व वायु शुद्ध हो सके । इस प्रकार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और आगरा शहर इसका शिकार बन गया है । मैंने इस सम्बन्ध में कई बार सवाल उठाया ।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें आपका समय हो गया है ।

श्री बदन सिंह--

यह सरकार लोक महत्व के सवालों को टालती जा रही है और जनहित के कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है ।

इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश में जहां 35 हजार गांवों को पेय जल देने की बात कही गयी ह, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 3 जिले आगरा, मथुरा और अलीगढ़ ऐसे हैं जो खारे पानी से बुरी तरह से प्रभावित हैं इनका 80 प्रतिशत पानी खारा है, उस खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना नहीं बनायी गयी ह । गांव के गांव ऐसे हैं जिनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है और वहां के लोग तीन-तीन, चार-चार किलो मीटर दूर दूसरे गांवों से पानी लाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ । मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे समय का ध्यान रखें ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मुझे 5 मिनट का समय और दे दें मेरा प्रारम्भ में समय वैसे ही निकल गया । तो मैं खारे पानी की बात कह रहा था कि उसे मीठे पानी में परिवर्तित करने की कोई योजना नहीं है । आप जहां पानी देने की बात करते हैं मैं बताना चाहता हूं कि आपके जल संस्थान द्वारा आगरे जैसे बड़े नगर में पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है । वहां के नागरिकों को सड़ा और कीचड़ व कीटाणु युक्त पानी मिलता है जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां लोगों को हो रही हैं जैसे खुजली, पेचिश, खाज आदि कई तरह की बीमारियां हो रही हैं । आप लोगों को शुद्ध जल नहीं दे पा रहे हैं । जो आपने पेय जल की बात कही है वह केवल योजनाओं के रूप में ही है और अभिभाषण में चर्चा उसकी भर दी गयी है लेकिन व्यवहारिक रूप में कोई योजना कार्यान्वित नहीं हो रही है । जब निगम द्वारा जो योजनायें बनायी गयी हैं उनमें कहीं पर पाइप लाईन टूटी पड़ी हैं तो कहीं पर पानी नहीं है और कहीं पर बिजली पहुंच रही है, इस प्रकार कहीं पर भी जल निगम के द्वारा पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है ।

इसके साथ ही साथ में यह भी कहना चाहूंगा जिसको सभी जानते हैं कि खेती में यूरिया व डी0 ए0 पी0 खाद जो प्रयोग की जाती है उसके भाव आज छः गुने बढ़ गये हैं । इसके साथ ही इन खादों में जो मिश्रण होता जा रहा है उसको यह सरकार नहीं रोक सकी और न रोक पायेगी चूंकि खाद के व्यापारियों से सरकार मिली है । इन शब्दों के साथ में इस अभिभाषण को एक पीली पुस्तक के अलावा कुछ नहीं समझता चूंकि इसमें कोई ऐसी नीति नहीं रखी गयी है जिससे प्रदेश प्रगति कर सके ।

धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक, श्री लाल प्रताप सिंह के अधिष्ठाता पद पर आसीन होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, आप पीठासीन हैं, आप ही के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो रही है, तो यह कहां तक उचित है कि आपकी अध्यक्षता में आपके ही प्रस्ताव पर विचार हो । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । यह औचित्य का भी प्रश्न है कि आपके प्रस्ताव पर विचार व्यक्त किये जा रहे हैं, दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा, यह आपको नोट करना चाहिए चूंकि उनका उत्तर आपको ही देना होगा । अतः आपको अध्यक्षता स्वतः छोड़नी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया है और मेरा यह विचार है कि अध्यक्ष महोदय आ जायें तो यह कृपया पुनः प्रश्न उपस्थित करने का कष्ट करें चूंकि इस समय मैं पीठासीन हूं ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†(††)

*श्री कुंवर बहादुर मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और वह इसलिये कि उन्होंने राज्य सरकार को जिस नीति का और उनके क्रियाकलापों का जो चित्रण किया है वह बहुत सरकार और सफल है, इसलिये मैं उनके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं । मुझे बहुत आश्चर्य इस बात पर होता है कि हमारे विरोधी दल के सदस्य जो बोलने के लिये खड़े हो रहे हैं वह, जितनी नीतियों की चर्चा और जितने कार्यों का उल्लेख राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में किया है, उनका लेशमात्र भी वह चर्चा नहीं करते हैं और उसकी व्याख्या नहीं करते हैं । कभी वह अनर्थक बातों की चर्चा करते हैं । मान्यवर, क्या यह कम प्रशंसा की बात नहीं है कि खाद्यान्न के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हुआ है और छोटे एवं सीमांत कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिये अनेक प्रकार की योजनायें सामने लायी गयी हैं । कृषि के क्षेत्र में अभूत-पूर्व सफलता प्राप्त की गयी है ।

मान्यवर, गन्ने के मूल्य में वृद्धि की गयी और गन्ने की पैदावार को प्रोत्साहित किया गया है और 21 रुपये प्रति क्विंटल से 22 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य गन्ने का कभी भी किसानों को नहीं मिला था जो हमारी सरकार ने दिया है । खासकर उन दिनों जबकि जनता पार्टी का शासन था, उस समय तो यह मूल्य देने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे । उस समय किसानों को गन्ने के खेतों में आग लगाने पर विवश होना पड़ा था और फसल को बहुत हानि हुई थी । तो एक समय वह था किन्तु जो उपलब्धि हुई है उसको नकारने की प्रक्रिया इनकी जो चल रही है वह अच्छी नहीं है ।

मान्यवर, सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है । छोटे और सीमांत कृषकों के लिये सिंचाई की 76 बड़ी और छोटी योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें 14 योजनायें अगले वित्तीय वर्ष तक पूरा होने की संभावना है । यह सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†दिनांक 18 मार्च, 1985 से ।

(††) माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 18-3-85 को संसदीय विभाग की आवली सं0 89 में स्वीकार किये गये एवं उपस्थित किए गए माने गये संशोधनों के लिए देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 87पर ।)

प्रयास किया गया है जो कि प्रशंसनीय है । किसानों को 3 हजार रुपये तक का अनुदान देने का निर्णय सरकार ने लिया है । इस प्रकार छोटे और सीमांत किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा और वह उन्नतिशील खेती कर सकेंगे और वैज्ञानिक ढंग से खेती कर सकेंगे जिसके लिये कृषि प्रसार योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलायी गयी है, जो कम प्रशंसनीय नहीं है । इन सब बातों की ओर जब ध्यान नहीं दिया जाता है तो निश्चित रूप से कष्ट होता है और यह लगता है कि केवल टीका करने के लिए टीका की जा रही है, कोई रचनात्मक सुझाव देने के लि विचार नहीं दिया जा रहा है ।

औद्योगिक विकास के लिए इस प्रदेश में बहुमुखी निधि लाई गई है और बहुत से मिनी औद्योगिक आस्थान प्रत्येक विकास खंड में बनाने का जो निर्णय लिया गया है वह बहुत अच्छा निर्णय है । इस संबंध में मैं इंगित करना चाहूंगा कि बुन्देलखंड में औद्योगिक विकास के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है । हमारा जनपद हमीरपुर शून्य उद्योगवाला जिला है और उसके बारे में मेरा यह अनुरोध है और सरकार से निवेदन है कि उस जिले की ओर विशेष ध्यान दिया जाय और वहां पर उद्योगों की स्थापना के लिए एक सघन कार्यक्रम चलाया जाए । अगले पांच वर्षों में 1 लाख उद्योग लगाने का अभियान शुरू किया गया है, यह बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कार्य है और मैं समझता हूं कि इस अभियान से बुन्देलखंड और उसका जिला हमीरपुर निश्चित रूप से लाभान्वित होगा । इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, यह नया कदम हमारी सरकार द्वारा सामने आया है । फिर भी हर चीज को नकारात्मक दृष्टि से देखना अच्छी बात नहीं है । बीस सूत्री कार्यक्रम का भी कुछ नाम आया है, क्या इसमें यह सही नहीं है कि प्रत्येक जिले में सिंचाई क्षमता की वृद्धि करने का भरपूर प्रयास किया गया है और क्या यह सही नहीं है कि उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ी है और उन पर अधिकाधिक सामान पहुंचाने का उपाय किया गया है ।

साथ ही साथ दलहन और तिलहन की खेती पर विशेष बल और जोर दिया गया है । हमारे यहां बुन्देलखंड और हमीरपुर जिले में सिंचाई का अभाव था, उसको दूर करने के लिए मौदहा और उरमल दो बांध वहां पर बनाए जा रहे हैं उनके संबंध में मेरा अनुरोध है कि इनके निर्माण काम में तेजी लाई जाए । जब यह दोनों बांध निर्मित हो जायेंगे तो निश्चित रूप से हमीरपुर जिले की तकदीर ही बदल जाएगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है । इनकी चर्चा न की जाए तो यह निश्चित रूप से तकलीफदेह बात होती है । हमारा जिला और खासकर हमारा निर्वाचन क्षेत्र मौदहा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है । वहां पर पीने के पानी की विकराल समस्या है । शायद ही वहां कोई ऐसा गांव होगा जहां पर पीने का अच्छा पानी मीठा पानी उपलब्ध हो ।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पीने के पानी का हर गांव में प्रबन्ध किया जाय । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वहां हैंड पम्प लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर बहुत बड़े-बड़े गांव हैं । 6-6 7-7 हजार की जनसंख्या वाले गांव हैं । वहां पर मीठा पानी बिल्कुल पीने को नहीं मिलता है । बहुत दूर से बैलगाड़ियां पीने के पानी को लेकर आती हैं, लेकिन वह अपर्याप्त होता है और व्यवस्था भी ठीक से नहीं हो पाती है । मेरा विशेष अनुरोध है कि पीने के पानी की विशेष व्यवस्था की जाए । वहां खंडेह ग्राम समूह पेय जल योजना 1976 से चल रही है । जनता शासन काल में उसकी दुर्गति हुई और वह ठप हो कर रह गई । 1980 में जब कांग्रेस सरकार आई, तो उस पर पुनः कार्य शुरू हुआ, फिर भी अभी पानी नहीं मिल रहा है । मेरा निवेदन है कि इस गरमी में पानी

अवश्य दिया जाए। टंकियों से जो पानी दिया जाता है वह नाकाफी है और अच्छा पानी भी नहीं है और उससे झगड़े भी होते हैं। पानी की समस्या को अवश्य दूर किया जाय।

मुझे इस बात की खुशी है यह कहते हुए हर्ष होता है कि बुन्देलखंड में विभिन्न अपराधी गिरोहों पर अंकुश लगाया गया है, उन पर काबू पाया गया है और उनका वहां से सफाया हो गया है और बहुत से अपराधी किस्म के लोग जेलों में हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी माननीय सदस्य विरोधी बल के माननीय रेवती रमण सिंह जी चर्चा कर रहे थे कि बड़ी गुंडई हुई और गुंडई के बल पर बड़ा उलट-फेर हुआ। मान्यवर, अगर उलट-फेर हुआ होता, तो वह यहां पर कैसे आ पाये होते ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर मेरे नाम का उल्लेख किया गया है मान्यवर, इसलिये मुझे भी एक मिनट का मौका दिया जाय।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र—

तो मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह से अनर्गल बात करना निरर्थक है। मान्यवर, चुनाव का काम बहुत अच्छा हुआ है। चुनाव के संचालन बहुत अच्छा हुआ है और तभी यह उपलब्धि हुई है, अन्यथा यह उपलब्धि न हुई होती। मान्यवर, 6 हजार सड़कों को बनाने का संकल्प जो सामने आया है, वह बहुत अच्छा है। मैं अनुरोध करूंगा कि बुलन्दशहर में आवागमन के साधन कम हैं। वहां पर आवागमन के साधन दिये जायें। लिंक रोड दी जायं। गावों मे खड़ंजे दिये जायं, जिससे वहां की तकदीर बदल जाय। मान्यवर, वहां की धरती बहुत अच्छी है, अगर वहां की धरती सुधार दी जाय, तो वहां से इतना अन्न पैदा हो सकता है कि जिससे पूरे प्रदेश को लाभ हो सकता है। इन शब्दों के साथ में राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, श्री राज्यपाल का अभिभाषण मान्यवर, इस बात का द्योतक होता है कि आने वाली सरकार जो स्थापित हुई है, वह प्रदेश के शासन में क्या-क्या करना चाहती है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, यदि उसको आरम्भ से अन्त तक पढ़ें, तो केवल पिछली सरकार की प्रशंसा करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पायेंगे। यह आने वाली सरकार जो यह नवीं विधान सभा गठित हुई है, यह सरकार क्या करने वाली है, कौन सी नीति निर्धारित करेगी, सरकार की आर्थिक नीति क्या होगी। जो आश्वासन जनता को देकर यह सरकार शासन में बैठी है, उन आश्वासनों के आधार पर यह सरकार क्या-क्या ठोस कदम उठाने जा रही है, क्या चित्र उपस्थित करने के लिए यह सरकार कार्यवाही करेगी, इसका कहीं भी किसी प्रकार का लेशमात्र जिक्र नहीं है, न इसका कहीं उनके अभिभाषण में उल्लेख है। पिछली सरकार ने यह किया, पिछली सरकार ने क्या किया बस इसी का गाना गाया है। वर्तमान सरकार क्या करेगी, इसका उल्लेख होना चाहिए था। इसका तनिक भी उल्लेख करना ठीक नहीं समझा गया। इसलिए अत्यन्त खेद के साथ में यह कहना चाहता हूं कि यह अभिभाषण नयी सरकार की छवि को प्रस्तुत नहीं करता। जिन उद्देश्यों के आधार पर वर्तमान सरकार स्थापित हुई है कि महंगाई को शासन में बैठते ही कम करेंगे, गरीबी को मिटा देंगे, बेरोजगारों को समाप्त करेंगे, आर्थिक नीति हमारी ऐसी सुदृढ़ होगी कि हम प्रदेश की गरीबी को हटा कर हमारी जो परकैपिटा इन्कम है, इस इन्कम को बढ़ायेंगे, परन्तु इन सब आश्वासनों के आधार पर इसका कहीं भी, किसी प्रकार का भी उल्लेख अभिभाषण में

नहीं है । यह इसलिए उल्लेखनीय विषय है, जैसा मैंने पहले कहा कि माननीय महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों को उद्घोषित करने की वह एक ऐसी दिग्दर्शिका होती है, जिसके माध्यम से सरकार की नीति का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि आने वाली सरकार क्या करने जा रही है । लेकिन, श्रीमन मैं अत्यन्त खेद के साथ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि ज्वलन्त प्रश्नों एवं समस्याओं के ऊपर उसमें कुछ नहीं कहा गया है ।

प्रदेश की शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि इस संबंध में कहना चाहूंगा, साढ़े तीन लाख विद्यार्थियों के रिजल्ट अभी तक नहीं निकले हैं । दो साल से रिजल्ट का कोई पता नहीं है । मान्यवर, परसों से परीक्षा शुरू हो रही है, 21 तारीख से परीक्षा शुरू हो रही है लेकिन अब तक केन्द्रों का पता नहीं है । अम्बाला के बाजार में उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल तथा इन्टर के प्रमाण–पत्र बेचे गये हैं और हमारा शासन चुपचाप बैठा हुआ है । शिक्षा के संबंध में एक भी शब्द महामहिम राज्यपाल की ओर से नहीं आया है । यह एक ऐसा प्रश्न है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के हर नागरिक का माथा नीचे हो जाता है । आज लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, परीक्षायें दिलवाते हैं लेकिन उसका एक दो साल तक परीक्षाफल न निकल सके तो शासन में बैठने का मान्यवर, क्या मूल्य है, क्या मतलब है । इसी तरह अध्यापकों के सेवा सम्बन्धी विषय में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया । शिक्षा नीति क्या हो कहीं उल्लेख नहीं है । मान्यवर, प्रदेश की आर्थिक नीति के विषय में भी कुछ नहीं कहा गया है, युवकों के विषय में क्या होगा चर्चा अवश्य की गई लेकिन इस विषय में ठोस योजना नहीं है कि बेकारी कैसे दूर होगी ।

उद्योगों के विषय में भी लिखा है कि ब्लाकों मे उद्योग लगेंगे, इस बात के लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं, लेकिन इसमें यह निर्देशन नहीं है कि ब्लाकों में कैसे उद्योग लगेंगे और किस आधार पर लगेंगे । हमारे यहां पर्वतीय अंचल में तो लगे लगाये उद्योग बंद हो गये हैं । मान्यवर, मुझे जानकारी है वन संरक्षण अधिनियम के द्वारा जो सड़कें बन रही थीं सारी पर्वतीय अंचल में बन्द पडी हैं । पर्वतीय अंचल के बारे में आप अभिभाषण में देख लीजिए, एक भी शब्द नहीं कहा गया है । 17 पेज के अभिभाषण में देखें पर्वतीय अंचल के विषय में कुछ नहीं कहा गया है । पहाड़ की उपेक्षा इससे अधिक क्या होगी । पर्वतीय अंचल में वन संरक्षण अधिनियम के लागू होने पर जितनी सड़कें बन रही थीं उनका निर्माण कार्य बन्द पड़ा हुआ है । इसके विषय में कोई जिक्र नहीं है कि सड़कों का बनना कब शुरू होगा । प्राइमरी अध्यापक बलिया से भेजे जा रहे हैं । प्राइमरी स्कूल में जो अध्यापक भेजे जा रहे हैं उनको वहां की भाषा का ज्ञान नहीं है, तो वह बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे । डिग्री कालेज और इन्टरमीडिएट कालेज में जो अध्यापक भेजे जा रहे हैं उनका हम स्वागत करते परन्तु वे भी विद्यालयों में नहीं जाते हैं ।

पहाड़ी क्षेत्रों में मान्यवर, 60 प्रतिशत स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं । अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं । और पर्वतीय क्षेत्रों के अन्य जटिल विषयों में क्या कहूं पहाड़ों के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है । पहाड़ों की अनेक समस्यायें हैं जिन पर सोचना चाहिए था लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने इतना भी उचित नहीं समझा कि वह पर्वतीय अंचल के विषय में एक लफ्ज भी कहें ।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आपने काफी चर्चा कर ली, इस विषय पर ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, चर्चा तो आपने उठाई है । पेयजल की समस्या प्रदेश व्यापी

है। पर्वतीय क्षेत्र में ऐसी विभीषिका फैली हुई है कहीं भी यह योजनायें पुरी नहीं हो पा रही हैं। प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है कि पेयजल की समस्या का हल निकले। न सड़कों का कार्य हो रहा है न पढ़ाई का कार्य हो रहा है, उद्योग धंधों का तो कहना ही क्या है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की क्या गति होगी, मैं कह नहीं सकता हूं शोचनीय विषय है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से इस प्रदेश को कोई दिशा नहीं मिल पायेगी क्योंकि ऐसा लगता है महामहिम राज्यपाल पिछली सरकार की प्रशंसा के अंधकार में खो गये, आगे का कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। ऐसी अंधकार वाली स्थिति आ गयी है कि आगे का सरकार का कोई कार्यक्रम सामने नहीं आ रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि जो ज्वलन्त प्रश्न शिक्षा के बारे में, बच्चों के बारे में, विगत कर्मचारियों के बारे में बेरोजगारी के बारे में, गरीबी को हटाने के सम्बन्ध में जिसका नारा दिया गया है, उसके निराकरण करने वाली जो बात थी उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। अगर इसके बारे में कुछ कर सकें तो निःसन्देह अच्छा कार्य होगा। अन्यथा जैसा अभिभाषण से विदित हो रहा है इसमें निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

श्रीमती कुदसिया बेगम—

ग्राम चुनाव के बाद हमारी जो पहली बैठक हो रही है जो राज्यपाल ने यहां सम्बोधन किया और उस पर जो तकरीर हो रही है। सबसे पहले मैं श्री नारायण दत्त तिवारी को मुबारकवाद देना चाहती हूं। वह कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गये और यहां मुख्यमंत्री बने। उनकी काबिलियत और तजुर्बा सबको मालूम है। उन्होंने जिस काबिलियत के साथ इसके पहले दो दफा मुख्यमंत्री का काम किया वह सबको मालूम है। किस काबिलियत के साथ वह सरकार चलाते हैं यह सबको मालूम है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस दफा भी इस सूबे को आगे बढ़ायेंगे। जनाबेआला, मैं सभी माननीय सदस्यों को मुबारकबाद देना चाहती हूं जो जनता का विश्वास लेकर यहां आये हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि वह अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभायेंगे और सदन की मर्यादा और गरिमा को कायम रखने की कोशिश करेंगे। जनाबे-वाला पिछले दफा जब सदन उठा, उसके बाद तो बहुत बड़े वाकयात हमारे मुल्क में हुये। एक तो हमारी प्रिय प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी का खौफनाक और अफसोसनाक कत्ल किया गया। उस पर हमारे मुल्क ने ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क ने अफसोस किया। उनकी याद हमारे मुल्क में हमेशा ताजा रहेगी। बाहर के मुल्कों ने जो उनके बारे में कहा वह काबिले तारीफ है। वह एक औरत थी लेकिन उन्होंने जिस तरह से इस मुल्क की बागडोर को सम्भाला, न केवल इस मुल्क को आगे बढ़ाया, बल्कि इज्जत और सम्मान देकर इस मुल्क का नाम दुनिया में ऊंचा किया...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य व्यवधान न उत्पन्न करें।

श्री राम सरन—

यदि कोई नया सदस्य होता तो मैं न बोलता। बेगम साहब इस सदन की और दूसरे सदन की भी सबसे सीनियर सदस्या रही हैं। इन्दिरा गांधी के बारे में बोल रहीं हैं, बोलें मुझे कोई एतराज नहीं है। वह रात दिन उनका गुणगान करें। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और वह टापिक से हटकर इन्दिरा गांधी का जिक्र कर रही हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

जब कोई सदस्य बोलता है तो यह असंसदीय भाषा है कि कोई कहे कि वह अनापशनाप बोल रहा है ।

श्रीमती कुदसिया बेगम—

जनाबेवाला मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जिन्होंने कि हमारे मुल्क को इतना ऊंचा कर दिया, जिन्होंने दुनिया में उसको कहां से कहां पहुंचा दिया, का जिक्र करूं । हमें अफसोस है कि विरोधी दल के लोग, हमारे माननीय सदस्य जो हैं वह उस पर एतराज कर रहे हैं किन्तु यह उनके लिए भी उतना ही अफसोसजनक था, जितना कि हमारे लिए था । वह कांग्रेस पार्टी की ही लीडर नहीं थीं, बल्कि तमाम मुल्कों की लीडर थीं । मुझे बड़ा अफसोस है कि आप लोगों ने इस बात पर एतराज किया। बहरहाल मैं आपसे अर्ज करूंगी कि देश उनको हमेशा याद रखेगा उनके उसूल, उनकी नीतियां उनकी तमाम जितनी भी कोशिशें थी कि इस मुल्क को आगे बढ़ाने, यहां के लोगों की इज्जत को बढ़ाये, यहां की गरीबी दूर करे यहां के लोगों को राहत दें वह कभी भी हम लोग नहीं भुला सकते और हमारा ख्याल है कि हम बहुत खुदकिस्मत है कि उनके बेटे श्री राजीव गांधी उनकी जगह पर प्रधानमंत्री हुए हैं और मुझे इस बात का फख्र है कि कांग्रेस पार्टी की शक्ति थी, कांग्रेस पार्टी की ताकत थी, कांग्रेस पार्टी का तदुव्वुर था जिसकी वजह से उनकी मां की लाश पड़ी हुई थी और उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, हमको इस बात का फख्र है ।

जानबेआला, राजीव गांधी ने कांग्रेस के ही कान्फीडेंस के ऊपर सब नहीं किया उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही फौरन आम चुनाव का आर्डर दिया और चुनाव हुए और मैंने देख लिया कि किस तरह से तमाम देश भर में उनको जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है । हमें इस बात का फख्र है और हम अपेक्षा करते हैं कि वह बहुत दिनों तक जिन्दा रहें और वह अपने कन्धों पर जो जिम्मेदारी पड़ी है उसको चलायें ।

अभी सबसे पहले एक माननीय सदस्य ने पूछा कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करने जा रही है । हमारे राज्यपाल के अभिभाषण में किस तरह का ऐसा प्रोग्राम नहीं लिखा गया । मैं उनसे दो बातें कहना चाहता हूं । जनाबेवाला, एक तो यह कि इस सदन की बैठक से 4–5 दिन पहले ही आपने सरकार बनायी और इस सूबे की बाग–डोर अपने हाथ में ली थी, इसलिए यह कहना कि वह फौरन ही अपना प्रोग्राम आपके सामने रखें यह मुमकिन नहीं है । लेकिन हमारा जो मैनीफेस्टो है हमारा जो इन्दिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम है हमारा जो इन्दिरा गांधी का 15 सूत्री कार्यक्रम है वह आपके सामने है । आपका सवाल है कि कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है आपका सवाल कोई हकीकत नहीं रखता है क्योंकि हमारे मैनी फेस्टो में सभी बातें दी गई हैं जैसे हमारी गरीबी दूर हो सके किसानों की हालत का सुधार हो सके मजदूरों की हालत बेहतर बनायी जाय । अल्पसंख्यक लोगों के तरक्की के लिये आदि । और फिर यह पूछा जाता है कि कांग्रेस सरकार क्या करने जा रही है । मुझे अफसोस है मैं यह कहना चाहती हूं कि कांग्रेस सरकार तो जो कहती है, करती है । राजीव गांधी ने जो मैनीफेस्टो में कहा और वादा किया उसको पूरा करने जा रहे हैं । उन्होंने जो ठोस कदम उठाये हैं वह किसी से छिपे नहीं है । वह ठोस कदम जो उठाये हैं वे इस बात का सबूत हैं कि वह जो कहते हैं करेंगे कर रहे हैं । लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि जब सन् 1977 में जनता सरकार आयी उन्होंने जो जनता से वादा किया था, उसको उन्होंने कितना पूरा किया । कुर्सी के लालच में आपस में लड़कर एक दूसरे को गिराते रहे । जनता को फायदा पहुंचाने के बजाय आपस में लड़ते रहे और वायदे पूरे नहीं किये । आपस में ही लड़कर खतम हो

गये और पांच साल के बजाय ढाई साल में ही अपनी हुकूमत खत्म कर ली। जनाबेवाला, मैं वह अर्ज करना चाहती हूं कि ये जो हमें नेमत मिली है, जम्हूरियत की नेमत मिली है उससे हम लोगों को उधर के बैठने वालों को शुक्रिया अदा करना चाहिये। हमारे संविधान में हमें जो हुकूमत मिली है, जिसकी वजह से हम हर पांच साल के बाद अपनी हुकूमत बनाते हैं और जनता को यह मौका देते हैं कि वह चुनाव करे।

मैं यह पूछना चाहती हूं आपको यह मालूम है, कि आपने यह कहा कि हमारे बहुत से संशोधन आए हैं। लेकिन मैं संशोधन की बाबत कहती हूं कि वह जरूरी थे। मैं कहती हूं कि चुनाव में धांधली आप की ओर से हुई है। जो आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए हैं तो कैसे आ गये। चुनाव में धांधली हुई है। हमारे विपक्ष ने हमारे पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया, हरिजनों को आने नहीं दिया। हर तरफ से डरा धमका कर उन्हें घरों में बैठाए रखा। अगर वे वोट देने आए भी तो कसम दिला दी पंजे पर मुहर न लगाना। मेरे बक्से में 2 हजार बैलेट पेपर ब्लैंक निकले। इतने बैलेट पेपर ब्लैंक कैसे निकल सकते हैं।

हमारी सरकार जो कहती है, सब कुछ करेगी और कर रही है। जो कुछ स्कीमें चल रही हैं वह गरीबों के लिए हैं, हमारे किसानों के लिए हैं और मैं इस चीज के ऊपर फख्र कर सकती हूं कि उन चीजों को पूरा किया जा रहा है। राजीव गांधी ने ठोस कदम उठाए हैं। आपने देख लिया कि कितना अच्छा बजट लाया गया है और लोगों को कितनी राहत मिली है। उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। आपने इन सब चीजों को देख लिया, उसके बाद आप कहते हैं कि सरकार क्या करने जा रही है। सरकार वही करने जा रही है जो कहती है और करेगी। आप बैठे देखेंगे कि किस तरह से सरकार चलाई जाती है।

इसके साथ ही जनाबेवाला, मैं शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे खुशी है कि मेरी तकरीर पर एतराज हुआ है। मालूम होता है कि मैंने इन लोगों की जो कमजोरी है उसको पकड़ लिया है, इसी लिए इनमें इतनी नाराजगी है। मुझे फख्र है कि इधर के बैठने वाले जनता की सेवा कर रहे हैं और करेंगे। हमारे मुल्क को कांग्रेस ने आजादी दिलाई और मुल्क पर कांग्रेस ने सदा शासन किया यह कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस ने एक नया हिन्दुस्तान बनाने की कोशिश की है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैठें।

श्री मैनेजर सिंह--

मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और औचित्य का प्रश्न भी उठाया था। [×××] यहां से एक माननीय सदस्य श्री नौटियाल जो बोल रहे थे, वे वरिष्ठ सदस्य हैं। विद्वान सदस्य हैं, आपने 10 मिनट उन्हें नहीं बोलने दिया।

(व्यवधान)

[×××]

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग खामोश रहें।

श्री मैनेजर सिंह--

अध्यक्ष जी ने समय निर्धारित किया है कि 10 मिनट प्रत्येक सदस्य को दिया जायेगा। आपको कोई अधिकार नहीं है समय बढ़ाने का।

श्री अधिष्ठाता--

इस तरह की बात कहना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मैनेजर सिंह--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई सवाल नहीं है ।

श्री यदुनाथ सिंह--

अब आपने कह दिया । मुझे बोलने दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

उत्तेजित होने की बात नहीं है । माननीय सदस्य को ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

श्री मैनेजर सिंह--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बदन सिंह बोल रहे थे । दूसरे सदस्य बोल रहे थे, लाल बत्ती होने के बाद भी माननीय सदस्य बोलते रहते हैं । मैं चाहूंगा कि हर सदस्य जब लाल बत्ती जल जाय तो बोलना समाप्त कर दें । इसी तरह से एक महिला सदस्य बोल रहीं थीं । आप कृप पूर्वक बैठ जायं और दूसरे माननीय सदस्य को सुनें । आपने जो पहला प्रश्न उठाया वह मुझसे सम्बन्धित बात थी, अध्यक्ष जी आ जायेंगे और आप उनके सामने उसे उठायेंगे तो वे उस पर निर्णय देंगे ।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया संयोग से आपने ही धन्यवाद का प्रस्ताव रखा. . . .

(व्यवधान)

श्री हरदेव--

अव्यवस्था तो आपकी तरफ से ही आयी थी । माननीय मैनेजर सिंह ने गलत बातों का प्रयोग किया । उनका आचरण ही गलत है ।

श्री यदुनाथ सिंह--

आपने ही धन्यवाद का प्रस्ताव रखा और आप ही आज अधिष्ठाता हैं । आपको कागज कलम लेकर नोट करना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने सूर्य प्रताप जी का नाम लिया है ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

मान्यवर, आपकी सीट पर जो पक्षपात का आरोप माननीय सदस्य ने लगाया है इस पर आपकी क्या रूलिंग है, इसे आप बताने का कष्ट करें ?

श्री हरदेव--

कोई पक्षपात नहीं हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य मैं आपसे कह रहा हूं कि आप खड़े होकर अपनी बात कहें ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिये जो समय दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के तुरन्त पश्चात् यह बात समझ में आयी कि शासन पक्ष संज्ञा शून्य हो गया है । इसलिये संज्ञा शून्य हो गया है कि पूरा उत्तर प्रदेश बाढ़ की विभीषिका से प्रति वर्ष ग्रसित होता है और यह बाढ़ हर वर्ष एक प्रकार से वार्षिकोत्सव मनाती

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं । लेकिन राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में कहीं पर भी बाढ़ की चर्चा नहीं की गयी है यह एक बहुत शर्म की बात है । मैं इस सदन के माध्यम से शासन पक्ष से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस धन्यवाद के प्रस्ताव को संशोधित कर इस आदरणीय सदन में लायें और बाढ़ की विभीषिका पर गम्भीरता से विचार करते हुए पूर्वांचल के जिलों में जैसे देवरिया, मिर्जापुर, बस्ती, बलिया आदि जो हर साल इस विभीषिका में डूबे रहते हैं, जहां करोड़ों रुपयें की जन धन, पशुधन आदि की क्षति होती है, वहां ठोस योजना बनायी जाय और उसे कार्यान्वित किया जाय । मेरा सुझाव है कि जिन नदियों में बाढ़ का पानी हर साल विभीषिका का रूप लेता है, उनका पानी एकत्र करके उनसे विद्युत उत्पादन का काम प्रारम्भ किया जाय ।

माननीय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में अतिरिक्त उर्जा स्रोत का विशेष रूप से जिक्र किया गया है । मेरा इस सम्बन्ध में कहना है कि जो बाढ़ का पानी है, उसे एकत्र कर जिन अतिरिक्त उर्जा स्रोतों का जिक्र अभिभाषण में किया गया है, उससे विद्युत उत्पादन, सिंचन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है । जहां माननीय मुख्य मंत्री जी और अन्य मंत्रिगण हर साल वायु यात्रा कर इस बाढ़ विभिषिका का दर्शन करते हैं, वहां पर मेरा शासन पक्ष से निवेदन है कि इस प्रकार का ठोस व कारगर कदम उठाया जाय जिससे इस बाढ़ विभीषिका से जन-धन की सुरक्षा का जा सके ।

मान्यवर, मेरा दूसरा निवेदन है कि आज हिन्दुस्तान को आजाद हुए कई साल हो चुके हैं लेकिन देवरिया जिले में आज तक किसी भी उद्योग की स्थापना नहीं हुई है । इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उद्योगों का ढिंढोरा पीटा गया है । परन्तु, पूर्वांचल के जिलों में किसी भी उद्योग की स्थापना का न होना शासन पक्ष की संज्ञा शून्यता का परिचायक है, वह अविवेक का परिचायक है । मैं चाहूंगा कि देवरिया जिले में उद्योग की स्थापना पर महामहिम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में चर्चा की जाय और साथ ही साथ में शासन पक्ष के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि वे भी वहां पर भारी उद्योग लगाने का निर्णय लें ।

मान्यवर, यहां पर आलू के सम्बन्ध में चर्चा हुई इसमें कोई शक नहीं कि यह आज संपूर्ण प्रदेश की समस्या है । विगत वर्ष देवरिया जिले में बीस रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू बिका । न ही वहां पर भंडारण की उचित व्यवस्था है । न ही शीतगृह है जहां पर 10 लाख क्विंटल प्रति वर्ष आलू का उत्पादन होता है । दो-दो शोध संस्थान खुले हुए हैं लेकिन मेरा जानकारी है कि वहां पर कोई भी क्रय केन्द्र की स्थापना नहीं की गयी है । माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि वह वहां पर क्रय केन्द्रों की स्थापना हेतु अपने प्रशासन को हिदायत दें और वहां पर इसकी स्थापना करायें । भंडारण का भी समुचित व्यवस्था करवायें, जिससे कि किसानों को लाभ हो सके ।

मान्यवर, खाद्यान्न उत्पादन के बारे में कहना चाहता हूं कि आज तक न गेहूं का क्रय केन्द्र और न ही धान की खरीद के लिये क्रय केन्द्रों की स्थापना पूर्वांचल में की गयी है और न ही वहां पर वेयर हाउसिंग की सुविधा उपलब्ध है । इसलिये मैं चाहूंगा कि आप वहां पर वेयर हाउसिंग के निर्माण की योजना हेतु महामहिम महोदय के अभिभाषण में उस पर चर्चा करायें और इसे उनके अभिभाषण में जोड़ना बहुत आवश्यक है ।

(2 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, पर्यटन क्षेत्रों के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं देवरिया जो महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली रही है वहां पर पर्यटन के मामले में कोई भी विकास कार्यक्रम नहीं हुआ है । संयोगवश मैं उसी क्षेत्र से चुनकर आया हूं जहां

प्रतिवर्ष लंका से, जापान से, मलेशिया से तिब्बत से हजारों लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं किन्तु राज्य सरकार की ओर से और पर्यटन निगम की ओर से वहां पर पर्यटकों के लिये न ही कोई डाकबंगले का निर्माण किया गया है और न ही किसी आर्कषक केन्द्र की स्थापना की गयी है । इसलिए मैं चाहूंगा कि कुशीनगर में पर्यटन के विकास के लिये ठोस व समन्वित विकास योजनायें बनायी जायं ताकि पर्यटकों को रहने की सुविधा और पर्यटकों के आकर्षण के लिये मनो-रंजन केन्द्रों की स्थापना को कार्यान्वित रूप दिया जाय ।

मान्यवर, पूर्वांचल में कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं है इसलिए वहां पर कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय ताकि कृषि विकास के लिये विद्यार्थी जो ठोस कार्यक्रम करते हैं, ठीक प्रकार से कर सकें और कृषि विकास का कार्य भी सुचारू रूप से चल सके । इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु रूप रेखा तैयार करें ।

मान्यवर, अब मैं एक बात गन्ने की कीमतों में असमानता के बारे में कहना चाहता हूं । पूर्वांचल में गन्ने की कीमत 20 रु0 प्रति क्विंटल है जब कि पश्चिमी जिलों में 22 रु0 प्रति क्विंटल है । मेरा कहना है कि इस प्रकार का अन्तर रखना कोई अच्छी बात नहीं है । इसे खत्म किया जाय और उत्तर प्रदेश के हर किसान को समान मूल्य प्राप्त हो । इसी के साथ-साथ मैं ढुलाई के बारे में भी कहना चाहता हूं । गन्ने की मिलें जो रिसीवर के पास हैं, कास्टो-डियन के पास हैं या जो चीनी मिलों द्वारा संचालित की जा रही हैं, वहां तो गन्ने की ढुलाई 50 पैसे प्रति क्विंटल है, जब कि निजी क्षेत्रों में डेढ़ रु0 प्रति क्विंटल ढुलाई है । आज तीन वर्ष हो गये, यह सरकार मूक दर्शक की भांति बैठी हुई है मेरा सरकार से निवेदन है कि इस असमानता को खत्म किया जाय और निजी क्षेत्रों में भी गन्ने की ढुलाई 50 पैसे की जाय ।

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने अभी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के बारे में बात कही और यह भी कहा कि पिछले साल जिन बच्चों ने इम्तिहान दिया था, उनमें से कई विद्यार्थियों के रिजल्ट अभी तक नहीं निकले हैं । अभी तक यह जानकारी नहीं है कि उन विद्यार्थियों के रिजल्ट क्यों रोके गये हैं । नयी परीक्षायें आने वाली हैं लेकिन, यह मालूम नहीं है कि परीक्षा केन्द्र कहां होंगे । कम से कम शिक्षा मन्त्री जी को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि जो पहले भूल हो गयी है उसकी पुनरावृत्ति फिर न हो । आगे से इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात की चिन्ता शासन करे । और जो मेरा संशोधन है, उसको स्वीकार करके सदन ठोस कदम उठाये । इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री हरदेव--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभि-भाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । उत्तर प्रदेश के बढ़ते विकास के कदम के बारे में महामहिम राज्यपाल जी ने अपनी जो इस छोटी सी पुस्तक में कहा है वह सराहनीय है । और महामहिम राज्यपाल जी ने जो यह कहा है कि माननीय सदस्यों को अपने आचरण से, नीति से, लोकतांत्रिक परम्पराओं को मानते हुए सरकार के सहयोग के पक्ष में कार्य करें, इसलिए मैं चाहूंगा अपने इन भाइयों से कि ये इस सम्मानित सदन के सिद्धान्त के अनुसार समय का सदुप-योग करें ताकि जो आशा प्रदेश की जनता ने हमसे की है और जिनके नुमाइन्दे यहां गलरी में बैठे हैं, जो सब हमारी बातें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हम निष्ठापूर्वक परिश्रम से अपना

योगदान दें । लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्य, जो मोतियाबिन्दु पड़ी आंखों से देखते हैं, मैं चाहूंगा कि एक अच्छा अस्पताल बनाया जाय ताकि ये लोग अपनी आंखों का इलाज करा कर अच्छी तरह से देख सकें ।

मैं सबसे पहले पूज्यनीया प्रधान मन्त्री स्वर्गीया मां श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता जिन्होंने न केवल इस उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की 15 करोड़ जनता को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम किया । जिन गरीबों की झोपड़ियों में एक पैसा मुहैया नहीं होता था आज वहां बैंक के माध्यम से रुपया पहुंचाया हैं । इतना ही नहीं हमारे प्रदेश की सरकार एवं देश की सरकार ने जिन्होंने उन्नतिशील बीज, खाद बाहर से मंगवाया और हमारे देश प्रदेश की कृषि में उन्नति की । मुझे यह कहने में गर्व होता है कि एक वह जमाना था, विपक्ष में बैठे हुए और हम सब लोग भी भुक्तभोगी हैं, अमेरिका से खड़ा गेहूं व मक्का आता था जिसको सुअर भी नहीं खाते थे । हमारे नेता, प्रधान मन्त्री न कृषि सुधार, भूमि सुधार, बंजर, परती भूमि को कृषि में सुधार कर अद्वितीय सफलता प्राप्त की हैं । मैं कहना चाहूंगा कि जिस गांव के लोगों को सावां गरीबों को नहीं मिलता था आज वहां गेहूं और चावल मिलता हैं ।

(इस समय 2 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

मैं पूंछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अपने गांव का इतिहास लीजिये वहां के गरीब लोगों को जिनको सरकार ने श्रम विभाग ने, जो मेहनतकश मजदूर हैं, ईंट भट्टे व सड़क पर काम करते हैं, तथा ईंटा पाथते हैं, जब आपकी सरकार थी मजदूरी साढ़े चार रुपये ही मिलता था और हमारी सरकार ने 17.60 रुपये मजदूरी दिया हैं । कौन हितैषी हैं जनता का, आप हैं या हमारी सरकार 2 रु0 4 आने प्रति दिन पर मजदूरी करने वाले गरीब अनुसूचित जाति के मजदूरों की मजदूरी मां इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार ने कम से कम 6 1/2 रु0 प्रति दिन कर दी तथा साथ में 1 किलो मुफ्त गेहूं तथा 1 1/2 रुपये किलो गेहूं के साथ कुल 10 रुपये किया हैं सबसे अधिक गरीबों का उत्थान हमारी सरकार ने किया हैं ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने चश्मे भरे नेत्रों से देखिये । औद्योगिक क्षेत्र का प्रगति देखिये, 12 कताई मिलें और 6 गन्ना मिलें जौनपुर, बलिया, रसड़ा, इलाहाबाद आदि जगहों पर सूती मिल लगायी गयी हैं, जिसके निर्माण से कई हजार लोगों को काम मिलेगा, तो यह हमारे विकास के बढ़ते हुए कदम हैं । सिंचाई के क्षेत्र में गांव-गांव में बिजली की लाइनें और ट्यूबवेल लगाये गये हैं । मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि बिजली की चोरी रोकनी होगी । 17-17 वर्षों से बिजली की लाइन का प्रयोग करने वाले लोग एक पैसा नहीं देते हैं । ऐसे लोग यहां बैठे हैं जिनके ऊपर चार हजार रु0 बिजली का और दो हजार रु0 लगान तथा पच्चासों हजार रुपये लोगों का कर्ज का बकी है । वह पैसा आपको देना चाहिये, क्योंकि हमें विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ानी हैं । जिन लोगों ने सरकार से सबसे ज्यादा लाभ उठाया हैं, वही आज सरकार की आलोचना करते हैं । अगर गम्भीरता से जांच करायी जाय तो बिजली तथा लगान एवं लोन के बकाये के रूप में काफी पैसा आपके ऊपर बाकी मिलेगा । इसे देना भी आप लोग नहीं चाहते हैं और सरकार का विरोध भी करते हैं ।

सिंचाई ट्यूबवेल के बारे में कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने हजारों ट्यूबवेल पिछले सालों में लगाये । इस सम्बन्ध में बलिया की बात कहना चाहता हूं कि दोआबा क्षेत्र में 50 ट्यूबवेल लगाये गये हैं । जहां बूथ कैप्चरिंग के द्वारा आपने गरीबों व हरिजनों के मतों का उपयोग नहीं होने दिया और हमारे उम्मीदवारों को जबर्दस्ती हराया इस

प्रकार विपक्ष के आप लोग पूरे प्रदेश में इस चुनाव में गरीबों को लाठी बल्लम का सहारा लेकर अपने मत का प्रयोग नहीं करने दिया है, लेकिन जीत सच्चाई की होती है, जिसका एक उदाहरण आपके सामने खड़ा हुआ, विजयी प्रत्याशी हरदेव, रसड़ा, बलिया है। माननीय अधिष्ठाता जी आपसे कहना चाहता हूं कि हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में मतदान पेटियां चुनाव में रहें ताकि वे स्वेच्छा से अपना मत दे सकें और उसको कोई भी आदमी रोक न सके।

20 सूत्री कार्यक्रम में आपको गम्भीरता से देखना है। इसको क्रियान्वित कराने में आपका सहयोग चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसमें आप हमारी सरकार का सहयोग करें। सहयोग से आपकी और क्षेत्र की जनता को फायदा होगा। आप उन सूत्रों को कार्यान्वित करने में सहग नहीं करते हैं। आप लखनऊ की गलियों में रहेंगे और कहेंगें कि सरकार कुछ नहीं करती। मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने विधवाओं, विकलांगों और गरीबों एवं वृद्धों के लिए पेन्शन की व्यवस्था की है। गरीब किसानों के लिये निःशुल्क ट्यूबवेल बोरिंग की व्यवस्था की गयी है। आपसे मेरा अनुरोध है कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उसमें उत्तर प्रदेश के विकास के लिये हर बात का उल्लेख है यह सब इस छोटी सी पुस्तक में कहा गया है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त, अब आप कृपया बैठें।

श्री हरदेव--

एक मिनट और, मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। हरिजनों के विकास के लिये क्योंकि मैं भी एक अनुसूचित जाति का सदस्य हूं, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार ने आरक्षित कोटा को पूरा करने के लिए सरकार से कहा है। हमारी सरकार लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा रही है और यह काम एक-दो साल में वह पूरा कर लेगी जिससे कि 50 हजार हरिजनों को नौकरी मिलेगी। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने और भारत सरकार ने इस ओर कदम उठाये हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें, ये जो बोलेंगे वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री हरदेव--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठिये। आपका भाषण हो गया।

श्री हरदेव--

ठीक है, मैं फिर बाद में कहूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

मैं, इससे पहले कि माननीय सदस्यगणों को बोलने के लिए आमंत्रित करूं, दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो यह कि जब आपका समय समाप्त होने को होगा तो उससे एक या दो मिनट पेशतर मैं यह जरूर कहूंगा कि अब आपका समय समाप्त हो रहा है। दूसरी बात यह कि विरोधी दल के जो ग्रुप हैं तो दलों की तादाद के लिहाज से मैं सदस्यों को बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा। जो आपने मुझे ग्रुप भेजे हैं तो स्तर को बेहतर बनाने के लिए मैं उसमें बारी-बारी नाम पुकारूंगा। पहले शतरुद्र प्रकाश।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर...

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया माननीय सदस्यगण आपस में बात न करें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

वैसे तो मैंने राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन रखा है लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ज्यादा कुछ न कह कर केवल दो तीन बातें ही कहूंगा । हालांकि मैंने इस सम्बन्ध में संशोधन दे दिया है । पहली चीज तो यह है कि उत्तर प्रदेश की समस्याओं को पिटे-पिटाये तरीके से नहीं देखा जाना चाहिये । इसके लिए कोई नया हल, कोई नया तरीका निकाला जाना चाहिये । आज जरूरत है कि नये नजरिये से हल निकाला जाय । मैं निश्चित रूप से इस मत का हूं कि बजट का 40 या 50 प्रतिशत जब तक केवल गांव पर खर्च न होगा तब तक इस सूबे का विकास नहीं हो सकता है। यह सूबा सबसे बड़ा सवालिया सूबा है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जहां तक मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई सिफारिश नहीं रखी गयी है कि आने वाले दिनों में सूबे के विकास के लिये कितना धन दिया जायगा ।

आज उत्तर प्रदेश एक प्रश्न प्रदेश बन गया है । इसकी तरक्की का हल निकालने के लिए नये तरीके से इस सदन को सोचना चाहिए । मैं समझता हूं कि जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है तो केवल दरोगा का तबादला कर देने से या डी० आई० जी० का तबादला कर देने से कानून व्यवस्था सुधर नहीं जायगी और न इससे सुधर सकती है । जरूरत है पूरे की पूरी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाय, पुलिस प्रशासन के नियमों का पुनर्गठन किया जाय, सब में फिर से रद्दो-बदल की जाय ।

इस सम्बन्ध में धर्मवीर कमीशन तथा न जाने और भी कई कमीशन पहले बनाये गये हैं तो उनकी सिफारिशों पर अगर सरकार गौर करेगी तभी कुछ हो सकता है ।

मेरी निश्चित राय है कि इस सम्बन्ध में जब तक आप पूरे के पूरे प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे का विकेन्द्रीकरण नहीं करेंगे, पूरे पुलिस प्रशासन को विकेन्द्रित नहीं करेंगे तब तक सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है । गांवों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जब तक गांव के लोगों को और नगर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जब तक नगर के लोगों को नहीं देंगे तब तक सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है। तो इस तरह से जब तक प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण नहीं होगा केवल डायरेक्टर जनरल चाहे आप बना दीजिये, आई० जी० या डी० आई० जी० कितने ही बना दीजिये कानून व्यवस्था सुधर नहीं सकती है । यह बात सामने आ चुकी है कि जो प्रशासनिक ढांचा है उससे लाभ नहीं होगा । इस समय जो पुलिस विभाग है अगर उस पर गम्भीरता से विचार करके कोई नया हल नहीं निकाला तो यह विभाग किसी के हाथ में नहीं रह जायगा यहां तक कि मुख्य मन्त्री और प्रधान मन्त्री जी के हाथ में नहीं रह जायेगा । गत 6 महीनों के अन्दर जो घटनायें देश स्तर पर घटी हैं उनसे सबक लेना चाहिये ।

मैं चाहूंगा आने वाले दिनों में जो बड़ी-बड़ी समस्यायें आने वाली हैं और जिन पर प्रदेश उलझने वाला है उनके बारे में मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार रखूंगा । एक सबसे बड़ी समस्या गंगा जल प्रदूषण को लेकर होने वाली है । मैं समझता हूं कि रोजी, रोटी और पेट के सवाल चलते रहे हैं और चलते रहेंगे लेकिन जो गंगा और जमुना के तट के इलाके हैं, हिमालय की तराई और मैदानी भाग हैं वे बहुत जल्दी खत्म होने जा रहे हैं । अगर गंगा प्रदूषण के बारे में नहीं सोचा गया

तो न बनारस रह जायेगा, न कानपुर रह जायेगा, न इलाहाबाद रह जायेगा और न गाजीपुर तथा बलिया रह जायेगा। इस लिए यह जरूरी है कि गंगा प्रदूषण के बारे में जल्दी सोचा जाय।

मेरी जानकारी यह है कि पिछले साल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था लेकिन इस बार के अभिभाषण में कोई धनराशि इस मुतल्लिक नहीं रखी गयी है और केवल गंगा प्राधिकरण के गठन की बात जो केन्द्र सरकार ने की है का जिक्र किया गया है। इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित किया जाय। मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो प्रदूषण को रोकने के लिये बोर्ड बना है इसमें सचिव और अध्यक्ष पद पर जनता के चुने हुए लोगों को रखना जरूरी है। इसके साथ-साथ जो 1974 में प्रदूषण रोकने के लिए कानून बनाया गया उसमें संशोधन करना जरूरी है। अगर उसमें संशोधन नहीं करेंगे चाहे वह गंगा प्रदूषण ही या किसी और नदी का प्रदूषण हो वह नहीं रुक सकेगा।

मैं इस अभिभाषण के माध्यम से मांग करता हूं कि जहां जहां गंगा नदी बहती है उन जिलों में पानी की जांच करने के लिये सरकारी प्रयोगशाला हो। अभी तक यह केवल लखनऊ तथा दो तीन जगहों पर ही हैं। तो हर जिले में जहां गंगा बहती है पानी के जांच के लिए प्रयोगशालायें खोली जायं और जो बोर्ड बना है उसकी शाखा हर जिले में होनी चाहिए। इसी प्रकार यमुना तथा दूसरी नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए भी बोर्ड होने चाहिए। माननीय तिवारी जो जो इस सूबे के मुख्य मन्त्री हैं। 1980 में जब पर्यावरण रक्षा समिति बनाई गयी, जब यह योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे तो उन समय कुछ सिफारिशें उन्होंने की थी और एक सिफारिश यह भी थी कि इसके लिए एक अलग से पर्यावरण मंत्रालय होना चाहिये। तो जब आप मुख्य मन्त्री बन गये हैं तो उस वक्त की गयी सिफारिशों को लागू कराया जाय।

इसके अलावा मैं चाहूंगा कि जो शहरी सीलिंग का जिक्र माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है उसमें एक बात कहना चाहता हूं कि शहरी सीलिंग अधिनियम 1976 केन्द्र सरकार ने पास किया था जो पूरे देश में लागू किया गया है। उसकी दूसरी धारा में लिखा है कि जो लोग स्वयं खेती करते हैं उन किसानों के खेतों को शहरी सीलिंग से अलग किया जा सकता है। मैं दावे से कहता हूं कि इस सूबे के सत्तर सैकड़ा किसानों को इस सीलिंग के अन्दर नोटिस दी जा रही है जो सिर्फ खेती करते हैं और जो बड़े किसान नहीं हैं लेकिन किसी भी बड़े आदमी की जमीन शायद ही ली गयी हो जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में जमीन है। मैं चाहूंगा कि जो छोटे किसान स्वयं खेती करते हैं जिनको जमीन शहर के 8 कि0 मी0 के अंदर है जिनके पास 2, 4, 6, 10 बीघा जमीन है उनको शहरी सीलिंग से मुक्त कर देना चाहिये जब तक यह घोषणा नहीं की जायेगी तब तक किसानों को फायदा नहीं होगा और शहरी सीलिंग का उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा।

इसके अलावा मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आवास विकास अधिनियम उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह आवास विकास परिषद् अधिनियम और नगर विकास अधिनियम, 1973 में जो बनाया गया था, इसमें जहां बड़े बड़े शहर हैं जैसे बनारस, इलाहाबाद, कानपुर आदि जहां विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है और आवास विकास परिषद् काम कर रही है वह सिर्फ शहरों की जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जितने बड़े-बड़े शहर हैं उनमें इतनी ताकत नहीं है कि शहरी आबादी को वह खपा सकें, इसलिये शहरों में और किसी योजना का विकास नहीं हो रहा है जिससे गांव की आबादी शहरों

में आ रही है । इसलिये मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद, यह आवास संबंधी योजनायें बनाते हैं वह शहरों में न बनाकर शहरों से बाहरी इलाके में बनायें जहां कि जमीन ऊसर और बंजर है ।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इनके मकान की जो शहरी लागत है वह ज्यादा है और जहा जहां जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है वहां खेती समाप्त होती जा रही है जैसे बनारस, इलाहाबाद जहां सब्जी पैदा होती है वहां मकान बनाये जा रहे हैं । इसलिये मेरी मांग है कि यह प्राधिकरण और आवास विकास परिषदें शहरों से बाहर जाकर आवास संबंधी काम करें जहां की जमीन ऊसर और बंजर हो, वहां मकान बनायें ।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में छात्रों के लिये एक सवाल बन गया है परीक्षा प्रणाली को लेकर । हर साल हजारों छात्रों के रिजल्ट विदहेल्ड हो जाते हैं । उसके कारण क्या हैं ? मेरी मान्यता रही है, 1974 में जब मैं सदस्य था तो कहता था और आज भी कहता हूं कि दुनियां में जितने भी शिक्षा के जानकार हैं, नये नये शोध किये हैं, उनकी सिफारिश है, कि अब खाली किताब परीक्षा प्रणाली लागू करायें और बंद परीक्षा प्रणाली जो पुरानी हो चुकी है उसको बंद करें क्योंकि 10–15 सवालों को रटकरा विद्यार्थी जाता है और परीक्षा दे देता है । इसलिये मैं सरकार से चाहता हूं कि तत्काल खुली किताब परीक्षा प्रणाली लागू की जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि मेरा प्रस्ताव इस सदन में पास किया जाये ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, आपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया । मान्यवर, यदि ध्यान पूर्वक महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का अवलोकन किया जाये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कार्यों को देखें और अग्रिम कार्यों को देखें तो सरकार ने इस प्रदेश के विकास के लिये कार्यक्रम बनाया है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे हमारे प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा । हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी अपने भाषण में यह नहीं कहा कि यह कार्य नहीं हो रहा है बल्कि यही कहा कि इस कार्य में यह कमी और ऐसा होना चाहिए जिसका मतलब होता है कि यह स्वीकार किया जा रहा है कि विकास की तरफ हम अग्रसर हैं और किसी हद तक विकास का कार्य हो रहा है ।

हमारे पूर्व वक्ता ने एक महत्वपूर्ण बात कही वह पर्यावरण के बारे में विशेष रूप से गंगा प्रदूषण के बारे में कही है । इस संबंध में मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी सरकार चाहे केन्द्र की हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो इस पर अपना पूरा ध्यान दे रही है । इसलिये हमारी केन्द्र की सरकार एक योजना जो गंगा प्राधिकरण के नाम से है, पेज 15 पर है, आप इसका अवलोकन कर लें, माननीय सदस्य इसका अवलोकन कर लें । गंगा प्राधिकरण के तत्वाधान में हमारी केन्द्र सरकार ने प्रदूषण को रोकथाम एवं नदी के घाटों के जीर्णोद्धार के लिए कई योजनाएं बनाई हैं । जो गंगा प्राधिकरण हमारी केन्द्रीय सरकार ने सृजित किया है, उसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 6 जिले लिए जा चुके हैं, जो सहारनपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी हैं । द्वितीय चरण में और भी प्रदूषण निवारण के लिए कार्यक्रम लिए जायेंगे । यह महत्वपूर्ण बात आपने कही थी, लेकिन हमारी सरकार उसके लिए उचित कदम उठा रही है और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा चुके हैं, हाथ में काम लिया जा चुका है । हमारे पूर्व वक्ता सम्मानित सदस्य ने जो बीच में एक सरकार आयी

थी उसमें एक मंत्री पद की वह शोभा बढ़ा रहे चुके हैं, ने कहा कि सब जगह विद्युत की बड़ी कमी है, वह अभी गांव में जाएं तो देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जीरो पावर के बल्ब लटक रहे हैं। इसके लिए उनको बधाई है कि उन्होंने कम से कम इतना तो स्वीकार किया कि गांवों में बिजली पहुंच गई है। इसका मतलब यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण हुआ है और कि़त पावर के बल्ब लटक रहे हैं, इसको वहां के निवासी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। विशेष कर हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण हो रहा है। जहां हम सरकार को इन कार्यों और गुणों के कारण बधाई देते हैं, लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण में विशेष रूप से हरिजन बस्तियों में जो विद्युतीकरण किया जा रहा है, उसका जो बजट रखा गया है, वह बहुत कम है। कभी कभी हम जब हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण करते हैं तो जहां से शुरू करते वहां तो खम्भे पहुंच जाते हैं, लेकिन वह अन्दर तक खम्भे नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण बजट की कमी है।

अतः मेरा सुझाव है कि ग्रामीण विद्युतीकरण का बजट बढ़ा दिया जाए और खासकर हरिजन बस्तियों के लिए, ताकि पर्याप्त मात्रा में उनको यह सुविधा सुलभ हो सके। विद्युत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हम सरकार को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि हमारी सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में 774 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत शक्ति की क्षमता सृजित करने का प्रयास कर रही है और उसका यह कार्य पूरा हो चुका है आशा है कि अब इस वित्तीय अन्तिम वर्ष में 200 मेगावाट तक अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होने लगेगा।

अब मैं विकास कार्यक्रमों के बारे कहना चाहता हूं और उनकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आज जिला योजना के अन्तर्गत, जो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के मुख्य मंत्रित्वकाल की देन है, जिलों में तमाम विकास कार्य किये जा रहे हैं। जिला योजना चल रही है, जहां पर हम बैठ कर अपने जिले की योजना बनाते हैं, उसके लिए सुझाव देते हैं और उनका कार्यान्वयन होता है तथा उस पर हम निगरानी रखते हैं। ग्रामीण स्तर पर 3 लाख की, 8 लाख की योजना प्रत्येक ब्लाक को दी जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत मार्गों पर खड़ंजे लगवाये गये हैं, पेयजल के लिए कुंवे बनवाये गये हैं, नल लगवाये गये हैं और हरिजन आवासों की व्यवस्था की गई है। यह हम आप सब जानते हैं, आप जब जिला स्तर पर जायेंगे और उनमें शामिल होंगे तो उनको इसका ज्ञान हो जाएगा कि उनको क्या उपलब्ध हो रहा है। जहां ब्लाक स्तर पर यह सब कार्यक्रम दिये गये हैं, यह कमी खटकती है कि वहां पर कुओं की मरम्मत पर यदि 200 रुपया लगना है, उस मरम्मत व्यय को देने का वहां पर कोई प्राविधान नहीं है तो भले ही वहां पर 8–10 हजार रुपया नये कुओं के लिए मिल जाए, लेकिन 2 सौ रुपया हम मरम्मत के काम में नही लगा सकते हैं। अतः हमारा सुझाव है कि मरम्मत कार्य के लिए भी विकास खण्डों में रुपया दिया जाए।

हम उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्य मंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 6 हजार किलोमीटर सड़कें बनाने का प्रस्ताव है जिसके लिये वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसके लिए मुख्य मुख्य मंत्री जी और पूरा मंत्रि मंडल बधाई का पात्र है। इसी तरह से 1,140 किलोमीटर नयी पक्की सड़कों का प्राविधान किया गया है जिसके लिये वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। लगभग 7780 किलोमीटर खड़ंजा स्तर की

सड़कों को बनाने का प्राविधान किया गया है । मैं इसके लिये आभारी हूं, अगर यह कार्य पूरे हो जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि इससे प्रदेश का विकास होगा और तेजी से विकास होगा ।

अभी विपक्ष के एक भाई ने कहा कि मिट्टी के तेल के लिये राशन की दूकान पर लाइनें देखने को मिलती हैं । मैं उनके कथन से सहमत हूं । हमारे यहां की जनता अनुशासित है । तेल और राशन की दुकानों पर वह पंक्तिबद्ध होकर खड़ी होती है और तेल लेती है, तो इसमें कोई एतराज की बात नहीं है, यह तो अनुशासन की बात है । वह शायद भूल गये हैं जब वह सरकार में मंत्री थे 1977-80 में क्या होता था उनको शायद याद नहीं है जब डीजल के लिये बड़ी-बड़ी लाइनें लगायी जाती थीं और डीजल की जगह पर पुलिस के डंडे मिलते थे और लोग खाली जरीकेन लेकर वापस आते थे । आज लाइनें इसलिये लगती हैं कि उनको यह उम्मीद होती है कि तेल लेकर जायेंगे । लाइन से ही मिटटी का तेल, डीजल चीनी मिलेगी इसलिये पंक्तिबद्ध होकर जाते हैं ।

मान्यवर, गन्ने के मूल्य के बकाये की बात की गयी । मैं कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार जो बीच में इस्तफा-किया आ गयी थी, उसी तरफ में इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं । हम आप लोगों का कोढ़ ढो रहे हैं । उस समय 7-8 रुपये क्विंटल गन्ना बेचा गया और गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं किया । वही पुराना कोढ़ यह सरकार ढो रही है और उस समय जो भुगतान नहीं किया गया उसका भुगतान किया गया है और काफी हद तक भुगतान हो चुका है । मान्यवर, हम इनकी कमियां दूर कर रहे हैं । विपक्ष की तरफ से जो बातें कही गयीं हैं तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि विपक्ष को पूर्ण हक हमारी आलोचना करने का है लेकिन उसके साथ-साथ सुझाव भी आने चाहिये । सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों का उत्तर-दायित्व होता है प्रदेश का विकास करने में । दोनों रचनात्मक भागीदार बनें तभी प्रदेश तेजी से तरक्की करता है ।

मान्यवर, रोजी की बात कही गयी है । स्वत: रोजगार योजना के तहत जो स्कीम चलाई गयी है उसमें 25 हजार रुपये बिना जमानतदार के बैंक द्वारा कर्ज दिया जा रहा है । 6 हजार छोटी मोटी दूकान खोलने के बारे में देने की योजना है । कोई ऐसे सदस्य नहीं होंगे जिनके यहां के कोई व्यक्ति लाभान्वित न हुये हों । लेकिन मेरा कहना है कि इसमें कुछ कमियां हैं । तहसीलदार का फर्जी प्रमाण-पत्र लेकर लोग लाभान्वित हो रहे हैं । जिनको मिलना चाहिये उनकी जगह पर कुछ गलत लोगों को लोन मिल जाता है तो इस पर कड़ी निगाह रखी जाय । यदि किसी को जो पात्र नहीं है कर्जा मिल गया है तो उससे वापस लेना चाहिये जिससे सही व्यक्तियों को लाभ मिल सके ।

मैं इस बात को ईमानदारी के साथ स्वीकार करने के लिये तैयार हूं कि जनता में कुछ असंतोष है । असंतोष होना स्वाभाविक है । जहां पर कार्य होता है, वहां पर मांगें ज्यादा हैं और साधन कम हैं । चाहे विकास खंड हो, चाहे जिला हो या प्रदेश सरकार हो या केन्द्र सरकार हो चूंकि साधन सीमित हैं और मांगें असीमित हैं इसलिए कुछ असंतोष है । जहां से आशायें होती हैं और उस हद तक मांगें पूरी नहीं हो पातीं तो कुछ असंतोष होता है । हम जनता की आशायें पूरी करने में लगे हैं । हमारे माननीय विरोध पक्ष हर भाई वह दिन भूल गये हैं उनको पौने तीन साल तक हुकूमत में रहने का मौका मिला था । अपने क्रिया कलापों को देखें, जनता ने पांच साल के लिये भारी बहुमत से, पूर्ण आस्था से चुनकर भेजा था लेकिन आपने जनता के साथ बेवफाई की और पौने तीन साल में ही चले आये । आप उस बच्चे की ही तरह हैं जिसको पांच बजे तक के लिये स्कूल में पढ़ने के लिये भेजा जाय लेकिन

पौने तीन बजे ही वापस आ जाय। तो उसको लायक कहेंगे या क्या कहेंगे? इन्हीं शब्दों के साथ में मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव का मर्थन करता हूं और मैं मान्यवर, आपका आभ री हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री विक्रमादित्य पान्डेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय महा-महिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के विपक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पृष्ठ 1 से लेकर 17 तक आप पढ़ें तो ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे इरिगेशन हो, ग्रिकल्चर हो, बिजली हो, डेवलप-मेंट हो' उसमें इतने काम हो चुके हैं कि अब करने की कोई गुजाइश नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ता पक्ष में जो लोग बैठ हुए हैं, वह सदन को देख कर, सदन की बिजली को देखकर, अपने घर की स्थिति को देख कर यह कहने के लिए बाध्य हो गये हैं कि देश ने काफी प्रगति कर लिया है, प्रदेश ने काफी प्रगति कर ली है। मैं अपने देहात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जहां का मैं रहने वाला हूं। मैं होली के दिन अपने क्षेत्र में गया और वहां पर मैं भोला चमार के यहां गया, मैंने उससे पूछा कि होली कैसी है, तो उसने कहा कि बाबा हमारे यहां कुछ बन ही नहीं पाया, गेहूं नहीं मिला और गेहूं के अभाव में रोटी हमारे यहां बन नहीं पायी।

मैं पूछना चाहता हूं कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं वह अर्थ के साथ हमारी बात सुनने मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जो लोग प्रगति का ढिंढोरा पीटते हैं, जो लोग प्रगति की बात को आकाश तक उठाना चाहते हैं। भोला चमार जो गांव का रहने वाला है, वह गेहूं के अभाव में अपनी होली नहीं मना पाया, यह कैसी प्रगति है? आपके पास महात्मा गांधी जी का चित्र लगा हुआ है, सत्तापक्ष की झूठी बात को सुनकर मैं समझता हूं कि उनकी आत्मा को कष्ट हो रहा है। आप गरीबों की बात करते हैं। आई० आर० डी० आ गयी, मैं ब्लाक प्रमुख था, ग्राम प्रधान भी था। मुझे दोनों पदों का अनुभव है कि आई० आर० डी० में क्या हो रहा है। आई० आर० डी० का बजट किस प्रयोग में आ रहा है। उसका 3/4 बी० डी० ओ० और संबंधित कर्मचारी लोग खा जाते हैं और 1/4 संबंधित व्यक्ति को मिल पाता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो इस तरह की बातें करता है, उससे आप पूछें।

श्रीमन् मैं, आपसे कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष की स्थिति क्या है? वह ऐसी स्थिति है, जो दही बेचने वाले की है, जो खट्टी दही को भी मीठी कहता है या मन्द बुद्धि का बच्चा जो है वह बार-बार फेल होता है और उसके बावजूद भी कहता है कि मेरा सवाल बहुत अच्छा है। इरीगेशन और एग्रीकल्चर की बात आप कह लें। श्रीमन्, एग्रीकल्चर की बात कही जाती है कि कृषि में बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। श्रीमन, जो हमारा समर्थन मूल्य है, जो हमारा कास्ट आफ प्रोडक्शन है और जो हमारी मारकेट प्राइस है, दोनों को आप देखें, तो आपको हताश होना पड़ेगा। कास्ट आफ प्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से तय होता है, इसको तय करने में ऐसे लोग हैं, जिन्हें यह नहीं मालूम है कि खाद का दाम क्या है, बीज का दाम क्या है, बिजली का दाम क्या है? प्राइस यह लोग तय करते हैं जो एयरकन्डीशन में रहते हैं और किसानों की स्थिति से परिचित नहीं है। परिणाम यह होता है कि आपने 50 रुपया तय किया और किसानों को 120 रुपया मिलता है। जो कास्ट आफ प्राइज तय की जाती है वह ठीक नहीं है जो प्राइज तय की जाती है उसमें आपकी तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसानों को परेशानी न हो।

मान्यवर, अब मैं इरीगेशन के संबंध में कहना चाहूंगा। इरीगेशन में सातवीं पंचवर्षीय योजना में

*वक्तृत्व निरीक्षण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

56 लाख हेक्टेयर भूमि की सिचाई होगी, यह कहा गया है। लेकिन आंकड़ों के संबंध में किसी विद्वान ने कहा है झूठ दो प्रकार का होता है एक तो झूठ और दूसरा सफेद झूठ, तो आंकड़े के विषय में इन्होंने झूठ कहा है। आंकड़े दिखा कर सत्तापक्ष झूठ को सही प्रदर्शित करना चाहता है। मान्यवर, 60 प्रतिशत किसानों की सिचाई नहीं हो पाती है। इस विषय में कहना चाहता हूं कि नलकूपों की संख्या बढ़ाने से सिचाई की संख्या नहीं बढ़ सकती है, जब नलकूपों की नालियां न बनें उसकी मशीन ठीक न रखें। 80 प्रतिशत नलकूप आज हमारे यहां बेकार पड़े हुए हैं नलकूप हैं तो मशीन नहीं है, नलकूप हैं तो नाली नहीं हैं, नलकूप हैं तो विद्युत नहीं है। ऐसी स्थिति में आंकड़ों को दिखाकर यह कहा जाए कि सिचाई का कार्य ठीक हो रहा है, यह ठीक नहीं है।

मान्यवर, शिक्षा के संबंध में कहना चाहता हूं। एजुकेशन के बारे में बहुत सी बातें अभिभाषण में कही गयी। आप देखें मान्यवर, जहां के बच्चे नंगे आकाश में रहते हैं। गर्मी में गरम होते हैं, सर्दी में ठंडे होते हैं और बरसात में नरम होते हैं, उनके बैठने के लिए स्कूलों में टाट नहीं हैं, पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं हैं। यह हालत प्राइमरी स्कूलों की है, तो इस देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा। जूनियर हाई स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है। श्रीमन्, हायर सेकेन्डरी स्कूलों की व्यवस्था पहले प्राइवेट मैनेजमेन्ट के हाथों में थी। अब यह उनके हाथ में नहीं रही है। अब इसकी व्यवस्था शासन ने अपने हाथों में ले ली है। शासन ने कहा है कि हम अध्यापकों को वेतन देंगे, लेकिन इन्होंने यह नहीं देखा कि स्कूलों में फर्नीचर है या नहीं, अध्यापक हैं या नहीं। शिक्षा मंत्री चाहे कोई रहे हों, चाहे कोई हों सबकी बदतर स्थिति है।

मान्यवर, अब मैं प्लानिंग के संबंध में कहना चाहूंगा। प्लानिंग की जो थिंकिंग है वह ठीक नहीं है। इसको ठीक करने की जरूरत है। प्लानिंग का तरीका यह है कि 50 साल बाद कौन सी बात होने वाली है यह मालूम हो। आज कहा जाता है कि सारी व्यवस्था करनी पड़ रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आप घर में रहने की व्यवस्था नहीं करते हैं, रेल में चलने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो क्या मतलब है आपकी सरकार का। मान्यवर, स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू जी के सामने प्लानिंग हुई और प्लानिंग करने वाले भी आप लोग ही थे। इस बात को हमने देखा है कि इन 15-20 सालों में हमारे देश में क्या होने वाला है। स्कूलों में छात्रों की संख्या कितनी बढ़ने वाली है। यह कहते हैं कि आबादी बढ़ गई....

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय हो रहा है आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री विक्रमादित्य पाण्डे--

मान्यवर, मैं बलिया से चुनकर आया हूं जहां भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी एक भाषा है इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में भोजपुरी भाषा का कैसे विकास हो, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है अभी बिहार में भोजपुरी के विकास के लिए भोजपुरी एकाडमी बनाई गई है। मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी भोजपुरी विकास के लिए भोजपुरी एकादमी बनायी जाय। मैं जिस जनपद बलिया से आता हूं वही बलिया एक नगर है। वहां पर न सीवरेज की व्यवस्था है, न जल निकासी की व्यवस्था है, न पीने के पानी की व्यवस्था है। वहां पर मच्छर इतने हो गए हैं कि वह तरह-तरह के रोगों को फैला रहे हैं। आपकी कृपा होगी यदि आप वहां इस प्रकार

की व्यवस्था करायें कि जिन सारी समस्याओं की ओर मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट किया है उनको दूर करायें।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा यह सौभाग्य है कि आपने मुझे मौका दिया महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण यहां पढ़ा गया है उस पर सत्ता के पक्ष में कुछ कह सकूं। वैसे तो वह अभिभाषण अपने आपमें पूरा है। इस बात के लिए कि जिन समस्याओं से हमरा प्रदेश पिछले सालों में जूझता रहा है, जिन समस्याओं के लिए हम सत्ता में रहते हुए और 3 साल विपक्ष में बठने का मौका मिला, उन समस्याओं पर अपनी बातें कहते रहे हैं। आज उसी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो बात कही गई है कि हम प्रदेश को चौमुखी विकास करेंगे, श्री नारायण दत्त की अध्यक्षता में। मैं कहना चाहता हूं चाहे बेरोजगारी को दूर करने की बात हो, चाहे क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, चाहे गांव से लेकर जिले तक, जिले से लेकर शहर का विकास हो, ग्रामीण अंचल का विकास हो, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सब की बातें कही गयी हैं। मैं इस सम्बन्ध में केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकारी पक्ष की तरफ से जो भाषण पेश किया गया है, उससे सम्बन्धित आंकड़े से यह महसूस होता है कि पूरे प्रदेश का विकास होगा। हर एक चीज पर हमारी सरकार की निगाह है। पिछले साल बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्वतः बेरोजगार योजना के अन्तर्गत जो हाई स्कूल पास नौजवान थे या ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, जो नौकरी नहीं कर सकते थे या नौकरी नहीं पाये थे उन सैकड़ों हजारों नौजवानों के लिए हमने प्रत्येक जिले में यह व्यवस्था की कि वह स्वतः उद्योग लगा सकें। उसके लिए हमारी सरकार ने जगह-जगह लोगों को लाभान्वित किया और पैसा दिया है। इसके अतिरिक्त जो छोटे-छोटे मोची, दुकानदार थे पान वाले थे, उनके लिए भी यह व्यवस्था की गयी है कि वह अपना रोजगार चला सकें। इसके अतिरिक्त शिक्षा की तरक्की के लिए बहुत बात कही गयी है।

मैं यह निवेदन जरूर करना चाहता हूं, मैं यह महसूस करता हूं जहां तक टेक्निकल, नानटेक्निकल एजूकेशन का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसकी शिक्षा में और पब्लिक स्कूल की शिक्षा में अन्तर होता है। पब्लिक स्कूल के बच्चे पी0 सी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 में आ जाते हैं लेकिन गरीब किसान के बेटे को मजदूर, के बेटे को उसमें दिक्कत होती है। मेरा सुझाव है इस अभिभाषण का समर्थन करते हुये कि शिक्षा की समान व्यवस्था आप कर दें और हमारी सरकार का ऐसा दृष्टिकोण भी है। आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए और हमारी सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति जो पैदा हो उसको शिक्षित करें। राजीव जी ने, हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि हम शिक्षा का अवसर देंगे और उन्होंने यह भी कहा है कि हम गरीबों को मुफ्त शिक्षा हाई स्कूल तक देने का प्रयास कर रहे हैं और इसकी घोषणा भी वह कर रहे हैं। जहां तक सिंचाई का सवाल है यह निश्चित तौर पर यदि हम पुरानी प्रगति देखें तो आजादी से लेकर आज तक और विशेषकर 5 साल से सिंचाई की क्षमता बढ़ी है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि एक व्यक्ति जिसका कमान्ड एरिया अपने उसमें आता है नहर या सरकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ट्यूबवेल में पानी नहीं आता है। मेरा निवेदन है कि यदि वह कमान्ड एरिया में मान लीजिये बम्बे का पानी 3–3 महीने नहीं आता है, तो उसको देखें। इसके अतिरिक्त मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और यहां नेता विपक्ष नहीं हैं लेकिन मेरे साथियों ने जब राज्यपाल जी अभिभाषण करने आये तो बड़े प्रजातंत्र की बात किया।

मेरे विपक्ष के साथी विद्यमान हैं मैं तो यह समझता हूं। मैं तो पहली बार चुनकर आया हूं उनके संविधान की नीतियां हैं लेकिन जो परम्परा आपने डाली है वह अपने में इक्साम्पिल कोठ की जायेगी। देश की राजनीति में एक ऐसा भी कार्य हुआ है कि देश में 72 एम0 पी0 वाला व्यक्ति प्रधान मंत्री बना लिया जाय और प्रधान मंत्री बनने के बावजूद भी प्रधान मंत्री को जो कुर्सी मिलनी चाहिए वह उस पर न बैठ पाये यह दुनिया का आठवां या नवां अश्चर्य है। प्रजातंत्र की हत्या हो रही है आपकी सामूहिक सरकार रही है जिसमें से माननीय चौधरी चरण सिंह जो प्रधान मंत्री थे। जिस समय माननीय मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री थे। आपने गांधी जी की समाधि के सामने प्रतीज्ञा ली थी। आपकी सामूहिक सरकार में बरनाला मंत्री थे आपकी सामूहिक सरकार में प्रकाश सिंह बादल मुख्य मंत्री थे। जिसमें आपने जनता सरकार में प्रतिज्ञा की थी कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जबकि आपके मंत्रिमण्डल के एक व्यक्ति ने दिल्ली जाकर संविधान को जला दिया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रजातंत्र की बात छोड़ गये लेकिन पहले देश के सामने आपके वह बड़े नेता जिनके साथ वह भी था माफी मांगे कि हमने प्रजातंत्र के संविधान के जलाने वाले को पार्टी में शामिल किया। एक और बात कहना चाहता हूं जिसकी दुनियां में कोई मिसाल नहीं है जब इन्दिरा जी की मृत्यु के बाद जब राजीव गांधी को संसद सदस्यों का समर्थन मिल गया उस समय चौधरी साहब ने कहा कि यह चुनाव गलत हुआ है। तो प्रधान मंत्री ने कहा कि जनता के बीच चुनाव करा लिया जाय। हमारे नेता विपक्ष ने यह भी कहा कि बूथ कैप्चर हुए यदि बूथ कैप्चर होते तो हमारे माननीय नेता चौधरी साहब हार जाते।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप आखिरी जुमला कहकर बैठ जायें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी ने जो अपना अभिभाषण रखा है उसके बारे में ...

(व्यवधान)

(3 बजकर 20 मिनट)

में अभी आपसे सीख रहा हूं। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो महामहिम राज्यपाल जी ने अपना भाषण रखा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे सुरक्षा विकास का क्षेत्र का रहा हो, चाहे रोजगार देने का क्षेत्र रहा हो, चाहे छोटे गांवों से लेकर जिला स्तर और शहरों के विकास की बात रही हो, उसमें प्रत्येक बिन्दु को छुआ गया है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे किसान हो या मजदूर, उसमें प्रत्येक बात इस विस्तृत ढंग से उठायी गयी है कि हमारे विपक्ष के साथियों को भी ईमानदारी से साफ दिल से उसका समर्थन करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राज किशोर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने राज्यपाल के अभिभाषण को गहराई से पढ़ा और धन्यवाद प्रस्ताव को ध्यान से

सुना । सत्ता पक्ष के जो लोग बोल रहे हैं उनको भी सुना और सुन रहा हूं । सत्ता पक्ष के लोग यह गीत गा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास बहुत अधिक हो गया है और अब इतना ही बाकी है कि यहां थोड़े दिन में दूध और घी की नदियां बहने लग जाएंगी और सब लोग दूध, घी खा करके मोटे हो जाएंगे जैसे सत्ता पक्ष के लोग हो गये हैं । इनको यह दिखाई नहीं पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी कितनी है और इन्होंने स्वास्थ्य के बारे में कितना इंतजाम किया है । यहां पर औद्योगिक प्रगति कितनी हुई, नागरिक सुविधाएं कितनी प्राप्त हुई, शिक्षा के मामले में कितनी प्रगति हुई, इसको एक-एक करके देखने की कोशिश ये लोग नहीं करते । इन्हें नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा भोजन, जो विदेशों में जानवर भी नहीं खाते, यहां के लोग खाने के लिये मजबूर हैं, जिसका कारण है कि यहां पर नाना प्रकार की बीमारियां लोगों को घेर रही हैं ।

सत्तापक्ष के आदरणीय सम्मानित सदस्यों को यह जानकारी होनी चाहिये कि उत्तर प्रदेश में कितने टी० बी० के मरीज हैं । आपने यहां टी० बी० लगवा दिया लेकिन यह जानने की कोशिश नहीं करते कि कितने लोग यहां बीमार हैं, या भूख से मर रहे हैं । उनके लिये दवा का इंतजाम या भोजन का इंतजाम नहीं है कि टी० बी० की बीमारी से मुक्त हो सकें । कितने लोग कोढ़ से ग्रस्त हैं । कितने लोग इस हालात से गुजर रहे हैं जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं । लेकिन, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बहुत अधिक विकास हो गया है । मैं इन चीजों को एक-एक करके गिनाना चाहता हूं ।

अभिभाषण में कहा गया है कि हम कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हो गये हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान के बारह सूबों में सबसे छे है । यह कृषि के उत्पादन में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है । आपके बगल में पंजाब है जो चावल नहीं पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है और आप गेहूं पैदा करने वाले लोग हैं, पश्चिमी बंगाल चावल का है । उत्तर प्रदेश में गेहूं 1641 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, जबकि पश्चिमी बंगाल में जहां चावल होता है वहां 2275 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं होता है । मुकाबला कीजिये चावल वाले प्रदेश बंगाल में गेहूं हमसे ज्यादा होता है । इसी तरह से पंजाब गेहूं पैदा करता है, लेकिन वहां चावल हमसे ज्यादा पैदा होता है । लेकिन आप गा रहे हैं आपने उत्तर प्रदेश में इतना अधिक पैदा कर लिया है कि और जरूरत नहीं है । जाकर गांवों में देखें अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, वे तस्वीर बता रहे थे कि यहां की क्या हालत है । लोगों के पास खाने के लिये अनाज नहीं है । आप तो खूब खाते हैं इसलिये आप समझते हैं कि लोग खा रहे हैं । आपने किसानों के लिये क्या किया । आप जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं कि वह क्या थी । मैं उस बहस में नहीं जाना चाहूंगा । जनता पार्टी ने किसानों को 75 रुपया बोरी यूरिया दिया और आप 123 रुपया दे रहे हैं । आप किसान की बात कर रहे हैं । मैं तो कहता हूं कि आप किसान विरोधी हैं इसीलिये ऐसा काम कर रहे हैं । रासायनिक खाद की कीमत आपने आसमान पर पहुंचा दी है और कीटनाशक दवा के रेट में बेइन्तिहा वृद्धि हो गई है । कीटनाशक दवायें किसान ले नहीं पाता है । धान की फसल में ऐसे कीट पैदा हो गये हैं जिसने सारी फसल को चौपट कर दिया है । अगर किसान बाजार में कीटनाशक दवाओं के लिये जाता है तो वे दवायें उपलब्ध नहीं होती हैं और मिलती भी हैं तो ब्लैक मार्केट में मिलती हैं जिसे किसान खरीद नहीं सकता है और अपने खेतों में नहीं डाल सकता । तो यह इन्तजाम आप कर रहे हैं किसानों के लिये ? बरसात न हो, प्रकृति की मेहरबानी न हो तो खेती यहां पर हो

ही नहीं सकती । आपको यह कहने में जरा भी लिहाज नहीं है । बिजली का रेट ही ले लीजिये जनता पार्टी ने बारह रुपया प्रति हार्स पावर किसान से चार्ज किया था और आपने वह रेट बढ़ाकर 22 1/2 रुपया कर दिया । यह आप किसानों के ऊपर और बोझ लाद रहे हैं ।

आप किसानों की क्या बात करेंगे । आपने हर चीज के दाम बढ़ाये हैं । आपने बिजली में यह हालात पैदा कर दी कि उसकी सारी फसल चौपट हो गई । जगह-जगह पर नहरें आप खोद रहे हैं । उन नहरों में पानी नहीं है । हमारे बनारस जिले में आप देखें । एक शारदा नहर परियोजना बनायी है, उससे जगह-जगह सड़कें टूटी हुई हैं, नहरें जुड़ी हुई हैं लेकिन उनमें पानी नहीं आ पाता । आपकी ये नहरें जो हैं ये बरसात में ही चलती हैं । जब बरसात का पानी चलता है तो उस समय आपकी नहरे भी चलने लगती हैं । आप किसानों के गीत गा रहे हैं । बरसात न हो तो किसान खेती न कर पाये और उनकी फसल चौपट हो जाय । इसलिये मुख्य सवाल यह है कि आप उनके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपके केवल दो मिनट बाकी हैं ।

श्री राज किशोर--

माननवर, अभी तो मुझे बहुत बोलना था । शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं । आप शिक्षा का गीत गा रहे हैं । उत्तर प्रदेश में 27.16 प्रतिशत शिक्षित हैं । यहां पर एक लाख गांवों में एक स्कूल नहीं है । गांवों के अन्दर 50 हजार स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं । आपके प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां बरसात के दिनों में पढ़ाई सम्भव नहीं है । आप कहते हैं कि हमने शिक्षा का बड़ा प्रसार किया है । क्या यही आपने प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार किया है ? बच्चों को छत के नीचे बैठने की जगह नहीं है । आज भी बच्चे अपनी टाट-पट्टी लेकर स्कूल जाते हैं । पश्चिमी बंगाल से आप सबक लें । वहां पर प्राइमरी पाठशाला के लड़कों को भोजन, दवा, कागज और कलम आदि सरकार देती है । आप कहते हैं कि हमने कन्याओं के लिये, बालिकाओं के लिये फीस माफ कर दी । आपकी यह सब ढपोरसंखी व्यवस्था है । दूसरे प्रदेश में कक्षा 12 तक सभी की फीस माफ है । आप 8वें और 10वें तक भी नहीं कर सके हैं । यही आप शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं । वहां 25 प्रतिशत अनुदान भूमिहीनों और गरीब परिवारों को दिया जाता है ।

दूसरी तरफ हरिजनों के हाल देखिये । उनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, चूंकि समय नहीं है नहीं तो मैं बताता कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं हरिजनों के ऊपर । यह हालात हैं आपके यहां, बलात्कार की घटना हुई है । यहां कानून व्यवस्था नाम की चीज रह ही नहीं गयी है । युवक मंगल दलों को इसलिए बनाया कि जाकर बूथों पर कब्जा करो, वोट छीनों । पिछले चुनाव में देखा, हमारे क्षेत्र में बड़ी कोशिश की गयी और किया भी, लेकिन तब भी नाकामयाब रहे । मुकाबला किया । कई लोगों के सिर तोड़े गये ।

श्री अधिष्ठाता--

आप का समय समाप्त ।

श्री राजकिशोर--

तीसरी बात कहना चाहता हूं मजदूरों के बारे में । उत्तर प्रदेश में 500 छोटे-बड़े कारखाने बन्द हैं, जिसमें 50 हजार लोग बेकार बैठे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राज किशोर जी, समय के बारे में जब एक बात तय हो गयी है

तो उसका अनुपालन करें । आपके लिये केवल 10 मिनट का समय निर्धारित है । दो आदमियों का रेकगनाइज्ड ग्रुप नहीं होता है । आपको फिर मौका मिलेगा और मेम्बरों को अपनी बात करने दें ।

*श्री रामपाल सिंह एडवोकेट--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री लालप्रताप सिंह जी द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के कुछ अंशों को यहां पर पढ़ा, लेकिन हमारे विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि उन्होंने यहां पर अभिभाषण नहीं पढ़ा । पहले यह भी कहा गया इनकी तरफ से कि उस अभिभाषण की प्रतिलिपियां माननीय सदस्यों को नहीं बांटी गयी, लेकिन जब प्रतिलिपियां सामने आयीं, तब उन्होंने यह स्वीकार किया कि यहां यह बांटी गयी हैं । मान्यवर, यहां यह भी कहा गया कि अभिभाषण में वे बातें नहीं हैं, जिससे प्रतीत हो कि सरकार की नीति क्या है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की जो नीति है, वह है विकास की नीति और वह सब अभिभाषण में अंकित है । सरकार की नीति के सम्बन्ध में जो....

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया दूसरे किसी माईक पर आ जायें, क्योंकि आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामपाल सिंह एडवोकेट--

बातें इसमें दर्शायी गयी हैं, उसको हम सभी देख सकते हैं । विकास की बात हर क्षेत्र के लिये कही है । यह विकास की बात जो कही गई है, हमारे साथी जो विपक्ष में बैठे हैं, उनको दिखायी नहीं दे रही है । अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया फिर से उसका अध्ययन करने का कष्ट करें और देखें कि विकास के बारे में जो नीति विशा निर्देश दिये गये हैं, वह सब इसमें दिया गया है ।

मान्यवर, अभी हमारे एक साथी जो ब्लाक प्रमुख भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ब्लाक में घपलेबाजी हो रही है । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर उनके सामने कोई ऐसी बात आयी तो उन्होंने आज तक क्या किया ? क्योंकि वे स्वयं उस समय ब्लाक प्रमुख थे और जो भी हो रहा था वह उनके माध्यम से हो रहा था ।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य ने कोई ऐसी बात नहीं कही, जो गलत हो । इसलिए वह अपना भाषण जारी रखें ।

श्री रामपाल सिंह एडवोकेट--

मान्यवर, मैं आई० आर० डी० स्कीम के बारे में कह रहा था । उन्होंने कहा कि इसमें वहां पर काफी घपला हो रहा है । उस समय वे वहां के ब्लाक प्रमुख थे, उन्हें वहीं पर इसी काम को देखने के लिए बैठाया गया था ।

दूसरी बात शिक्षा की यहां पर कही गयी है । वे चाहते हैं कि एकदम शतप्रतिशत ग्रेजुएट हो जायं । वे चाहते हैं कि सब लोग पढ़-लिखकर यहां आ जायं । उनसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा की नीति के बारे में भी इस अभिभाषण में कहा गया है, इसे एक

बार वे लोग देख लें। शिक्षा के क्षेत्र में आज तक क्या किया गया है और भविष्य में क्या किया जाना है, ये सारी चीजें अभिभाषण में दी गई हैं। स्कूलों को पक्का बनाये जाने की बात कही गयी गई हैं। इस संबंध में भी सरकार ने दिशा निर्देश दिये हैं। हमारे जो संसाधन हैं, उसी के अनुसार तो हम काम करेंगे। जो कार्यक्रम हैं, वे सभी धीरे-धीरे पूरे किये जायेंगे।

स्वास्थ्य के बारे में तमाम योजनायें चलाई जा रही हैं। पहले क्या किया जा चुका है और भविष्य में क्या किया जाना है, इन सारी चीजों का उल्लेख अभिभाषण में किया गया है। यहां पर सिंचाई, बिजली व पैदावार के विषय में भी कहा गया। खेती जो विकास का मुख्य साधन है उसे आप देखें। इस समय जो पैदावार हुई यह कैसे हुई, इसे आप देखें। जो खेती बेकार पड़ी हुई थी, उसमें किस तरह से पैदावार बढ़ाई जा रही है उसमें जो साधन लगाये जा रहे हैं, वे सब कहां से आयें इन सारी चीजों को आप देखें, जिनका उल्लेख इस अभिभाषण में किया गया है। अच्छी चीज का तो आप नाम नहीं लेंगे। यही कहेंगे कि यह नहीं हुआ और वह नहीं हुआ। किसानों को मूल्य नहीं मिला। एक रेट फिक्स किया गया, उसके अनुसार किसानों से कहा गया कि वे वहां जांय और अपना धान व गेहूं जाकर बेचें। परन्तु इस विकास के कार्यों में हमारे साथीगण अवरोधक बन रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि इस प्रकार के कन्स्ट्रक्टिव कार्यों में वे सरकार के साथ सहयोग करें।

विकास के सम्बन्ध में सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, जिनका पूर्ण विवरण महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया गया है। हमारे विपक्ष के साथीगण यहां केवल इसलिए नहीं बैठे हैं कि वे देख कर भी अनदेखा करें। हम दोनों का काम है सहयोग प्रदान करें और किसी जगह कोई कमी पायी जा रही है तो उसमें आवश्यक है कि अपने सुझाव दें। जो भी कान्स्ट्रक्टिव काम करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है उसको पूरा करने में हमारा सहयोग अपेक्षित है। अन्त में मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर मैं जानकारी चाहता हूं कि आप विरोधी दलों के माननीय सदस्यों को, उनके नेता के लिखने पर बोलने का मौका देते हैं। तो हमारे बल के किसी सदस्य ने अभी भाग नहीं लिया है जबकि लिख कर गया है। इस पर आपको विचार करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

मित्र सेन जी, आप मुझ से मिल लें, अगर आया है तो दिखवा लिया जायगा।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो विचार सामने आये जो भाषण पढ़ने को मिला, हम आशा कर रहे हैं कि इसमें प्रगति, विकास और 20 सूत्री कार्यक्रम के नाम पर हमें 21वीं शताब्दी के उज्जवल भविष्य का सपना दिखाया जा रहा है लेकिन हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि किस तरह से बिजली के मामले में हमारा प्रदेश 19वीं शताब्दी की ओर ले जाया जा रहा है। आज हमारे घरों में महिलायें दिया, मोमबत्ती, लालटेन जलाने के लिए बाध्य हैं। प्रात: 5 बजे जब हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं परीक्षा के लिए उठाना चाहते हैं, बिजली बन्द हो जाती है। चारों ओर जनता में इस बात के लिए असंतोष है जब कि चुनाव के समय बार-बार कहा गया कि बिजली के संकट को दूर किया जायगा, कटौती खतम की जायगी, लेकिन चुनाव के बाद 2 के बजाय 3 घन्टे की कटौती का उपहार

जनता को दिया गया है और सुबह 5 बजे से बिजली गुल हो जाती है। कटौती के अलावा जहां किसानों को बिजली नहीं मिलती वहीं उद्योगों में 3 दिन की कटौती के बाद भी बिजली प्रायः गुल हो जाती है। मैं चाहता हूं कि सरकार घोषणा करे कि हमारे नागरिकों को, शहरी लोगों को बिजली अनवरत रूप से मिलती रहे गावों को बिजली मिलती रही। इस बात का प्रयास किया जायगा।

मैं आगरा से चुन कर आया हूं। आगरा एक ऐतिहासिक नगर है लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लाखों नागरिक, तथा विदेशी पर्यटक जो हजारों की संख्या में आते हैं, दूषित, गन्दा और कीड़ों से भरा पानी पीने के लिए बाध्य हैं।

आगरा का जल संस्थान किसी प्रकार से भी लोगों को शुद्ध जल और पूरी मात्रा में देने में सफल नहीं हो पाता। अनेक बार जल संस्थान के महाप्रबन्धक को और आगरा के जिलाधिकारी को ऐसी शीशियां दी गयीं, जिसमें पानी में कीड़े भरे हुए थे, लेकिन उसको शुद्ध करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया जाता। प्रदेश की सरकार की तरफ से भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। आगरा की यमुना आज रेगिस्तान बनती जा रही है। आप उसके पानी पर निगाह दौड़ाइए तो कीचड़ भरा पानी होगा। मल-मूत्र से भरा पानी पीने के लिये आगरा की जनता बाध्य है। हमारी सरकार के जिम्मेदार नेताओं के द्वारा घोषणा करने के बाद भी वहां पर पेयजल समस्या को हल करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है। हमारे प्रदेश की अन्य प्रदेशों की तुलना में उपेक्षित स्थिति रही है।

सड़कों के मामले में, सफाई के मामले में, गन्दगी के मामले में प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे आगरा के नागरिक 'नगरमहापालिका' को "नरक महापालिका" कहते हैं। वहां पर हर कोने में आपको गन्दगी के ढेर दिखायी देंगे। इसका कारण है कि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन पड़े हुए हैं। नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुए। आज भी देखकर दुख हुआ कि मुख्य मन्त्री जी ने कोई भी समयबद्ध कार्यक्रम नहीं दिया, केवल यथाशीघ्र चुनाव करायेंगे, कहकर टाल दिया। मेरी मांग है कि सरकार घोषणा करे कि 3 महीने के अन्दर स्थानीय निकायों के चुनाव जरूर करा दिये जायेंगे ताकि जनता के प्रतिनिधि नागरिक समस्याओं का और सफाई का विशेष ध्यान रख सकें।

कानून व्यवस्था के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। आज प्रदेश के नागरिक आतंकित रहते हैं। रात के समय आगरा में अनेकों घटनायें होती हैं। सुबह यात्री ट्रेन से उतरकर आते हैं तो लूट लिये जाते हैं। शाम को अपनी माताओं, बहनों और पत्नियों के साथ जाने में डर लगता है। प्रदेश की सरकार जन-जीवन की रक्षा करने में असफल रही है। जितनी बातें शान्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कही गयी हैं, वे केवल चांदी के वर्क में लपेटकर पान पेश करने की असफल कोशिश की गयी है। नागरिक जीवन को सुरक्षा देने में प्रदेश का शासन असफल रहा है। विधान सभा चुनाव अभी सम्पन्न हुए हैं। इसमें जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने गुण्डागर्दी की है और चुनाव के माहौल में घांधली की गयी है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं जिस शहर से चुनकर आया, उसका भूक्तभोगी हूं, हारते-हारते भी आखिर जीतने में सफल हो गया। मेरे ही साथी जिनको पहले 136 वोट से जीता हुआ बताया गया था, बाद में 53 वोट से हारा हुआ बताया गया। इनका नाम रमेश कांत लवानिया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, इनको पहले 136 वोट से जीता हुआ बताया गया था, बाद में हारा हुआ घोषित कराया गया। इस प्रकार की

बातें इन चुनावों में की गयी । मैं इस सदन से मांग करता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि सदन की एक सर्वदलीय समिति बनाकर चुनाव की इन धांधलियों की जांच की जाय व रोका जाय वरना लोकतंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह लग जायगा और लोकतंत्र खतरे में पड़ जायगा । चुनाव की इन्हीं धांधलियों के बारे में हमने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपके भाषण का समय समाप्त हो रहा है, आप समाप्त करें ।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि सदन में स्पष्ट कहा जा चुका है कि चुनाव आयोग की कार्यवाही पर यहां टिप्पणी न की जाय । परन्तु यहां पर बार-बार इसका उल्लेख किया जा रहा है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

चुनाव आयोग से मैं मिला हूं और उसने कहा है कि. . . .

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई तर्क या वितर्क की बात नहीं है । चुनाव आयोग के मामले में कल यहां बात हो चुकी है ।

श्रीमती शशि शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से महामहिम राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर शासक पार्टी की ओर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि तिवारी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिये, उसके सुख और समृद्धि के लिये जो कार्य किये हैं उसके लिये वह बधाई की पात्र हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह—

ये तो पढ़ रही हैं । पढ़िये नहीं, अपने से बोलिये ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों से यह कहना जरूरी है कि जब पहली बार कोई विधायक बन कर आये तो मैं समझता हूं कि उसे थोड़ी तरह देनी चाहिये ।

श्रीमती शशि शर्मा—

तिवारी जी की सरकार ने पूरे प्रदेश की सुख और समृद्धि के लिये सर्वांगीण विकास का मसौदा तैयार किया है इसके लिये वह बधाई की पात्र है । खाद्यान्न के क्षेत्र में 5 साल का टारगेट इस सरकार ने 4 साल में पूरा किया है और इस वर्ष 110 लाख टन के करीब गेहूं का उत्पादन हुआ है जो कि एक नया कीर्तिमान है ।

दूसरी उपलब्धि यह है कि सीमान्त कृषकों को इससे लाभ पहुंचा है । सन् 1982 में कांग्रेस ने लाहौर में जो वचन दिया था, उसे अब पूरा किया है कि गेहूं का उत्पादन तो बढ़ा ही है इसके अलावा 21 लाख मैट्रिक टन धान की पैदावार जो घट गयी थी, वह अब अपने स्थान पर आ गयी है ।

सरकार ने गन्ना किसानों को उचित मूल्य दिया है और 22 रु0 प्रति क्विन्टल की दर से दाम दिया है । मान्यवर, मैं प्रदेश के उस क्षेत्र से आती हूं जहां गन्ना बहुत ज्यादा पैदा होता है । इसलिये मैं गन्ना के सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहती हूं कि गन्ने के क्षेत्र में छोटे-छोटे सल्फर प्लान्ट लगाये जायं जिससे कि गन्ना किसानों को फायदा पहुंचे ।

मेरा सुझाव है कि बिजली के उत्पादन को बढ़ाया जाय । लघु प्लान्ट इसके लिये और लगाये जायं । विद्युत् परिषद् का पुनर्गठन किया जाय । तापीय विद्युत् परियोजना को प्रोत्साहन दिया जाय । केरल की भांति उत्तर प्रदेश में भी इलेक्ट्रानिक उद्योगों को बढ़ाया जाय और इन्हें लगाया जाय ।

सरकार नलकूपों के रख-रखाव की ओर ध्यान दें और समय-समय पर इनकी सफाई इत्यादि की व्यवस्था करायी जाय और इनके रख-रखाव की भी सुचारु व्यवस्था की जाय जिससे कि सिचन क्षमता में बढ़ोत्तरी हो सके। विश्व बैंक की सहायता से अन्डर ग्राउन्ड नलकूपों की व्यवस्था की जाय उत्तर प्रदेश में जिससे कि सिंचाई की समस्या दूर हो सके।

सरकार ने लघु जल विद्युत् उत्पादन निगम का गठन किया है इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इसमें त्वरित गति से काम किया जाय और 20 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाय तथा बिजली की चोरी रोकी जाय। माननीय तिवारी जी की सरकार जो 20 सूत्री कार्यक्रम के जरिये से इस प्रदेश का विकास कर रही है उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। इन शब्दों के साथ में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में वही पुराने चेहरे दिखाई दिये हैं, वही स्वास्थ्य मन्त्री, वही मुख्य मन्त्री, वही दीदी स्वरूप कुमारी बख्शी जो सत्तारुढ़ दल की शेरनी हैं, दिखाई दे रही हैं कोई परिवर्तन नहीं आया है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ये कोई खास बात नहीं हुई है। सरकार अभी कांग्रेस की 100वीं वर्षगांठ मनायेगी और उसे टी0 वी0 पर दिखाया जायेगा जैसे इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो घर-घर टी0 वी0 में दिखाया गया और राजीव गांधी को जनेऊ पहनते हुए दिखाया गया यह जरूर प्रगति इनकी हुई है उससे इनको चुनाव में फायदा हुआ लेकिन आज जो विधान सभा का चुनाव हुआ तो उसमें 30 परसेंट इनका डिवैल्यूवेशन हुआ है। मेरे क्षेत्र में मिर्जापुर सिटी का बैलेट पेपर, जौनपुर का बैलेट पेपर पहुंच गया। तो तरह-तरह की धांधलियां चुनाव में हुई हैं। आप गांधी का नाम लेते हैं जय प्रकाश नारायण तथा अरुणा आसफ अली का नाम लेते हैं लेकिन धांधली करते हैं। जब आप चुनाव ठीक से नहीं करा सकते हैं, तो रोजी-रोटी भी नहीं दे सकते हैं।

मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, तो लेनिन ने जैसा कहा था कि गांव-गांव में बिजली दे दो तो समाजवाद आ जायेगा, आप भी गांवों का विकास करिये। लेकिन आपके यहां तो गांव में बिजली के खम्भे होंगे तो तार नहीं होगा। आप मिर्जापुर को ले लीजिये वहां बिजली के बहुत बड़े विद्युत गृह हैं लेकिन उनमें आग लग जाती है। ओबरा कोबरा बन गया है यही हाल आनपारा का है। मिर्जापुर जिले के लिए लोकपति जी विश्व बैंक से पैसा लेकर आये लेकिन वहां नक्षत्र और तारे नहीं दिखाई देते हैं। यह बहुत बड़ी मनहूस सरकार है। जब आप वहां जाते हैं तो आग लग जाती है। एक दफा ओबरा जल कर भस्म हो गया और दूसरी दफा मुख्य मंत्री बनने की बात आयी तो इंदिरा गांधी की हत्या हो गयी। इसी प्रकार आपके शासन में विश्वनाथ मंदिर से सोने की चोरी हो गयी तथा कोलना चुनार के मन्दिर में चोरी हो गयी। तो इतनी मनहूस यह सरकार है कि क्या किय जाय।

आज मेडिकल कालेज में हड़ताल चल रही है। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक कोर्स आपने चार साल का कर दिया लेकिन उनका वेटेज भिन्न-भिन्न है। कल ही विद्यार्थियों ने आपका घेराव किया था। परिवहन की हालत यह है कि संजय जी उसके मंत्री बन गये हैं।

(इस समय 3 बज कर 58 मिन पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसकी हालत यह है कि न रोडवेज को

बसें लखनऊ में ठीक हैं न इलाहाबाद और बनारस तथा कहीं भी वह ठीक हालत में नहीं हैं। हां थोड़ा गाजियाबाद से जो दिल्ली चलने वाली बसें हैं वह ठीक हैं। इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, लखनऊ कहीं पर रोडवेज की हालत ठीक नहीं है

(व्यवधान)

अमेठी तो स्वर्ग बना दिया। आपको सोचना चाहिये दिल्ली का लाल किला चुनार के किले से अच्छा नहीं है यदि आपको जानकारी न हो तो मैं बताना चाहता हूं कि चुनार का किला सौ गुना है तो दिल्ली का लालकिला एक गुना है। चुनार से दिल्ली तक तो सुरंग है लेकिन दिल्ली से चुनार तक सुरंग नहीं है।

अब मैं उत्तर प्रदेश के परम्परागत उद्योगों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जैसे फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां, रामनगर में हाथी दांत का काम और ताला उद्योग, मुरादाबाद एवं मिर्जापुर, पीतल एवं कानपुर तथा आगरे में चमड़े का काम होता है जिसको बढ़ाने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, भूतपूर्व बिजली मंत्री, श्री ब्रह्म दत्त, इंजीनियरों से बिजली उत्पादन का काम नहीं करा सके लेकिन विरोध पक्ष में मेरे जैसे इंजीनियर का योगदान आप नहीं लेते हैं, तो आप क्या काम करेंगे ? मैं नहीं चाहता कि इस प्रदेश के विकास में कोई गिरावट हो, इसलिए पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र की तरह इस प्रदेश की तरक्की हो इसकी ओर सरकार को काम करना चाहिये।

इस बार हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो पहले थे, यही स्वास्थ्य विभाग में रह गये, मैं चाहता था कि और कोई विभाग उनको मिलेगा लेकिन नहीं मिला। उपाध्यक्ष जी राज्य कृषि मन्त्री हो गये हैं। वह किसान के बेटे हैं, उनसे ज्यादा उम्मीद है और वह शायद कृषि पर आधारित उद्योगों एवं कृषि का विकास करेंगे जिससे किसानों का भला होगा।

मान्यवर, प्रदेश में जहां जहां इंडस्ट्रियल स्टेट बने हुए हैं ज्यादातर बेकार हैं। उसमें ज्यादातर फर्जी डाक्टरों की तरह फर्जी उद्योगपति हैं। 90 प्रतिशत उद्योग बेकार हैं और वह केवल ऋण लेते हैं पिकअप और यू0 पी0 फाइनेन्स कारपोरेशन से। वह ऋण जिस उद्योग से लेते हैं वह काम नहीं करते हैं। जैसे रामनगर इंडस्ट्रियल स्टेट वाराणसी में बसन्त पेपर मिल में पेपर तो है ही नहीं केवल पुआल है।

अब मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रामनगर, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी गंगा घाट के पीपे पुल पर दिसम्बर, 1970 से जिस प्रकार पथकर समाप्त है उसी प्रकार उसी कनिहरी के चुनार पीपे के पुल के पथकर की समाप्ति की बात करते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि रामनगर पुल पर काशी नरेश के योगदान के कारण पथकर माफ है, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या पी0 डब्लू0 डी0 का खर्च काशी नरेश चला रहे हैं ? इसलिए मेरी मांग है कि चुनार के पीपे के पुल का पथकर समाप्त किया जाये। मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूं कि चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर बिहार का बनारस सबसे बड़ा केन्द्र है, इसलिये रामनगर से बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के बीच एक पक्का पुल बनाया जाय जो जी0 टी0 रोड से मिलेगा। इस सम्बन्ध में मालूम हुआ कि नवम्बर से इसका काम शुरू कर दिया जायेगा।

मान्यवर, चुनार में पत्थर होता है और पत्थर का उपयोग पूरे प्रदेश में होता है। यह पत्थर बड़ा उपयोगी है जो कि लखनऊ मेडिकल कालेज और विधान भवन में उपयोग किया गया है तो इस पर माइन मिनरल

ऐक्ट लगाने से लाखों खान के मजदूर बेकार हो रहे हैं और भुखमरी के वह शिकार हो गये हैं, यह बड़े दुख की बात है। चुनार में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और श्री बदन सिंह के क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में भी यह स्थिति पैदा हो गयी है, इस पर सरकार ध्यान दे।

मान्यवर, मिर्जापुर और भदोही को देखें भदोही में 2 सौ करोड़ रुपये की आपको विदेशी मुद्रा मिलती है, लेकिन वहां पर भदोही और गोपीगंज में सबसे ज्यादा गंदगी है। आप देखेंगे कि वहां पर कोई विकास का कार्य नहीं है, प्रदेश के नहरों की पटरी नहीं है। उनको पक्का बनाने का काम आपने क्यों नहीं किया है? जनता सरकार ने जो लिंक रोड बनाई थी, वह भी टूट गई है, किन्तु उनको आपने पक्का नहीं कराया। यदि उसका रुपया आपकी जेब में गया है.....

(व्यवधान)

बिड़ला पर साढ़े नौ, साढ़े सोलह करोड़ का बिल बकाया है, किन्तु यदि किसी पर डेढ़ सौ का बकाया हो तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली दो घंटे नहीं मिलेगी, लेकिन वसूलेंगे 24 घंटे का। हम विदेश गये थे, हमें चेकोस्लोवाकिया एवं जापान जाने का मौका मिला था, तो वहां हमने देखा कि वहां पर लोग बिजली में बहुत आगे हैं और हर चीज में वह हमसे बहुत आगे हैं। कम से कम बिजली तो देते हैं। 1885 में कांग्रेस बनी थी, आपको कांग्रेस की सौवीं वर्ष की जयन्ती मनाया जाने वाली है। यह हमारी भी कांग्रेस थी और इसको सौ वर्ष हो गए हैं, 1947 तक तो यह अवश्य हमारी थी, हमारा और राजशरण दास का इसमें योगदान था। आपने सीमेन्ट की कीमत और मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ा दी।

परीक्षा प्रणाली के बारे में मुझे यह कहना है जो मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं। बी0 एच0 यू0 में जब मैं छात्रसंघ का अध्यक्ष था उस समय से कहता आ रहा हूं जब पहले नकल छात्र नहीं करते थे और नकल कराने वाले लोग नहीं थे, इसलिए खुली किताबी पद्धति होनी चाहिये, जिससे न झगड़ा कोई हो, न कोई मारपीट हो। जिसकी जो लिखना हो लिखे। वोट का अधिकार 18 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को होना चाहिये, जैसा कि ग्राम सभा के चुनावों में होता है। लड़कियों की तरह लड़कों के लिए भी हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये। मैं इतनी बातें चाहता हूं। यह सरकार हम प्रगति की बात करे तो विरोध पक्ष से सहयोग ले। खेद के साथ राज्यपाल के अभिभाषण में मेरे संशोधन को जोड़ दिया जाय।

श्री अवधेश राय शास्त्री—

आदरणीय अध्यक्ष जी, जो आपने कीमती समय में से समय निकाल कर हम अपनी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं। वर्तमान मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी विकास और नियोजन के लिए प्रसिद्ध हैं। मुख्यमंत्री जी इस चुनाव के बीच हमेशा यह कहा करते थे कि मैं आर्थिक विकास चाहता हूं। तो मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दिलदारनगर की कई सभाओं में आप कई बार यह कह चुके हैं कि मैं यहां स्टील प्लान्ट बैठाऊंगा। अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है कि वह मुख्य मंत्री जी को इंगित करें कि वहां शीघ्रातिशीघ्र स्टील प्लान्ट बैठायें, जिससे वहां के शिक्षित और अशिक्षित लोगों के सामने खड़ी बेकारी की समस्या अतिशीघ्र दूर हो सके। साथ ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कृषि की तरल इंगित किया गया है, पिछले वर्ष फ पूर्वांचल का जो रिकार्ड है, वह बहुत ही आगे रहा है, लेकिन अध्यक्ष महोदय को मैं बता देना चाहता हूं कि पूर्वांचल जो बाढ़ और सूखे से बहुत ज्याद

प्रभावित रहा है, उसमें हमारी जो प्रगति कृषि में हुई है, वह विशेष नहीं है।

यहां की 50 प्रतिशत भूमि असिंचित है और 50 प्रतिशत भूमि में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। अगर इस क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिले तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पंजाब और हरियाणा कृषि क्षेत्र में आगे हैं उसी तरह से गाजीपुर जनपद भी पंजाब और हरियाणा का मुकाबला कर सकता है।

दूसरी बात यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने कृषि, उद्योग और शिक्षा के सम्बन्ध में जो इंगित किया है और जो आर्थिक नीतियां बनायी गयी हैं उससे हमारे प्रदेश की बहुत ज्यादा उन्नति होगी। हमें आशा है कि हमारे विरोध पक्ष के लोग भी इसमें मदद करेंगे जिससे हमारे प्रदेश की प्रगति होगी।

विरोध सही तरीके से होना चाहिये इस तरह से नहीं होना चाहिये जिससे अनुशासनहीनता होती दिखायी दे। क्योंकि हिंदुस्तान, दुनियां में जो भारतीय संस्कृति है, उसके लिये प्रधान रहा है। आज हम लोगों को भारतीय संस्कृति पर ही निर्भर रहना है। पाश्चात्य संस्कृति की तरफ लोग भाग रहे हैं और भारतीय संस्कृति को भूल गये हैं चाहे हम विरोध पक्ष के हों या सत्ता पक्ष के, सब लोगों को विशेष रूप से इस ओर ध्यान देना है। अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, मैं उस जनपद का रहने वाला हूं और विशेष रूप से उस गांव का रहने वाला हूं जो 1942 के मूवमेंट में, गांधी जी के सत्याग्रह के आंदोलन में आगे रहा है। जब आजादी के लिये आह्वान किया गया तो उस समय शेरपुर गांव के 8-8 लोगों ने मोहम्दाबाद तहसील पर अपने देश के लिये, मातृभूमि के लिये हंसते-हंसते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनमें हमारे पिता अमर शहीद श्री नारायण राय और बाबा अमर शहीद श्री वंश नारायण राय रहे हैं। लेकिन उस जनपद का आज तक कोई विकास नहीं हुआ है।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि विशेष रूप से गाजीपुर जनपद में शिक्षित बेरोजगारी की तरफ, कृषि की तरफ और यातायात का जो अभाव है, सड़कों का जो अभाव है, हास्पिटल की जो कमी है उसको पूरा किया जाय। गाजीपुर जनपद की बहुत सी समस्यायें हैं जिनको अगर पूरा करने का प्रयास किया जायगा तो वे पूरी हो सकती हैं।

अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कि हमारा गांव गंगा की गोद में है। शेरपुर गांव के बारे में आप जानते ही होंगे। गांव की जन-संख्या 27 हजार है। यह जन-संख्या आज गंगा की चपेट में है और यहां पर कटाव होता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि विशेष रूप से माननीय मुख्य मन्त्री जी एक जांच समिति बैठाकर इसकी जांच करायें और कटाव से रोकने की व्यवस्था की जाय ताकि वह सारी नगरी बच सके। नहीं तो कट जाने के बाद शायद ही उत्तर प्रदेश में, मैं दावा कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा गांव नहीं है जो शेरपुर को बसा सके।

इसके साथ ही साथ में अध्यक्ष जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मोहम्दाबाद तहसील पर शहीद स्मारक बन रहा है, उसे बनवाने में मैं यह चाहता हूं कि मेरी सरकार या विरोध पक्ष के सभी लोग मिलकर युद्ध स्तर पर इस स्मारक को शीघ्रातिशीघ्र बनवाने की कोशिश करें।

(4 बजकर 20 मिनट)

मैं यह प्रयास करूंगा और हमारी सरकार जिस पार्टी में मैं हूं, वह हमेशा यह प्रयास करेगी कि देश का, प्रदेश का किस तरह से विकास हो, जिसके लिए स्वर्गीय इंदिरा जी ने कुर्बानी दे दी।

किसी ने कहा है—

"एक बूंद भी रक्त शहीदों का
है व्यर्थ न जाता।
बहती शुद्ध प्रवाहित गंगा राष्ट्र
शुद्ध हो जाता।

मैं विरोध पक्ष वाले भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि एकता के सूत्र में बंधकर देश और प्रदेश के विकास के लिए हम लोग जुट कर आगे बढ़ें और अपना सब कीमती समय देश की सेवा में लगायें ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण मैंने पढ़ा और पढ़ने से ऐसा लगा कि सरकार की तारीफ का असत्य पुलिन्दा इकट्ठा करके रख दिया गया है । मान्यवर, कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में जहां तक महा-महिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है, उसको अगर देखा जाय, तो एकदम असत्य साबित होता है । आज प्रदेश की जनता अपने आपको बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रही है । कोई भी आदमी जब शाम को सोता है, तो यह गारन्टी नहीं है कि वह सकुशल जग जायगा या जग ही जायगा । मान्यवर, अगर अपराधों की संख्या को देखा जाय तो मालूम होगा कि 1983 की अपेक्षा 1984 में अपराध बढ़े हैं और इस तरह की घटनाएं इस ढंग से बढ़ी हैं, जैसे डकैती, लूट, हत्या और नकबजनी कुल मिला कर बढ़े हुए अपराधों की संख्या करीब 10 हजार हैं, जो 1983 की अपेक्षा 1984 में ज्यादा बढ़ी है ।

मान्यवर, दहेज के मामले में हत्यायें 1984 में सबसे ज्यादा हुई हैं । दहेज के कारण जाने कितनी बेगुनाह महिलाओं को जला कर हत्या या और किसी ढंग से हत्यायें 1984 में सबसे ज्यादा हुई है । मान्यवर, सामूहिक नरसंहार जितने 1984 में हुए हैं, उतने आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुए । लखीमपुर, जौनपुर में 13 व्यक्ति एक साथ मार डाले गये । इटावा में 15 व्यक्ति एक साथ मार डाले गये । रायबरेली में जहां प्रधान मन्त्री और परिवहन मन्त्री का क्षेत्र है 11 व्यक्ति एक साथ मार डाले गये । दोस्तपुर, मुजफ्फरनगर में 12-12 लोगों का एक साथ नरसंहार किया गया । इससे मान्यवर, यह साबित होता है कि यह कांग्रेस का शासन कितना अकुशल, अकर्मण्य है । हरिजन समस्या इस कांग्रेस के कार्यकाल में जितनी बढ़ी है, वह भारत देश के रिकार्ड में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है । 1984 के पिछले 3 महीनों में 1123 हरिजनों पर जो जुल्म हुए हैं, वह भारत के किसी प्रदेश में इतने जुल्म नहीं हुए हैं । चुनावों की धांधलेगर्दी और ज्यादती तो मान्यवर, पूरा सदन जानता है कि विधान सभा के चुनावों में कांग्रेस को कन्वेसिंग पुलिस विभाग के लोग कर रहे थे । मैं तो अपने बांदा जनपद की बात कह रहा हूं, वहां पर कई थानेदार ऐसे थे जो इनके बैनर लगा रहे थे, कार्यालय खोल रहे थे । इसके साथ-साथ उन लोगों ने कांग्रेस (इ) ने, बूथों पर कब्जा भी किये ।

मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहूंगा यह सरकार पुलिस के दम पर है । इन्होंने आई० जी० बढ़ा दिए, डी० आई० जी० बढ़ा दिए लेकिन ब्रिटिश काल से जो कांस्टेबिल की संख्या चली आ रही है, वह अब भी वही है । इन्होंने थानों पर पुलिस नहीं बढ़ाई हैं, जिसके कारण बहुत समस्या बनी रहती है । आई० जी० और डी० आई० जी० ज्यादा कन्ट्रोल नहीं कर पाते हैं ।

मान्यवर, हरिजनों के बारे में कहना चाहूंगा । हरिजन आज भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और गरीबी की रेखा में सबसे पिछड़े हुए हैं । अगर पूरे साल के हरिजनों की आय के आंकड़े लिए जाएं तो गरीबी की रेखा से 25 प्रतिशत हरिजन नीचे हैं । यह सरकार जो हरिजनों के उत्थान का दावा कर रही है उससे यह लगता है कि यह हरिजन विरोधी सरकार है । यह आंकड़े कागज पर चलते हैं, सारे आंकड़े कागजी हैं । इनका कागजी विकास चल रहा है ।

माननीय, राजकीय निगम के बारे में कहना चाहूंगा। राजकीय निगम जितने हैं उनमें 55 निगम में से 17 निगम ऐसे हैं जो बेहद घाटे पर चल रहे हैं और इन सब निगमों को मिला कर 60 लाख रु० प्रतिदिन घाटे से यह चल रहे हैं। माननीय, परिवहन मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं उन्होंने जो बसें खरीदी हैं उनको यदि देखा जाए तो प्रदेश में 25 सौ बसें ऐसी हैं जो जर्जर हालत में डिपो के अन्दर पड़ी हैं। देहाती क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में माननीय, ऐसी बसें चल रही हैं जिनका इंजन अलग और बाडी अलग है, जिसका यह पता नहीं रहता है कि वह मंजिल तक पहुंचा पाएगी या नहीं। आज ऐसी असुरक्षा की स्थिति चल रही है। माननीय मन्त्री जी निर्देश करें कि किराए को बढ़ाना तो बहुत जानते हैं लेकिन बसों की अच्छी व्यवस्था नहीं करते हैं हम चाहते हैं कि बसों की व्यवस्था अच्छी हो, बसें खरीदने की वह अच्छी व्यवस्था करें।

माननीय, सिंचाई के बारे में कहना चाहूंगा। सिंचाई के मामले में बांदा जिले में बुन्देलखंड सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर पर्याप्त मात्रा में ट्यूबवेल नहीं लगे हैं। माननीय, यहां केन नदी से नहर निकाल कर सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। अब वह खत्म हो चुकी है। बरियारपुर रनगंवा गंगऊ बंधे मध्य प्रदेश के कब्जे में होने के कारण पानी नहीं आ पा रहा है। नरैनी, बांदा बबेरू बुन्देलखंड का दूसरा पाठा बनाने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सरकार को इस बात के निर्देश दें कि ट्यूबवेल या लिफ्ट के क्षेत्र में लिफ्ट द्वारा पानी केन नहर में डाला जाए। जिससे किसानों को सिंचाई में सुविधा हो सके।

माननीय, पेयजल की समस्या बांदा में सबसे बड़ी समस्या है। करबी क्षेत्र में एक योजना पाठा पेयजल के संबंध में चलाई गई थी, लेकिन जब चुनाव होते हैं तब ही वह योजना चलती है वरना पांच साल तक वह बन्द रहती है। तो मैं चाहूंगा कि जगह-जगह हैन्ड पम्प लगाए जाएं। हैन्ड पम्प से पीने के पानी की व्यवस्था की जाए।

माननीय, अध्यक्ष जी सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है। आज हमारे जनपद में तमाम ऐसे गांव हैं जहां पहली बात स्कूल नहीं है, अगर स्कूल हैं तो गिर रहे हैं या अधगिरे हैं। कहीं-कहीं बच्चे एकदम खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं। सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों का निर्माण हो, शिक्षा व्यवस्था पर अमल हो। सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की दोहरी नीति है। देहात के लोगों की शिक्षा और शहरों के लोगों की शिक्षा में बड़ा अन्तर है। देहात के किसान का लड़का कानवेंट में आर्थिक समस्या के कारण नहीं पढ़ पाता है, शहर के जो बड़े लोग हैं उनके लड़के कानवेंट में पढ़ते हैं। मेरा निवेदन है कि शिक्षा की दोहरी नीति समाप्त की जाय।

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं। यह आयुर्वेद जगत को नेस्तनाबूद करने पर तुले हुये हैं। हमारे बांदा जनपद में अतर्रा आयुर्वेदिक राजकीय विद्यालय है। उसको सबसे कम बजट दिया जाता है। देहाती और पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण वहां मरीजों का तांता लगा रहता है। वहां पर 50 शैय्यायें हैं। इनकी संख्या 200 तक बढ़ाई जाय। वहां के बजट को पढ़ने वाले लड़कों के लिये बढ़ायें, वहां न आपरेटस हैं, न कमरों में पंखें हैं। उस कालेज को तोड़ने के लिए ऐसा लगता है मंत्री जी कृतसंकल्प हैं। एडमीशन के नाम पर वहां कुछ छात्रों को भेजा जाता है। मंत्री जी बांदा जिले के अतर्रा आयुर्वेदिक विद्यालय की तरफ ध्यान दें और वहां पर दवाइयों के लिए, कालेज को चलाने के लिये, औ

देहाती क्षेत्र के लिये पिछड़े क्षेत्र की सेवा के लिये वहां का बजट बढ़ायें ।

श्री राम सकल तिवारी—

अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुये कुछ सुझाव आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं । मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं वह सेवरही क्षेत्र है, जिसका प्रतिनिधित्व स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह जी 19 वर्षों तक करते रहे । मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र है जिसकी भौगोलिक परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है । गेंदा सिंह के नाम से सम्बद्ध गण्डक नदी वहां की गरीबी और गन्ने की जो समस्या है, जिससे स्वर्गीय गेंदा सिंह जी हमेशा लड़ते रहे और जूझते रहे । गत वर्ष जो बाढ़ वहां आयी थी उससे वहां के सकड़ों लाखों लोगों का जीवन इतना अस्तव्यस्त हो चुका है, जिससे किसानों के पास न जोतने के लिए जमीन बची है न रहने के लिए घर है, जो घर बचे हैं, उनके दरवाजे के सामने 60 और 30 फिट के गहरे गढ्ढे मौजूद हैं, बच्चे डूब कर मर जाते हैं, जो जानवर उसमें गिरते हैं निकल नहीं पाते हैं । वहां की स्थिति बड़ी भयावह हो गई है ।

मान्यवर, जिस क्षेत्र में जिन 72 गांवों में जाने के लिए सड़क न हो, कोई रास्ता न हो, जहां कोई अस्पताल न हो उन 72 गांवों के उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से यह सुझाव रखना चाहता हूं कि वहां पर सबसे पहले व्यवस्था यह होनी चाहिये कि जिनके घर गिर गये हैं या जिनके दरवाजे पर 60-60 फिट गहरे गड्ढे हो गये हैं उनकी भराई का उपाय किया जाय ताकि लोगों के जीवन की सुरक्षा हो सके । वहां कुछ ऐसे काम किये जायें, कुछ काम इस तरह के उपलब्ध कराये जायें कि वहां के लोग अपने जीवन यापन का कोई जरिया प्राप्त कर सकें और अपनी जिन्दगी बसर कर सकें । इस तरह से वहां की स्थिति बड़ी भयावह है । दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां गरीबी चरम सीमा पर है । गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों की संख्या इस मुल्क में अगर 30 प्रतिशत है तो मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं वर्णन कर सकूं कि मेरे यहां कितनी गरीबी है । इस सम्बन्ध में यह सरकार मेरे यहां के अधिकारियों से मेरे जनपद की रिपोर्ट मंगाने का कष्ट करें । जो बाढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं उनकी क्या दशा है । हमारे स्व0 बाबू गेंदा सिंह जब उस क्षेत्र की वहां के लोगों की निरक्षरता के बारे में आवाज उठाते थे तो उस समय उनका मजाक उड़ाया जाता था लेकिन जब वास्तविकता सामने आयी तो सरकार ने उस पर कुछ ध्यान दिया । बाबू गेंदा सिंह जी गरीबों के नेता थे । गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे और संघर्ष करते रहे और लड़ते लड़ते मर गये ।

मान्यवर, मैं इस सदन में जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने आया हूं वहां की जनता की भावनाओं से अवगत कराना हमारा परम कर्तव्य है । मैं इस समय सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वहां के गरीबों के लिए जिनके पढ़ने लिखने के लिए कोई सुविधा नहीं है । मैं 72 गांवों की बात कर रहा हूं जहां पर न आने-जाने के लिए कोई रास्ता है न कोई पुल है । गतवर्ष बाढ़ के आने के बाद जिस रास्ते से आप चले जायं वही रास्ता हो गया वहां सड़क हो गयी । मैं उस क्षेत्र की आगे की दीन दशा के बारे में अवगत कराना अपना कर्तव्य समझता हूं । गरीबों को भी समान अधिकार दिया जाय । दूसरे जिसे महामहिम के अभिभाषण में प्रगति के सम्बन्ध में बताया गया है मैं उससे सहमत हूं । लेकिन उसके साथ-साथ मेरा यह सुझाव है कि जितना धन परियोजनाओं के ऊपर अन्य मदों के ऊपर सरकार खर्च करती है उस सम्बन्ध में सरकार को यह जानकारी भी रखनी

चाहिये कि उसका कितना प्रतिशत सदुपयोग होता है। सरकारी धन की जितनी हम खर्च करने पर व्यवस्था करते हैं उसकी उपलब्धि हमारे पास में है, विकास हुआ है लेकिन वह विकास गरीब के छप्पर तक पहुंचे यह हमको कोशिश करनी चाहिये, यह मेरा सुझाव है। भारत को मजबूत बनाने के लिए हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी जान की कुरबानी दी है। अखंड भारत मजबूत भारत और सुदृढ़ भारत बनाने के लिए उन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर अपनी कुरबानी दे दी। लेकिन देश बजबूत कैसे होगा इसके लिए हम सबको मिलकर कदमों को मिलाकर चलना होगा। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं हैं। हम लोग नये सदस्य हैं। हमें इस सदन में सुनने का मौका मिला है सुनूगा, सुनाऊंगा लेकिन जो संसदीय परम्परायें हैं इस सदन में उनका निर्वहन होना चाहिए और प्रत्येक सम्मानित सदस्य का यह कर्त्तव्य है कि जब एक सदस्य बोले तो उसकी बात को सब लोग सुनें और दूसरा बोले तो सब लोग उसकी बात को ध्यान से सुनें। बाद में जिसको जो कुछ कहना है, अपनी भावनाओं से इस सदन को अवगत करावें।

मैं एक और सुझाव रखना चाहूंगा कि गरीबी शब्द बार-बार दोहराया गया है। इसको आप सारी बात नहीं समझे। हमारे क्षेत्र के बगल से विपक्ष के एक विधायक पडरौना से आये हैं, वह भी सहमति व्यक्त करेंगे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि आपको यकीन नहीं होगा कि बारह-बारह साल के लड़कों के पास वस्त्र नहीं हैं, वहां की जो औरतें हैं, उनके पास वस्त्र नहीं हैं। मुसहर और मल्लाह जाति के और जो हरिजन लोग हैं, वह बाढ़ से तबाह हैं, जिसकी वजह से उनके पास वस्त्र तक नहीं हैं। मैं चाहूंगा, मान्यवर, आपके माध्यम से, मेरा यह सुझाव है कि सरकार उधर ध्यान दे और उन लोगों की बीमारी के लिये, उनके उपचार के लिए व्यवस्था करे। उनके रोजगार की अविलम्ब व्यवस्था करे, जिससे उनका जीवन यापन हो सके।

तीसरी बात, हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या है गन्ने की। हमारे यहां एक तरया सुजौन केन यूनियन है, जिसने 8 लाख क्विंटल गन्ना बिहार को सप्लाई किया। गरीब लोगों ने गन्ना बेचा। तीन साल हो गए, लेकिन उसकी कीमत का भुगतान नहीं हुआ और वे गरीब न कपड़ा खरीद पा रहे हैं और न सरकार पर बाकी ड्यूज दे पा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा आपके माध्यम से सुझाव है, श्रीमन् कि आप सरकार को यह बात बहुंचावें कि उसकी भी व्यवस्था करे, जिससे उन गरीबों का रुपया मिल जाय। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करते हुये महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, 16 मार्च को पहली बार मुझे इस सदन में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। राज्यपाल जी का अभिभाषण सुनना चाहता था, किन्तु राज्यपाल जी आए और वापस चले गये। हम लोगों को इस सदन के नेता और तमाम सम्मानित सदस्यों के माध्यम से बताया गया कि भाषण पढ़ा हुआ माना जाय। जिस प्रकार से हमारे देश में तमाम धार्मिक गुरू आत्मा के विषय में बताते हैं कि उसको देखा नहीं जा सकता न ही सुना जा सकता है, छुवि नहीं देखी जा सकती केवल महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार से राज्यपाल के भाषण को भी हमको सुना हुआ माना जाने के लिए बताया गया और उसके बाद जो भाषण की पुस्तिका मिली, उसमें अभिभाषण को हमने पढ़ा और देखने के बाद यह लगा कि जो सत्तारूढ़ दल का बीस सूत्री कार्यक्रम है, उसी के अनुसार सारे विकास का दावा उसमें दिखाया गया

है । विकास आजादी के बाद हुआ है । आजादी के बाद स्थिति कुछ आगे बढ़ी है, लेकिन हम जानते हैं कि हम जिस स्थान पर खड़े हैं, उसमें कुछ गतिशीलता हुई, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, उसके घूमने की गति से हम लोग भी घूम रहे हैं और स्थिर होने की स्थिति में भी यही गति विकास की है । आजादी के बाद जिस तरह से विकास होना चाहिये, नहीं हो पाया है । हम लोगों ने सामंतशाही और साम्राज्यवादी शक्तियों को तोड़कर जनतन्त्र की स्थापना की है और उसकी स्थापना के लिए शिक्षा की जो आवश्यकता है, उसको काफी उपेक्षित रखा है ।

आज जब चुनावों में जनतांत्रिक मूल्यों में गिरावट की बात करते हैं, राजनीति में गुंडागर्दी की बात करते हैं, गुंडा शक्ति और धांधली की बात करते हैं जो यदि हमारी जनता शिक्षित होती, देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के बारे में फैसला करने का उन्हें ज्ञान होता, तो वह कभी ऐसा न करते। शिक्षा नीति के विषय में हमारी केन्द्रीय सरकार ने भी काफी दावे किये हैं । पिछले वर्ष 26 जनवरी को स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लाल किले पर यह स्वीकार किया था कि शिक्षा नीति में काफी गड़बड़ी है और इसको ठीक करना चाहिये । 15 अगस्त को महा ज्ञानी राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह ने भी स्वीकार किया कि शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिये। आज अवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हो । अभी हमारे कुछ सम्मानित साथियों ने परीक्षा नीति में परिवर्तन करने की बात कही । लेकिन वर्तमान प्रधान मन्त्री इस बात को कहने लगे हैं कि हमारी शिक्षा नीति में परिवर्तन कम्प्यूटर प्रणाली से ही होगा । इसका ज्ञान किस तरह से होगा ? जब प्राइमरी स्कूलों में हमको बताया जायेगा कि गंगा शंकर जी की जटा से निकली हैं और दूसरी तरफ से यह कहा जायेगा कि गंगा गंगोत्री से निकली है । इस तरह से अवैज्ञानिक और अंधविश्वासी शिक्षा हमको दी जा रही है तो कैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा । जबकि वर्तमान की अवैज्ञानिक, अंधविश्वासी शिक्षा चालू है तो वैज्ञानिक प्रतिभायें कैसे विकसित होंगी । आज इन चीजों को हमारे पाठ्यक्रमों में बताया जाता है कि भारत वर्ष के कौन-कौन से पर्व हैं। दशहरा क्षत्रियों के लिये, रक्षा बंधन ब्राह्मणों के लिए, होली शूद्रों के लिये, दीपावली वैश्यों के लिये होगी । तो इस तरह से कौनसा हमारा ज्ञान बढ़ेगा?

(व्यवधान)

इससे निश्चय ही साम्प्रदायिक तथा जातिवादी सरकार बनेगी, जो राष्ट्रीय धारा के लिये हानिकारक है । दुख की बात है कि समाचार-पत्रों के माध्यम से भी इन्हीं विचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

(व्यवधान)

आप शायद पढ़े नहीं हैं । मैं जिन नई बातों का उल्लेख कर रहा हूं वे अगर नहीं जानते हैं तो वे बतायें कि किस शिक्षा के माध्यम से वे निकले हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

आज जो शिक्षा हमको दी जा रही है वह अंधविश्वासी शिक्षा नीति है । जैसा कि नीति निर्देशक सिद्धान्तों में दिया गया है और बाबा भीम राव अंबेदकर जी ने भी कहा है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा एक नागरिक बनने के लिए बहुत आवश्यक है । इसका पूरे का पूरा भार केन्द्र और राज्य की सरकारों को उठाना चाहिये, चाहे जितना भी व्यय क्यों न हो । तभी एक शिक्षित पीढ़ी निकल सकेगी और तभी एक नागरिक जनतंत्र और देश के विषय में सोचेगा और देश का वास्तविक विकास सम्भव हो पायेगा ।

इस अभिभाषण में जो 20 सूत्री कार्यक्रम की सफलता दी गई हैं, मैं इलाहाबाद से आया हूं। स्वास्थ्य मन्त्री जो यहां पर बैठे हुये हैं वे जानते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम की सफलताओं की जो बैठक वहां होती थीं तो किस तरह की चर्चा वहां पर सदस्यगण करते थे और किस तरह से इन सफलताओं को आंकते थे किताबों में इन सफलताओं को लिख देने से काम चलने वाला नहीं है।

जहां तक मजदूरों का सवाल है, इसमें दिया गया है कि मजदूरों को कारखाने में भागीदारी दी जायेगी, उनको सुरक्षा दी जायेगी, न्यूनतम वेतन दिया जायेगा। लेकिन इलाहाबाद के जीप पर्दश लाइट के कारखाने में न्यूनतम वेतन तो दूर रहा, जो जीप वेलफेयर फंड जो मजदूरों का था, वह नहीं दिया गया। इस हेतु वहां के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी 52 दिन तक यह हड़ताल रही। इस हड़ताल को तोड़ने के लिये सरकार ने उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया और हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया। जब कि हड़तालों पर प्रतिबन्ध तब लगाया जाता है, जिसका प्रभाव उत्पादन पर और जन आवश्यक चीजों पर पड़ता हो। टार्च और बैट्री कोई ऐसी आवश्यक चीज नहीं हैं। इसी तरह से भारत कम्प्रेसर लिमिटेड के मजदूरों की हड़ताल तुड़वा दी गई। त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लि0 जो कि नैनी की एक फैक्ट्री है, केन्द्रीय सरकार बनने के बाद श्री टी0 अंजैया जो वहां श्रम मन्त्री हैं, उन्होंने घोषणा की कि अब कोई छटनी, तालाबन्दी या अवैध हड़ताल न होने दी जायेगी, उत्पादन बढ़ाया जायेगा, लेकिन बिना किसी कारण के, सभी लोग जानते हैं कि त्रिवेणी वर्क्स लि0 में अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई, फिर भी वहां के ढाई सौ लोगों की छंटनी की गई और काफी लोगों को धमकियां दी जा रही हैं कि उनको निकाल दिया जायेगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि क्या सफलतायें किताबों में ही देखनी हैं या वास्तविक रूप में। वास्तविक विकास तभी सम्भव हो सकेगा, जब हम ठोस नीति और सच्ची लगन निष्ठा से उसमें जुटें और उसे कार्य रूप दें। आज नौजवानों को कहा जाता है कि वे देश में गुमराह हैं, परीक्षाओं में नकल करेंगे। अभी हमारे बड़े भाई रेवती रमण सिंह जी ने बिजली की समस्या यहां पर उठाई थी, 5 बजे से 8 बजे तक बिजली की कटौती की जा रही है पूरे प्रदेश में। जबकि पूरे प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षायें होने जा रही हैं, 14-15 लाख परीक्षार्थी इसमें भाग लेंगे। परीक्षा की तैयारी में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, इसी के साथ-साथ पेयजल की समस्या की तरफ भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मान्यवर, पेयजल की व्यवस्था नदियों से पूरी नहीं हो पा रही है। ट्यूबवेलों का प्रबंध है, लेकिन बिजली न प्राप्त होने के कारण 5 बजे से 8 बजे तक सुबह उनको पानी नहीं मिलता। पूरे प्रदेश के नागरिक इससे त्रस्त हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में और हमारे जिले में इस तरह की बहुत सी समस्यायें हैं, उन चीजों पर बहुत गहराई से छानबीन कर, केवल देखने के लिये नहीं बल्कि वास्तविक रूप से कदम उठाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, इस अभिभाषण में एक बात कही गई है कि गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अदालतें बनायी जा रही हैं, अदालतें खोली जा रही हैं। हमारा उत्तर प्रदेश 12 करोड़ की आबादी वाला प्रान्त है। यहां पर एक साल से लगातार ऐक्टिंग चीफ जस्टिस से काम चलाया जा रहा है। यहां स्थायी मुख्य न्यायाधीश नहीं है। माननीय हरिजन समाज कल्याण मंत्री यहां मौजूद हैं, वे जानती हैं कि इलाहाबाद में एक भिक्षुक कर्मशाला शिवकुटी संस्था है।

जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले दिनों काफी आवाज उठायी थी । उसके बारे में यहां से कोई कार्यवाही नहीं हुई । लेकिन, वहां के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इनीशियेटिव लेकर कार्यवाही की, लेकिन अभी तक वह मामला डिसाइड नहीं हुआ । मान्यवर, मैं इसी संदर्भ में बताना चाहूंगा कि 17 तारीख की शाम को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आग लग गई, उस आग के कारण सारे दस्तावेज जलकर राख हो गए । इसी के साथ-साथ विशेष न्यायिक दंडाधिकारी इलाहाबाद के न्यायालय से जितने मुकदमें निर्णीत होते हैं, उनसे सम्बन्धित सारी की सारी फाइलें जलकर राख हो गई हैं । लेकिन, उन सब चीजों पर किसी का ध्यान नहीं गया है और न ही कोई कार्यवाही की गई । कैसे जल्दी न्याय मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष —

आपका समय समाप्त । आप कृपया बैठें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बात को पुनः कहता हूं कि आज वास्तविक रूप में और लगन एवं ठोस नीति के साथ काम करने की आवश्यकता है । गंगा शंकर जी की जटा से नहीं निकली हैं, अपितु गंगा गंगोत्री से निकली हैं, आज उसी पर काम करने की आवश्यकता है । केवल दिल्ली की ओर नहीं समस्याओं की गंगोत्री ढूंढ़ना है ।

श्री भगवती प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं महामहिमा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री लाल प्रताप सिंह जी द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

चुनाव के दौरान जब मैं अपने क्षेत्र का भौतिक रूप से समस्याओं की जानकारी कर रहा था और जब वहां से चुनकर इस आदरणीय सदन में आया तो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुना और देखा । तो जो खामियां उस समय क्षेत्र में मुझे महसूस हो रही थी और जिनकी आवश्यकताओं के बारे में मैं महसूस कर रहा था, उन तमाम चीजों का सम्मिश्रण महामहिम जी के अभिभाषण में है । मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में केन्द्र में एक सुदृढ़ सरकार बनी, उसी प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के बाद माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के आवाम ने प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनाई । उत्तर प्रदेश का आवाम आशन्वित है कि माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में बनी सरकार निश्चित ही प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी ।

मान्यवर, विरोधी दल के नेताओं को सुनने के बाद यह मुझे महसूस हुआ कि उनकी कोई मंजिल नहीं है और न ही उनका कोई इरादा स्पष्ट नजर आ रहा है । छोटी-छोटी बातों को लेकर इस सदन के महत्वपूर्ण समय को जाया कर रहे हैं । मैं इस बात का हिमायती हूं कि जब विकास की गाड़ी तेजी से चलती है तो घरघराहट के साथ समस्याओं का पैदा होना स्वाभाविक है लेकिन वे समस्यायें, समस्याओं की श्रेणी में नहीं आती हैं अपितु वे विकास की प्रतीक मानी जाती हैं, तरक्की की सूचक मानी जाती हैं ।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात कही गई है वह राष्ट्र के विकास और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । सारा प्रदेश आशान्वित है कि सरकार इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से उसी प्रकार

विकास का कार्य करेगी जिस प्रकार एक कलाकार किसी की आकृति को देखकर पेंसिल के सहारे कागज पर उसे उतार देता है । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में बनी सरकार भी उसी प्रकार 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विकास की चोर्जो को धरातल पर मुहैया करायेगी ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जहां राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश को औद्योगिक मानचित्र पर उतारने की घोषणा की है उसके तहत जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, जिसे छानबे क्षेत्र कहते हैं जो 3 ब्लाक्स से मिलकर बना है, लाल गंज, हलिया और छानबे यहां पर भी औद्योगिक विकास की किरण पड़नी चाहिए ।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में निश्चित रूप से विकास की बात, गांवों को सड़कों से जोड़ना, कही गई है, प्रशंसनीय है । आगे भी कहा गया है कि हरिजन व आदिवासी बस्तियों को भी सड़कों से जोड़ा गया है इससे यह साफ जाहिर होता है कि यह सरकार एक कल्याणकारी सरकार है और कल्याणकारी योजनायें यह सरकार अवश्य बनायेगी, यह लोगों को आशा है । विरोध पक्ष के लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी केवल मानसिक रूप से होगी । सही जानकारी उनको तभी हो सकती है जब वे अपने क्षेत्र को जाकर देखें कि वास्तव में क्या खामियां हैं और विकास के कदम कहां तक पहुंच चुके हैं ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस विधान सभा से बड़ी एक सभा और है और वह सभा है भारत-माता की जहां न कोई मुख्य मंत्री होता है, न विरोध पक्ष होता है और न सत्ता पक्ष। उसके गौरव के लिए, उसकी गरिमा के लिए, उसकी अखन्डता के लिए, उसकी एकता के लिए और उसकी रक्षा के लिए सबको मिलकर काम करना है ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कानून व्यवस्था पर संतोष प्रकट किया गया और कहा गया है कि 1984 चुनौतियों का वर्ष था । निश्चित रूप से जब 31 अक्तूबर को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो ऐसा प्रतीत होता था कि इस देश की कानून व्यवस्था गड़बड़ा जायगी, जो विकास के रास्ते हैं उनमें अवरोध उत्पन्न हो जायगा लेकिन केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकार ने अपने लोकतांत्रिक विवेक का प्रयोग करते हुए कानून व्यवस्था पर अच्छी पकड़ रखी । इसलिए निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, बहुत ही प्रशंसनीय है। धन्यवाद ।

श्री दीप चन्द—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में उपस्थित सदस्यगण, जैसा कि यहां पहले सत्ता पक्ष की तरफ से बोला गया एक ही शब्द पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है 'हरिजन' । क्या संविधान के किसी अनुच्छेद में हरिजन शब्द लिखा है अगर कहीं हो तो मुझे बताने का कष्ट करें कि किस अनुच्छेद के अन्तर्गत यह लिखा हुआ है । अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत लिखा है कि हाई स्कूल तक की शिक्षा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े लोगों को फ्री दी जाय लेकिन क्या आज तक पिछड़ी जातियों को फ्री शिक्षा दी गई ? तीसरी बात मैं चाहता हूं कि अपराध बढ़ता जा रहा है । इस पर भारत सरकार, प्रदेश सरकार ने कभी सोचा कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं ? पढ़े-लिखे, नौजवान तबके के लोग बी० ए०, एम० ए० करके बेकार बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है । अगर नौकरी मिलती तो यह अपराध न होते । एक बार मुझे अपने वकालत

पेशे के दौरान, बी0 ए0, एम0 ए0 पास करने के बाद दो तीन नौजवानों को कचेहरी में लाया गया राहजनी अपराध के अन्तर्गत पकड़ कर । उनसे पूछा गया तो बताया गया कि नौकरी नहीं मिली, जब तक पढ़ते थे, घर वालों का सह-योग मिलता था । अब वह भी नहीं रहा । अतः मैं सदन की तरफ से सरकार से मांग करता हूं कि वह बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करे । मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां 37 साल से कांग्रेस का ही उम्मीदवार आया और वह भी क्षेत्र के बाहर से आया । उस क्षेत्र को इतना पिछड़ा हुआ रखा गया कि न कोई कल कारखाना है और न कोई पुल का निर्माण हो सका । न ही बरसात के दिनों में पानी के निकास की कोई व्यवस्था की गई । मैं सदन की तरफ से एवं क्षेत्र की तरफ से सरकार से चाहूंगा कि उस क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया जाय । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

विधान सभा की समितियों तथा मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष --

संसदीय कार्य मंत्री सदन की कमेटियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव लाना चाहते हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)--

(1) मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 200 के साथ पठित नियम 229 (2) के अनुसार लोक लेखा समिति में 21 से अधिक सदस्य, नियम 231 (2) के अनुसार प्राक्कलन समिति में 25 से अनधिक सदस्य, नियम 232-ख के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम एवं नियम समिति में 25 से अधिक सदस्य,

(i) विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा क्रमशः दिनांक 6 अगस्त, 1974 एवं 14 अगस्त, 1974 को पारित संकल्प के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति में 21 सदस्य तथा

(ii) मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थाई समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम-1 के खन्ड (ड0) के साथ पठित खण्ड (क) के अनुसार मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थाई समितियों में प्रत्येक में 16-16 सदस्य,

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए और उसके बाद समय-समय पर उनकी आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए सदस्य, विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं ।

(2) उक्त सम्बन्धित नियमों तथा संकल्पों के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1985-86 के लिए सदन की उक्त समितियों के लिए तथा मंत्रियों को परामर्श देने के लिए सभी स्थायी समितियों के लिये निर्वाचन किया जाना है ।

(3) सम्बन्धित नियमों एवं संकल्प के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, यह सदन श्री अध्यक्ष को, उक्त सभी समितियों में वर्ष 1985-86 के लिए विधान सभा के सदस्यों को तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथा समय सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त समितियों

में सम्बन्धित नियमों एवं संकल्प की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने रखा है, उससे सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में 7 सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं, जिसमें से प्रदेश के कई जिलों में मस्तिष्क ज्वर से उत्पन्न स्थिति के विषय में एक सूचना जिसे श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने दिया है, उसको स्वीकार करता हूं । शेष अस्वीकार करता हूं ।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ : भाल चन्द्र शुक्ल,
19 मार्च, 1985 सचिव,
विधान सभा उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ 17 पर)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 मार्च, 1985" के स्थान पर शब्द और अंक "31 मार्च, 1986 रख" दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ 17 पर)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) संशोधन विधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायेगा ।

(2) यह 28 जनवरी, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1976 की धारा 1 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 को जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1 में, उपधारा (4) में, खन्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खन्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्--

"(च) लोक आयुक्त के कर्मचारी वर्ग के सदस्य ।"

नई धारा 4-क का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

अधिकरण द्वारा निर्देश की सुनवाई

"4-क(1) दावे के किसी निर्देश की जिसमें सेवा से पदच्युति या हटाये जाने या पंक्तिच्युत किये जाने के किसी आदेश की विधिमान्यता अन्तर्ग्रस्त हो, सुनवाई और उसका अन्तिम रूप से विनिश्चय अधिकरण के दोनों सदस्यों द्वारा किया जायेगा :

परन्तु दोनों सदस्यों में से किसी भी सदस्य द्वारा ऐसे आदेश से जिसमें मामले का अन्तिम रूप से निस्तारण कर दिया गया हो भिन्न कोई आदेश पारित किया जा सकता है, साक्ष्य लिया जा सकता है और कार्यवाहियों (मामले के अन्तिम निस्तारण के लिये मौखिक बहस की सुनवाई को छोड़ कर) का संचालन किया जा सकता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट दावे से भिन्न दावे के किसी निर्देश की सुनवाई और उसका अन्तिम रूप से विनिश्चय अधिकरण के एक सदस्य द्वारा किया जा सकता है ।

(3) उपधारा (1) या उप धारा (2) के अधीन अधिकरण के किसी एक सदस्य द्वारा किया कोई कार्य अधिकरण द्वारा किया गया समझा जायेगा ।"

धारा 5 का संशोधन

4मूल अधिनियम की धारा 5 में—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(ख) धारा 4 के अधीन किसी निर्देश पर परिसीमा अधिनियम 1963 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे मानो निर्देश सिविल न्यायालय में दाखिल किया गया कोई वाद हो, किन्तु—

(1) उक्त अधिनियम की अनुसूची में विहित परिसीमा-काल के होते हुए भी, ऐसे निर्देश के लिए परिसीमा-काल एक वर्ष होगा ;

(2) परिसीमा-काल की संगणना करने में, उस दिनांक से जब लोक-सेवक अपनी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार कोई अभ्यावेदन करता है या कोई अपील, पुनरीक्षण या कोई अन्य याचिका (जो राज्यपाल को दिया गया विनिवेदन न हो) प्रस्तुत करता है, प्रारम्भ होने वाली, और उस दिनांक को जब ऐसे लोक-सेवक को, यथास्थिति, ऐसे अभ्यावेदन, अपील, पुनरीक्षण या याचिका पर दिये गये अन्तिम आदेश की जानकारी हो, समाप्त होने वाली अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा :

परन्तु कोई निर्देश जिसके लिए परिसीमा अधिनियम, 1963 द्वारा विहित परिसीमा-काल एक वर्ष से अधिक हो धारा 4 के अधीन निर्देश उस अधिनियम द्वारा विहित अवधि के भीतर या उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ से ठीक एक वर्ष के भीतर, इसमें जो भी अवधि पहले समाप्त होती हो, किया जा सकता है :

परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथा प्रतिस्थापित इस खण्ड की किसी बात का कोई प्रभाव किसी ऐसे निर्देश पर नहीं पड़ेगा जो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किया गया और विचाराधीन हो।"

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "मौखिक बहस" के स्थान पर शब्द "मौखिक या लिखित बहस" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्—

"(7) जहां अधिकरण किसी पक्षकार के पक्ष में उपधारा (6) में निर्दिष्ट घोषणा से भिन्न कोई आदेश दे और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे आदेश के दिनांक से तीन मास की अवधि तक न किया जाय, वहां अधिकरण उस पक्षकार के, जिसके पक्ष में आदेश हो, आवेदन-पत्र पर, यथास्थिति, अपने द्वारा अधिनिर्णीत धनराशि की वसूली के लिए या अनुदत्त किसी अन्य अनुतोष के लिये प्रमाण-

पत्र जारी कर सकता है । जिस पक्षकार के पक्ष में ऐसा प्रमाण-पत्र जारी किया जाय, वह अधिकरण के आदेश का निष्पादन करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय को, जिसको अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर वह कर्मचारी ऐसे सेवायोजक के पास, यथास्थिति, तत्समय कार्य कर रहा हो या अंतिम बार कार्य किया हो, आवेदन कर सकता है और तदुपरान्त ऐसा न्यायालय प्रमाण-पत्र का उसी रीति से और उसी प्रक्रिया के अनुसार निष्पादन करेगा या करायेगा मानो वह किसी वाद में उसके द्वारा समान अनुतोष के लिये पारित डिक्री हो ।"

धारा 6क संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में, शब्द "खंड (क) से (ङ)" के स्थान पर शब्द "खंड (क) से (च)" रख दिये जायंगे ।

निरसन और अपवाद

6—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश संख्या 3, सन् 1985

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ 18 पर)

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायेगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, सन् 1910 में नया धारा 38-क का बढ़ाया जाना

2--संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 38 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

आबकारी राजस्व के बकाया पर ब्याज

"38-क (1) जहां किसी आबकारी राजस्व का भुगतान उसके देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर न किया गया हो, वहां चौबीस प्रतिशत प्रति वर्ष से अनधिक दर पर, जैसी विहित की जाय, ब्याज ऐसे आबकारी राजस्व के देय होने के दिनांक से वास्तविक भुगतान के दिनांक तक देय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कोई उच्च दर विहित न की जाय, तब तक ब्याज की दर अट्ठारह प्रतिशत प्रति वर्ष होगी :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आबकारी राजस्व के सम्बन्ध में, जो उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ होने के पूर्व देय हो गया हो, उक्त दर पर ब्याज ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से देय होगा, यदि आबकारी राजस्व का भुगतान उक्त दिनांक के तीन मास के भीतर न किया जाय ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि उससे किसी करार, नीलामी के निबन्धनों या उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व दायर किये गये वादों या कार्यवाहियों में न्यायालय की किसी डिक्री, जो उक्त दिनांक के पूर्व पारित की गयी हो या उक्त दिनांक के पश्चात् पारित की जाय, के अधीन ब्याज के भुगतान पर प्रभाव पड़ता है ।

(2) ऐसे ब्याज की वसूली पर धारा 39 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे आबकारी राजस्व की वसूली पर लागू होते हैं ।"

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 18 पर)

उत्तर उत्तर बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गण राज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा ।

(2) यह 19 जनवरी, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15, सन् 1948 की धारा 4-क का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4-क में,--

(क) उपधारा (1) में, शब्द "ऐसे निर्माता द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से" के स्थान पर शब्द "ऐसे निर्माता द्वारा प्रथम बिक्री के दिनांक से यदि ऐसी बिक्री उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से छः मास के भीतर की जाय और किसी अन्य मामले में उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से छः मास की समाप्ति के पश्चात् के दिनांक से" रख दिये जायंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण में, खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :--

"(1) 'नई इकाई' का तात्पर्य किसी कारखाने या कर्मशाला से है चाहे उसे किसी ऐसे व्यापारी द्वारा स्थापित किया गया हो जिसकी पहले से राज्य में किसी अन्य स्थान पर वही माल निर्माण करने वाली कोई औद्योगिक इकाई हो या कोई अन्य माल निर्माण करने वाली कोई औद्योगिक इकाई किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला के स्थल पर या उससे संलग्न हो, किन्तु जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आते :--

(क) कोई कारखाना या कर्मशाला जिसमें ऐसी मशीन, साधित्र या संघटक पुर्जों का प्रयोग होता हो जो भारत में किसी अन्य

कारखाने या कर्मशाला में न तो पहले से ही प्रयोग में लाये गये हों और न ही उसमें प्रयोग किये जाने के लिए अर्जित किये गये हों ।

(ख) वही माल निर्माण करने वाले किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला में या उससे संलग्न स्थल पर स्थापित कोई कारखाना या कर्मशाला ; या

(ग) किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला में कोई परिवर्द्धन या प्रसार, और"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 1985

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 19 पर)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) बिधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायेगा ।

(2) यह 1 अक्तूबर, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1952 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,--

(क) उपधारा (1) में, अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

"प्रतिबन्ध यह है कि 1 अक्तूबर, 1984 के पश्चात् किन्तु 31 मार्च, 1985 के पूर्व जारी की गयी ऐसी अधिसूचना को ऐसे पूर्ववर्ती दिनांक को या से, जो 1 अक्तूबर, 1984 के पूर्व न हो, प्रभावी बनाया जा सकता है ।"

(ख) उपधारा (2) में,--

(एक) शब्द "पचीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पैंतीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे ।

(दो) शब्द "छः पैसे" के स्थान पर शब्द "आठ पैसे" रख दिये जायेंगे ।

(ग) उपधारा (5) में खन्ड (ख) निकाल दिया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 1985

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ 38 पर)

माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 18-3-1985 को संसदीय अनुभाग की पत्रावली में स्वीकृत किये गये एवं उपस्थित किये हुये माने गय संशोधन ।

क्रम- संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1	श्री राम नरेश यादव, श्री शारदा प्रताप तथा श्री राजेन्द्र सिंह गंगवार (उपस्थित किया हुआ माना गया ।)	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय । खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में-- (1) कृषि के विकास के निमित्त किसी ठोस योजना का, (2) किसानों को पैदावार का उचित मूल्य दिलाना व उनके उत्पादन जसे आलू के भंडारण के समुचित व्यवस्था की किसी योजना का, (3) किसानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी सुविधा (जैसे बिजली के रेट में कमी, खाद, सिंचाई व कीटनाशक दवाइयों के रेट में कमी) का, (4) इस वर्ष किसानों का आलू सड़ रहा है जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है उसके खरीद और प्रदेश के बाहर भेजने की समुचित व्यवस्था का, (5) किसानों के गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान कब तक और किस प्रकार होगा, (6) सिंचन क्षमता को बढ़ाने के लिए बिजली के संकट को ध्यान में रखते हुए उसकी कमी को पूरी करने के लिए तथा किसानों को प्राथमिकता के आधार पर देने की कोई व्यवस्था करने का, (7) कुटीर तथा छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए किसी योजना का, (8) प्रदेश में सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं उसे पूरा करने तथा समुचित ढंग से चलाने के निमित्त किसी योजना का, (9) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष कितने प्रतिशत लोगों को साक्षर बनाने के सरकार के संकल्प का, (10) प्रदेश में समस्या ग्रस्त ग्रामों में शुद्ध पेय जल कितन प्रतिशत गाँव में पहुंचाने की व्यवस्था की जायेगी का,

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(11) मद्यनिषेध को प्रभावी करने के लिए सरकार का दृष्टिकोण क्या है का,
		(12) सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए किसी ठोस योजना का,
		(13) मन्डल कमीशन की रिपोर्ट जो पिछड़े वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए है का,
		(14) क्षेत्रीय विषमताओं तथा असन्तुलन को दूर करने की सरकारी नीति की कोई स्पष्ट घोषणा,
		(15) हाल के चुनाव में व्यापक पैमाने पर धांधली बेईमानी तथा मतदाताओं के अधिकारों को हड़पने की जबर्दस्त कोशिश का जिक्र,
		(16) स्थानीय निकायों का चुनाव कराने का तथा विकेन्द्रीकरण की नीति को पुष्ट करने का।
2	श्री विक्रमादित्य पाण्डेय (उपस्थित किया हुआ माना गया।)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न विषयों का उल्लेख नहीं किया है :
		(1) गन्ना की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों में प्रोत्साहन हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं है, जिससे गन्ना का उत्पादन बढ़े और मिलें पूरी क्षमता से कार्य कर सकें। अधिकांश मिलें पुरानी टेक्निक के अनुसार कार्य कर रही हैं। अतः इनका अभिनवीकरण होना चाहिए।
		(2) 20 सूत्रीय कार्यक्रम से गरीब एवं कमजोर वर्ग को ठोस काम नहीं मिल पा रहा है, जिससे संबंधित उपलब्धि के आंकड़े झूठे हैं। अतः ठोस कार्यक्रम हो।
		(3) पूर्वांचल के विकास हेतु पर्वतीय विकास निगम जैसी संस्थायें बनायी जाय, इस क्षेत्र का औद्योगीकरण किया जाय। बलिया नगर के आस-पास दो बड़े उद्योग लगाने का प्राविधान हो, जिससे क्षेत्र का पिछड़ा-पन दूर हो सके।
		(4) नलकूप की बढ़ती संख्या को दिखाकर सिंचाई की बढ़ती क्षमता दिखायी गयी है। बिजली की अनियमितता, नलकूप की नाली ठीक न होने, मशीन

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

आदि के गड़बड़ी के कारण आधे से अधिक नलकूप खराब हैं और सिंचित क्षेत्रों की क्षमता वास्तव में कम होती जा रही है । अतः इसे ठीक करने का प्राविधान होना चाहिए ।

(5) स्वास्थ्य पर अब भी महाराष्ट्र आदि की तुलना में प्रदेश में प्रति व्यक्ति खर्च कम व्यय होता है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सक, साज-सज्जा एवं दवा के अभाव में बेकार हैं । अतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का स्तर ऊंचा उठाया जाय ।

(6) बलिया के पिछड़ेपन को देखते हुए 300 शैया का सुसज्जित चिकित्सालय बनाने का उल्लेख हो । बलिया महिला चिकित्सालय का भी विस्तार एवं सुसज्जित करने का प्राविधान होना चाहिए बलिया विधान सभा क्षेत्र के बांसडीह रोड, हनुमानगंज एवं शिवपुरदीयर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले जाने का प्राविधान होना चाहिए ।

(7) उच्च शिक्षा के लिये बलिया में विश्वविद्यालय खोला जाय, जिससे पूर्वांचल के गरीब छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकें ।

(8) हरिजन एवं कमजोर वर्गों के छात्रों के लिये बलिया में 1,000 छात्रो के लिए छात्रावास बनाया जाय ।

(9) प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों, आधुनिक साज-सज्जा एवं उपकरण की व्यवस्था की जाय । पब्लिक स्कूल एवं इस तरह के दूसरे स्कूलों को तत्काल बन्द किया जाय, जिससे दो प्रकार के नागरिक उत्पन्न न हो सकें ।

(10) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ नियुक्त अध्यापकों को नियमित किया जाय ।

(11) संस्कृत की शिक्षा के विकास हेतु न्याय पंचायत स्तर पर अलग से स्कूल पाठशालायें खोलने की व्यवस्था की जाय ।

(12) पूर्वांचल में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सब से अधिक है । अतः बिहार जैसे यहां भी भोजपुरी अकादमी स्थापित की जाय, जिससे भोजपुरी भाषा का विकास हो सके ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का स्वरूप
		(13) न्याय महंगा है । गरीबों को भलाई के लिये जनपद स्तर पर गठित सेल प्रभावी नहीं हो रहा है । गरीब न्याय से वंचित है । अतः गरीबों को न्याय देने के लिये कारगर कदम उठाया जाय ।
		(14) परगनाधिकारी एवं तहसीलदार प्रशासन संबंधी एवं अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, समयाभाव के कारण ये न्याय संबंधी अति आवश्यक कार्य समय के अन्दर सम्पन्न नहीं कर पाते । अतः मुकदमें के लिये अतिरिक्त परगनाधिकारी तथा अतिरिक्त तहसीलदार नियुक्त हो, जो केवल मुकदमें का ही काम देखें ।
		(15) सचल न्यायालय गांव में जांय जो छोटे-मोटे मामले को तुरन्त वहीं पर निपटायें।
		(16) बलिया शहर में जल निकासी एवं सीवरेज की योजनायें तुरन्त लागू की जांय, जिससे शहर की गंदगी, गंदगी से बढ़ते हुए रोग रोके जा सकें । मच्छर जो अनेक रोगों के जनक हैं और रात्रि की नींद में बाधक हैं इनको समाप्त किया जाय ।
		(17) नगर एवं देहात में पेयजल की व्यवस्था समुचित नहीं है, जल निगम का कार्य दोषपूर्ण है, अतः ठीक किया जाय । बलिया नगर की स्वीकृत पेयजल योजनायें तुरन्त कार्यान्वित की जायं । वर्तमान टंकियों की सफाई एवं पाइपों की सफाई की जाय, जिससे गंदे पानी का प्रयोग न हो सके ।
		(18) जनपद बलिया के सुरहा ताल के आस-पास गांव के लोगों के हित में सुरहा ताल का पानी रबी के फसल के बोआई के पूर्व निकाला जाय, जिससे हजारों एकड़ भूमि कृषि कार्य में लायी जा सके।
		(19) उत्तर प्रदेश एवं बिहार को जोड़ने के लिये तथा प्रशासन को चुस्त बनाने के लिये एवं उत्तर प्रदेश के हजारों नागरिक, जो गंगा नदी के उस पार बसे हैं, उनको सुविधा हेतु गंगा नदी पर नगवा एवं बलिया के बीच पाःटून ब्रिज (पीपा का पुल) बनाया जाय ।
		(20) बलिया शहर की भीड़ को देखते हुए शहर के पश्चिमी रेलवे क्रासिंग पर स्वीकृत ओवरब्रिज को शीघ्र बनवाने के लिये रेल विभाग पर जोर दिया जाय ।

क0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(21) बलिया नगर की सड़कें जो वर्षों से टूटी फूटी हैं उसकी मरम्मत एवं विकास के लिये प्राविधान किया जाय ।
		(22) यातायात की सुविधा के लिये राज्य परिवहन की अच्छी बसें जनपद बलिया को दी जांय। जनपद के विकास एवं लोगों की सुविधा हेतु बलिया डिपो से बिहार के अन्य नगरों से जोड़ने के लिये राज्य परिवहन बसें चलायी जायं ।
		(23) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से बनने वाली सड़के जो कई वर्ष पूर्व प्रारभ की गई थी लेकिन धनाभाव के कारण पूरी नहीं हो पायी हैं उन्हें अविलम्ब पूरी कराने की व्यवस्था की जाय ।
		(24) बलिया नगर एवं देहात के गांव जो गंगा के कटान एवं बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं, उसके बचाव के लिये एक स्थायी योजना का उल्लेख हो । कटान से प्रभावित गांव चैनछपरा एवं जगछपरा में ठोकर बनाये जायं । गंगा की बाढ़ से प्रभावित सैकड़ों गांवों को ऊंचा किया जाय तथा कटे हुए गांवों को एक विशेष योजना के अन्तर्गत सुन्दर बस्तियों में बसाया जाय ।
		(25) बलिया विधान सभा क्षेत्र की भूमि अति उर्वरा है, नहर की सिचाई बिल्कुल इस क्षेत्र में नहीं है । नलकूप भी बहुत ही कम है । जनपद के कोटे से मिला भाग सिचाई की दृष्टि से अत्यन्त कम् है । अतः कृषि के विकास हेतु इस क्षेत्र म नलकूप लगाने की दिशा में विशेष योजना चलाने का प्राविधान हो ।
		(26) शहीदों के स्मारक राष्ट्र को प्रेरणा देते हैं, दुख है कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पाण्डेय का स्मारक अभी तक नहीं बन पाया है । अतः उनकी पावन जन्मभूमि नगवा जनपद बलिया में एक स्मारक बनाया जाय, जिससे नई पीढ़ी प्रेरणा ले सके ।
		(27) बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के बचाव के लिये बलिया विधान सभा क्षेत्र के कदम-दुवहर कटबन्ध एवं भरसरहल्दी कटबन्ध को अविलम्ब पूरा किया जाय ।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(28) सस्ते गल्ले की दुकानों से प्राप्त होने वाली जीवनोपयोगी वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। अतः इसकी जांच की व्यवस्था हो। गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोग गेहूं, चीनी, चावल, तेल, साबुन एवं दियासलाई इत्यादि सस्ते दर पर प्राप्त कर सकें, इसकी कारगर व्यवस्था की जाय।
		(29) बलिया नगर के अमृतपाली, जगदीशपुर, बनकटा, हरपुर मोढ़ी, कसाई टोला एवं भृगु आश्रम जैसे उपेक्षित मुहल्ले को नागरिक सुविधा से जोड़ने की अविलम्ब व्यवस्था होनी चाहिए।
3	श्री यदुनाथ सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है। :—
		(1) प्रदेश में लोकसभा तथा विधान सभा के निर्वाचनों मे की गई धांधली, बूथों पर कब्जा तथा अपराधियों, अराजकतत्वों के खुले दुरुपयोग। साथ ही जिला प्रशासन अधिकारियों का चुनावी हित के लिए उपयोग।
		(2) मद्य निषेध लागू करने का।
		(3) गंगा जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण के रोकने के सम्बन्ध में।
		(4) फसलों के बीमा के बारे में।
		(5) बृहत्तर चकबन्दी की योजना के बारे में।
		(6) शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में, सम्पूर्ण प्रदेश में एक शिक्षा नीति लागू करने के सम्बन्ध में।
		(7) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की तरह पिछड़े वर्ग के छात्रों एवं आय के आधार पर पिछड़े वर्ग के छात्रों को अनिवार्य छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में।
		(8) सी0पी0 एम0 टी0 में पिछड़े वर्ग के आरक्षण कोटा के सम्बन्ध में।
		(9) नगर पालिकाओं, नगर महापालिकाओं के चुनाव के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(10) जिला परिषदों के गठन के बारे में ।
		(11) विद्युत आपूर्ति की घोर संकट के कारण एवं उत्पादन में गिरावट के सम्बन्ध में प्रभावित फसलों एवं उद्योगों के क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में ।
		(12) प्रदेश के नहरों के पटरी को पक्की करने के सम्बन्ध में ।
		(13) मिर्जापुर जनपद के सार्वजनिक उद्योगों में स्थानीय लोगों की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।
		(14) प्राथमिक विद्यालयों की जीर्ण–शीर्ण इमारतों के पुनर्निर्माण तथा शिक्षा के उच्चीकरण के सम्बन्ध में।
		(15) चुनार में गंगा नदी पर बने पीपे के पुल के पथकर समाप्ति के सम्बन्ध में ।
		(16) चुनार के ऐतिहासिक इमारती खदान के पत्थरों पर लगे माइनर मिनरल्स ऐक्ट के हटाने के सम्बन्ध में ।
		(17) तहसील कचहरी से लेकर हाईकोर्ट तक वादियों के हित के सम्बन्ध में ।
		(18) 18 वर्ष के लोगों के बालिग मताधिकार के सम्बन्ध में ।
		(19) बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने या बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में ।
		(20) शिक्षा का बजट 20 प्रतिशत करने के सम्बन्ध में ।
		(21) वनों में उपजीवी जातियों के कल्याण के सम्बन्ध में ।
		(22) पूरे प्रदेश में समुचित पेयजल की व्यवस्था के सम्बन्ध में ।
		(23) उद्योग के दृष्टिकोण से उद्योग बन्धुओं के प्रोत्साहन के लिए मिर्जापुर जनपद को पिछड़ा घोषित करने के सम्बन्ध में ।
		(24) पूर्वी उत्तर प्रदेश के गरीब, मजदूर किसानों के हित के लिए समयबद्ध कुटीर उद्योग स्थापना के सम्बन्ध में ।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(25) प्रदेश के हर गांव को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में ।

(26) प्रदेश के जलाशयों को नजदीक की नदियों से लिफ्ट योजना के अन्तर्गत सप्लाई लेबिल पर जल स्तर करने के सम्बन्ध में ।

(27) ब्रिटिश हुकूमत के समय के नहरों के कानून, पुलिस ऐक्ट, जेल मैनुअल और एजूकेशन मैनुअल के आज के संदर्भ में बदलने के सम्बन्ध में ।

(28) नरायनपुर, मिर्जापुर तिरमुहानी पर नेशनल हाइवे नं0 7 पर सरदार पटेल की मूर्ति लगाने के सम्बन्ध में ।

(29) मिर्जापुर इंडस्ट्रीयल जिला को देखते हुए चुनार में गंगा नदी पर पक्का पुल बनाने के सम्बन्ध में ।

(30) पूरे प्रदेश में परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में ।

(31) लड़कियों की तरह से लड़कों की भी हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य करने के सम्बन्ध में ।

(32) प्रदेश की आम जनता को रोजी–रोटी, कपड़ा, मकान के समुचित समयबद्ध मुहइया करने के सम्बन्ध में ।

(33) 20 सूत्रीय कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

श्री दिवाकर विक्रम सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया) ।

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में––

(1) प्रदेश की जीर्ण–शीर्ण एवं बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति पर प्रकाश नहीं डाला । देश के समस्त प्रदेशों में से उत्तर प्रदेश का ओवर ड्राफ्ट सबसे अधिक 302 करोड़ की सीमा पर पहुंच गया है । मुख्यतः इसका कारण राज्य सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों द्वारा अंधाधुन्ध फिजूल खर्ची तथा उत्पादन सम्बन्धी मदों पर अधिक व्यय तथा व्याप्त सभी स्तरों पर चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है । इसे समाप्त करने के बारे में या इसमें सुधार लाने के बारे में कोई संकेत नहीं किया है ।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(2) गेहूं और धान सीधे कृषकों से खरीदे जाने की बात नहीं कहा है । गत दो–तीन वर्षों में खरीद एजेन्सियों द्वारा अधिकांश गेहूं और धान बिचौलियों के माध्यम से खरीदे जाने की स्थिति देखी गयी है और किसानों को इन खरीद एजेन्सियों द्वारा परेशान करके बिचौलियों के हाथ अपना गेहूं और धान बेच दिए जाने के लिए बाध्य किया जाता है । इस स्थिति को रोकने हेतु कड़े एवं समुचित कदम उठाये जाने पर कोई प्रकाश नहीं डाला है ।

(3) जहां गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के क्षेत्र में नीतियों में एवं कार्यों की चर्चा किया वहीं गन्ना किसानों के हितों के लिए लगभग 40 वर्षों से चली आ रही है सहकारी गन्ना विकास समितियों की जीर्ण–शीर्ण आर्थिक स्थिति के सुधारने हेतु गन्ना समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को लाभप्रद वेतन दिए जाने हेतु गन्ना समितियों द्वारा चीनी मिलों को आपूर्ति किये गये गन्ना पर चीनी मिलों द्वारा दिये जा रहे मुद्दत पुराने कमीशन दर को बढ़ाने तथा उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ, जो वास्तव में उत्तर प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों तथा उनके सदस्य किसानों के हितों की रक्षा हेतु 36 साल पहले गठित किया गया था परन्तु आज अपने क्रिया–कलापों से तथा सूदखोरी एवं फिजूलखर्ची से गन्ना समितियों को चूस रहा है, उसके क्रियाकलापों पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाने हेतु कोई बात नहीं कही गई है । साथ ही सरकार की अत्यन्त अदूरदर्शी एवं गलत नीतियों के कारण इस वर्ष अधिकांश चीनी मिलें विशेषतयः पूर्वी क्षेत्र में स्थित चीनी मिलें 90 दिन का पेराई सत्र भी नहीं पूरा कर सकीं, जिसके फलस्वरूप चीनी उत्पादन तथा चीनी मिल के श्रमिकों एवं सहकारी गन्ना विकास समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के हितों के साथ ही प्रदेश एवं राष्ट्रीय हितों पर विशेष धक्का पहुंचा है । इस अदूरदर्शी एवं गलत तथा राष्ट्रहित विरोधी नीति में परिवर्तन एवं सुधार लाने की कोई चर्चा नहीं की है ।

(4) वर्षों पुरानी बायीं तटीय सरयू नहर योजना, जिस पर सन् 1977 से 1980 के बीच जनता सरकार द्वारा तीव्र गति से कार्य प्रारम्भ किया गया था, को पूर्ण कराये जाने की कोई बात नहीं कही है । बस्ती जनपद में इस नहर की बांसी शाखा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

जिससे सन् 1982 में ही सिचाई प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव था और वर्ष 1980 से कार्य एकदम बन्द कर दिया गया हैं, को भी शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराकर किसानों को सिचाई उपलब्ध कराये जाने की कोई चर्चा नहीं की हैं ।

(5) उद्योग एवं बुनकरों की चर्चा करते हुए न तो बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराने और न ही सघन हथकरघा विकास निगम द्वारा बुनकरों से खरीदे जा रहे माल की नियमित खरीददारी तथा खरीदे गये माल का अविलम्ब भुगतान किये जाने की बात कही हैं । साथ ही यह भी खेद हैं कि इस सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे भारी उद्योगों को प्रदेश के केवल 3 जिलों में ही स्थापित करके जो विषमता उत्पन्न कर दी गयी हैं उसे दूर करने हेतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जनपदों में सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े उद्योग स्थापित करने की कोई बात नहीं कही गयी हैं ।

(6) प्रारम्भिक शिक्षा को सार्वभौमिक बात कहते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से स्थापित भवनहीन प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु तथा उनसे पर्याप्त साज-सज्जा उपलब्ध कराने हेतु समुचित धन उपलब्ध कराने की बात नहीं कही हैं और ग्रामीण विद्यालयों में गिर रहे शिक्षा स्तर को ही सुधारने की कोई बात नहीं कही हैं ।

(7) जहां नये प्राथमिक चिकित्सालयों को खोलने, उच्चीकरण करने एवं औषधालय खोले जाने की चर्चा किया हैं वहीं खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं औषधालयों में दवाइयों एवं औषधियों हेतु दिए जा रहे धन को बढ़ाने की बात न कह करके प्रदेश के ग्रामीण जनता के प्रति घोर अन्याय किए हैं । साथ ही उत्तर प्रदेश जल-निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल उपलब्ध कराने की नीयत से लगाये जा रहे हैण्ड पम्पों में बरती जा रही घोर अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार को भी दूर करने की बात नहीं कही हैं ।

(8) जहां मादक वस्तुओं के उपयोग पर नियंत्रण करने की बात कही हैं वहीं राज्य सरकार द्वारा छोटे-छोटे कस्बों में खोले जा रहे शराब के दूकानों पर, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवावर्ग शराब की आदत में पड़ते जा रहे हैं, पर प्रतिबन्ध लगाने की बात नहीं कही हैं ।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(9) जहां ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के अच्छे साधन सुलभ कराने की चर्चा की है वहीं :— (क) 24 सितम्बर, 1984 को स्वीकृत बस्ती जनपद में रुधौली—बखिरा मार्ग पर छपियाघाट का पुल, (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सा0 नि0 विभाग द्वारा स्वीकृत बस्ती जनपद में स्वीकृत समदा धर्मसिंहवा बाजार मार्ग, (ग) बस्ती जनपद स्थित बांसी मेहदावल तथा रुधौली बखिरा मार्ग को जोड़ने हेतु सुपौली राजघाट मार्ग, (घ) 1500 से अधिक आबादी के गांव बनके गांव तथा नासिरगंज को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु बस्ती बांसी मार्ग पर स्थित तिलौली से बनक गांव—नासिरगंज—बेलोहा मार्ग, (ङ) 1,500 से अधिक का गांव सियाकटाई को जोड़ने हेतु बांसी मेहदावल मार्ग पर स्थित लोहरौली बाजार से सियाकटाई गुना खोर मार्ग, (च) पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत मेहदावल और व्यास मेहदूपार धानी मार्ग, (छ) पड़री घोसियारी मार्ग पर सिरसिया घाट का पुल, (ज) अमरडोभा से केसवापुर मार्ग पर भगौसा घाट का पुल सड़कों तथा पुलों को पूर्ण कराने की कोई बात नहीं कही है । (10) राप्ती नदी के भीषण बाढ़ तथा पनघटिया बांध के कटान से मनुष्यों तथा पशुओं के जीवन रक्षा हेतु हरैया तथा मुसहरा के बीच तथा मेहदूपार जोखनिया भखलिया के बीच पुल बनाये जाने की बात नहीं कही है । (11) राजस्व संहिता विधेयक को सरकार द्वारा सदन में प्रस्तुत करके तथा पारित कराये जाने सम्बन्धी कोई भी चर्चा नहीं की है ।
5	श्री मुहम्मद आजम खां (उपस्थित किया हुआ माना गया।)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में—

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(1) प्रदेश में ला-कानूनियत पर कोई ठोस सुझाव नहीं आया है ।
		(2) उर्दू की चर्चा करके वोट तो ले लिया जाता है लेकिन उसके बारे में यह एक लफ्ज भी नहीं कहा गया ।
		(3) लोकल बाडीज के चुनाव के बारे में कोई तारीख नहीं दी गयी ।
		(4) बुनकरों को सूत के लिये किसी राहत की खबर नहीं दी ।
		(5) जनपद रामपुर में बिजली पानी जोने भर को भी नहीं मिल पा रहा है, के लिए कुछ नहीं कहा गया ।
		(6) बीड़ी मजदूरों की न्यूनतम आमदनी पूरे प्रदेश में एक सी ही होने के लिए कुछ नहीं कहा गया ।
		(7) रामपुर रजा टेक्सटाइल मिल के मजदूरों पर कोई बढ़ोत्तरी लाग् नहीं की गयी, इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया ।
		(8) गंगापुर, रामपुर नाजी जमीन पर कब्जा न करने का आश्वासन नहीं दिया गया ।
6	श्री काशी सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया ।)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न विषयों का उल्लेख नहीं किया है— (1) उत्तराखण्ड (पर्वतीय जनपदों) में केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रसंग में रुके विकास कार्यों के सम्बन्ध में, (2) विगत दो वर्षों से उत्तराखण्ड म अनावृष्टि के कारण पड़े व्यापक सूखे के सम्बन्ध में, (3) जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विकास खण्ड में एक वर्ष के अन्तर्गत 25 व्यक्तियों की बाघ द्वारा हत्या किये जाने के बाद भी उसको मारने या पकड़ने के सम्बन्ध में,

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(4) उत्तराखण्ड की शिक्षण-संस्थाओं में विगत अनेक वर्षों से अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों के परीक्षाफल पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर उचित कार्यवाही करने के सम्बन्ध में,

(5) मान्यता व सहायताप्राप्त शिक्षण-संस्थाओं, विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ अध्यापकों का नियमितीकरण करने का, के सम्बन्ध में,

(6) उत्तराखण्ड में पेय जल की योजनाओं का सही संचालन न कर पाने एवं उसके समाधान के सम्बन्ध में,

(7) रानीखेत क्षेत्र के निःवर्तमान विधायक श्री जसवंत सिंह बिष्ट द्वारा, 9 अगस्त, 1984 से, मासी (जनपद अल्मोड़ा) में किये गये दस दिवसीय आमरण अनशन पर, माननीय मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा नहीं किये जाने के कारणों के सम्बन्ध में।

पी0 एस0 यू0 पी0—8 एल0 ए0—1985 (पी0 डी0) ।